सत्र-**04** **08** जनवरी, **2026**

खण्ड- **08** .... बृहस्पतिवार,............

अंक- **21** **18** पौष,**1947**(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-**08** सत्र-**04** में अंक **18** से **22** तक सम्मिलित हैं।**)**

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-**54**

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 वीरवार, 08 जनवरी, 2026/18 पौष,1947(शक्)अंक-21

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृ'ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	गुरूओं के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के मुददे पर सदन में अव्यवस्था	6-12
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा आपत्तिजनक वीडियो की फारेंसिक जांच के आदेश तथा नेता,विपक्ष की सदन में लगातार अनुपस्थिति पर चिंता	13-14
4.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष द्वारा गुरूओं के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के मुददे को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना तथा सदन के सत्र को एक दिन के लिए बढाना	15-16
5.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	17-44
6.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	45-165

नोट - सभी तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के विभागों द्वारा भेजे गए विस्तृत उत्तर नेवा के वेबसाइट **https://dla.neva.gov.in/** के **Question Module** पर उपलब्ध।

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-4 वीरवार, 08 जनवरी, 2026/18 पौष,1947(शक्)अंक-21

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

क्रं.सं.	सदस्य का नाम	क्रं.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	33.	श्रीमती नीलम पहलवान
2.	श्री आले मोहम्मद इकबाल	34.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
3.	श्री अभय कुमार वर्मा	35.	श्री पंकज कुमार सिंह
4.	डॉ. अजय दत्त	36.	श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
5.	श्री अजय कुमार महावर	37.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
6.	श्री अनिल झा	38.	श्री पवन शर्मा
7.	श्री अनिल कुमार शर्मा	39.	श्रीमती पूनम शर्मा
8.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	40.	श्री प्रवेश रत्न
9.	श्री आशीष सूद	41.	श्री प्रेम चौहान
10.	श्री अशोक गोयल	42.	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
11.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	43.	श्री राज करन खत्री
12.	चौधरी जुबैर अहमद	44.	श्री राज कुमार भाटिया
13.	डॉ. अनिल गोयल	45.	श्री राज कुमार चौहान
14.	श्री गजेन्द्र दराल	46.	श्री रवि कांत
15.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	47.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह

16.	श्री गोपाल राय	48.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
17.	श्री हरीश खुराना	49.	श्रीमती रेखा गुप्ता
18.	श्री इमरान हुसैन	50.	श्री संदीप सहरावत
19.	श्री जरनैल सिंह	51.	श्री संजय गोयल
20.	श्री जितेन्द्र महाजन	52.	श्री संजीव झा
21.	श्री कैलाश गहलोत	53.	श्री सतीश उपाध्याय
22.	श्री कैलाश गंगवाल	54.	श्री श्याम शर्मा
23.	श्री कपिल मिश्रा	55.	श्री सोम दत्त
24.	श्री करनैल सिंह	56.	श्री सुरेन्द्र कुमार
25.	श्री करतार सिंह तंवर	57.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
26.	श्री कुलदीप कुमार	58.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
27.	श्री कुलदीप सोलंकी	59.	श्री तिलक राम गुप्ता
28.	श्री कुलवन्त राणा	60.	श्री उमंग बजाज
29.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	61.	श्री वीर सिंह धिंगान
30.	श्री मनोज कुमार शौकीन	62.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
31.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	63.	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
32.	श्री मुकेश कुमार अहलावत		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा, सत्र-4 बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2026 /18 पौष 1947(शक)

सदन पूर्वाहन 11.02 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेंद्र गुप्ता) पीठासीन हुये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः दो मिनट बैठिये, बैठिये दो मिनट बैठिये सब बैठिये-बैठिये। हां जी क्या कह रहे हैं।

श्री हरीश खुरानाः अरे पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः दो मिनट बैठिये आप दो मिनट बैठिये, जी।

श्री हरीश खुरानाः अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक चिट्टी एक बनाकर आपको भेजी है जिसमें कल जिस प्रकार से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जो कल आपकी चिट्टी आई है।

श्री हरीश खुरानाः जी, जरनैल सिंह के द्वारा जिस प्रकार से इस चेयर का अपमान किया गया मैंने आपको एक चिट्टी फारवर्ड की जिस प्रकार से.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः वो मैंने उस पर कार्रवाई कर दी है और breach of privilege को मैटर सौंप दिया है।

श्री हरीश खुरानाः धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः उसकी इंक्वायरी के लिये और जरनैल सिंह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी.....क्यों कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जी जी हां बताईये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी देखो कल से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः हां बताईये मैं आपको वहीं आप वहीं जाईये ना अपनी चेयर पर, मैं तरविन्दर जी आपको दे रहा हूं मौका।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः तरविन्दर जी आप अपनी सीट से बात कर लीजिये ना।

....व्यवधान....

श्री अनिल कुमार शर्माः सजा, सजा, सजा से कोई कम नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर तो जाईये ना।

....व्यवधान....

(सत्ता पक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय के आसान के सामने वैल में आ गये)

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः देखिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर बैठ करके और सदन की बहुत ही, आज बहुत महत्वपूर्ण मामले।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा आपसे अनुरोध है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा आपसे अनुरोध है अपना स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः उधर जाईये, उधर जाईये।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी अपने।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अपना स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा अनुरोध है अपना स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही।

श्री अजय कुमार महावरः अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः इधर आईये, इधर आईये, इधर आईये, ईधर बात करिये।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी साथियों से अनुरोध है अपना स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: स्थान गृहण करें, साथियों।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, इस पूरे मामले पर।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा सदस्यों से अनुरोध है स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी सदस्यों से अनुरोध है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है वो स्थान गृहण करें।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये चेयर, चेयर से पीठ मत करिये। चेयर से पीठ नहीं कर सकते आप।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये इधर, सारे सदस्य इधर, इधर मुंह करिये, इधर मुंह करिये, चेयर से पीठ नहीं कर सकते आप।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप चेयर से पीठ नहीं कर सकते।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः इधर आईये।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेंरा आपसे अनुरोध है। ये इधर है रवि जी रवि, इधर मुंह नहीं करना, इधर आईये इधर।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो इस मामले।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 11.08 से 11.30 तक के लिये स्थगित की गई)

सदन पुनः 11.35 बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

.... व्यवधान ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है अपना स्थान ले लें।

.... व्यवधान ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है वो अपना स्थान ले लें।

.... व्यवधान ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः बैठ जाईये। सभी से अनुरोध है,बैठ जाए।

.... व्यवधान ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी से अनुरोध।अपना स्थान ले ले।

अपना स्थान ले लें।

………. व्यवधान …….

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण। सभी सदस्यों से अनुरोध है वो अपने साथ ले लें।

………. व्यवधान …….

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी अपना स्थान ले लें। मेरा अनुरोध है।

………. व्यवधान …….

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्य अपना स्थान ले लें।

………. व्यवधान …….

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी से अनुरोध है

………. व्यवधान …….

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अभी मेरे कक्ष में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, चीफ व्हीप, अभय वर्मा जी। उप नेता विपक्ष श्री मुकेश अहलावत जी और उनके साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन जी, ये दो लोग दोनों दलों से मेरे कक्ष में आएँगे और सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, चीफ व्हीप माननीय श्री अभय कुमार वर्मा जी, उप नेता विपक्ष, श्री मुकेश अहलावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री इमरान हुसैन जी ये स्पीकर के कक्ष में आने का मेरा अनुरोध है और आधे घंटे के लिए बैठक स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की गई)

सदन पुनः 12.09 बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

(सदन प्रारंभ होते ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने वैल में आ गये)

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है ये कैलाश गंगवाल जी, मार्शल्स सभी मेंबर्स को कहो चेयर्स की तरफ पीठ नहीं करेंगे, चेयर तरफ पीठ नहीं करेंगे मेंबर्स को कहिये, मार्शल्स चेयर की तरफ पीठ नहीं करेंगे, एक मिनट, अरे एक मिनिट पहले ऑर्डर फॉलो करो, ऑर्डर फॉलो करो मैंने ऑर्डर फॉलो करो, चेयर की तरह पीठ नहीं होगी, चेयर की तरफ। कोई भी सदस्य अगर चेयर की तरफ पीठ करके सदन में खड़ा होगा, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं अजय दत्त जी को।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अगर कोई मेंबर इसको डिसओबे कर रहा है ऑर्डर को मार्शल्स अगर पीठ करके खड़ा उसको डिसओबे कर रहा है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए?

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कोई वेल में नहीं आएगा।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा सभी साथियों के अनुरोध है कि वो सदन में शांति बनाए रखे और।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी सदस्यों से अनुरोध है अपनी अपनी सीटों पर बैठें।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं नेता, प्रतिपक्ष की जिस वीडियो का मैंने कल सदन में जिक्र किया था उसके उपर अगर विपक्ष को कोई आपति है तो मैं उसको फोरेंसिक जांच के लिये मैं आदेश दे रहा हूं कि वीडियो की फोरेंसिक जांच जो है सचिवालय कार्यवाही शुरू करे और वो वीडियो फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजी जाये और वो इसकी टाईमबाउंड मैनर में इसकी जांच करके वो भेजे।

माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, इसकी समय सीमा तय कर दीजिये, अध्यक्ष जी समय सीमा तय कर दीजिये, अध्यक्ष जी समय सीमा तय कर दीजिये। जांच के लिये समय सीमा तय कर दीजिये।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिये, एक मिनट जो वीडियो है, जो सदन की कार्यवाही है उस पर प्रश्न उठाने की कोशिश हुई है जो फॉरेन्सिक उसकी जांच करेगा और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट स्पीकर कार्यालय को भेजी जाए, ये भी उसको टाइम बाउंड मैं कर रहा हूँ 15 दिन में उसकी जांच करके और उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये फॉरेन्सिक जांच जो हो रही है उसके लिए अभी जब सदन की कार्यवाही रोकी गयी थी तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह मांग थी कि इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए और दोनों दलों की मांग पर इसकी फोरेंसिक जांच के लिए मैं भेज रहा हूँ।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे अनुरोध है कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया जाए।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप सबसे अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें कार्यवाही को आगे बढ़ने दें, अभी बहुत एजेंडा बाकी है अभी यह रिवाईज्ड एस्टीमेट पास होने हैं। देखिये, मेरा ये कहना है ये गंभीर मामला है इस गंभीर मामले पर।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा कहना है कि सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं और कार्रवाई को आगे बढ़ने दें।

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कृपया नेता, प्रतिपक्ष आतिशी जी आज भी सदन में नहीं आयी हैं। यह बहुत दुख की बात है कि वो लगातार सदन से सारी स्थिति को समझने के बाद भी सदन में आना मुनासिब नहीं समझ रही हैं। एक तरफ pollution की चर्चा पर नोटिस देने की बात करती हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े गंभीर मामले में जो संवेदनशील हो चुका है, उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है । ये जो पूरा मामला है इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर मैं फिर आतिशी जी से नेता, प्रतिपक्ष से ये अनुरोध करूँगा कि वो सदन में आयें और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें लेकिन वो स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है और ये मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है यह बहुत ही खेद का विषय है। एक बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 13:00 बजे पुन: समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सभी सदस्यों से अनुरोध है सदन की गरिमा को बना के रखें और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। मैं कार्यवाही...

----व्यवधान---

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हाँ जी।

----व्यवधान---

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : इस सारे मुद्दे को, अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरा इसपर एक अनुरोध है अगर हम इसको लड़ाई को खत्म करें और आप इसको प्रिविलेज में कमिटी में अगर आप ठीक समझते हैं.....

----व्यवधान---

श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री : आपसे अनुरोध ये है की विपक्ष के द्वारा दो दिन हाउस को खराब किया गया। बहुत सारा एजेंडा सरकार का बाकी है। हमको एलजी अभिभाषण का प्रस्ताव पास करना है। हमको पोल्लुशन पे चर्चा करनी है। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हाउस को आप एक दिन अगर extend कर दे तो हम कल कार्य को पूरा करें। साथ ही मेरा निवेदन है ये पूरे मुद्दे के ऊपर में अगर आप इसको प्रिविलेज कमिटी में भेज दें और वो समय सीमा में इसकी जांच करवाने के लिए बोल दे तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएँ।

----व्यवधान---

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अपना स्थान ले लें। नेता, प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2025 को सदन में कथित रूप से सिख गुरुओं के प्रति की गई टिप्पणी से संबंधित मामले की गंभीरता और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मैं पूरा मामला विशेषाधिकार समिति को जांच करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए सौंपता हूँ। साथ ही नेता, प्रतिपक्ष की इस टिप्पणी से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है, ये भी मैं सदन को अवगत करा रहा हूँ और इस पूरे मामले पर जो यहाँ पूरी व्यवस्था, जो ये पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है वो अपना स्थान ले लें और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने दें क्योंकि...

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य नारे बाजी करते हुए वेल में आ गए)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः: इधर नहीं आएगा कोई, उधर रहिये। सोमदत्त जी, उधर रहिये। उधर रहिए। आसन की तरफ कोई नहीं आएगा।

----व्यवधान----

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:: अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए सदन की कार्यवाही पूरी करनी है। मेरा Parliamentary Affair मंत्री जी से अनुरोध है कि कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाना....

श्री अभय कुमार वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: रिक्वेस्ट कर दिया आपको । अभी किया है रिक्वेस्ट आपसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:: सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए आगे बढ़ाई जा रही है और 09 जनरवरी को सदन 11:00 बजे सदन की कार्यवाही होगी। सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। बैठिये, बैठिये

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य नारे बाजी करते हुए वेल में माननीय अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए)

तारां कत प्रश्नों के ल खत उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या : 41

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम स0	प्रश्न	उत्तर
क	मुस्तफाबाद वधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के अन्तर्गत वर्ष 2020 के दंगे के दौरान शव वहार तिराहे पर स्थित दिल्ली सरकार की डस्पेंसरी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और आज भी वहां स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम कुछ भी नहीं है,	2020 के दंगों के दौरान मुस्तफाबाद वधानसभा क्षेत्र (एसी 69) के शव वहार तिराहे पर स्थित दिल्ली सरकार की डस्पेंसरी छतिग्रस्त नहीं हुई थी और 2021 तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थी और अब वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर दिल्ली सरकार की डस्पेंसरी जोहरीपुर और भागीरथी वहार है
ख	क्या यह भी सत्य है क उपरोक्त जगह पर वभाग द्वारा भ वष्य में नयी डस्पेंसरी बनाए जाने की कोई योजना प्रस्ता वत है, यदि हां तो पूर्ण ववरण दें, और	हाँ सत्य है क वहाँ पर भ वष्य में नई डस्पेंसरी बनाने की योजना है और जिसकी अनुमति उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा मल चुकी है
ग	क्या यह भी सत्य है क उपरोक्त डस्पेंसरी बनाये जाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कया गया था यदि हां तो आज तक संबं धत ठेकेदार के खलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई इसका पूर्ण ववरण दें?	इस प्रश्न से संबं धत सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

विभाग का नाम- उद्योग विभाग

विभाग का पता- 419.एफआईई, उद्योग सदन,पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्रए पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित प्रश्न संख्या- 42

दिनांक- 8/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम- श्री तिलक राम गुप्ता (त्रिनगर)

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में सभी नाले और सभी सड़कें टूटी हुई हैं और नालों के साथ-साथ सड़कों पर अवैध कब्जे हैं; और	लारेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली केवल कुछ सड़कों एवं नालियों की स्थिति वर्तमान में लगभग 3 KM लम्बी रोड खराब है। इनके सुधार हेतु सम्बन्धित एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं तथा 2026–27 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।
ख) यदि हाँ, तो इन नालों और सड़कों को कब तक फिर से बनाया जायेगा और अवैध कब्जे हटाये जायेंगे?	सड़कों पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि माननीय उप–राज्यपाल दिल्ली के निर्देशानुसार अवैध कब्जों को हटाने का कार्य नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि DSIIDC द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के बारे में समय–समय पर नगर निगम को पत्र लिखे गए हैं व अवैध कब्जे हटाने में DSIIDC की तरफ से यथासंभव सहयोग किया जाएगा। (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।)

(बिपुल पाठक)
अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या : 43

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री हरीश खुराना, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है क आचार्य भक्षु अस्पताल (ABGH) द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु वाक-इन- इंटरव्यू आयोजित कए गए हैं, जो Adhoc अथवा Specialist के वरूद्ध कए गए,	हाँ
ख	यदि हाँ, तो कृपया ति थ-वार नियुक्तियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएँ	अनुलग्नक – क
ग	क्या यह सत्य है क कई पदों की जाइनिंग अव ध या वस्तार अव ध पहले ही समाप्त हो चुकी है,	नहीं
घ	यदि हाँ, तो उसका ववरण दें।	लागू नहीं
ड	क्या इन नियुक्तियों एवं सेवाओं को भारत सरकार की Residency Scheme के अंतर्गत नियंत्रित कया जाता है,	हाँ
च)	यदि हाँ, तो कृपया उस योजना एवं नियमावली की प्रमा णत प्रति उपलब्ध कराई जाए	अनुलग्नक – ख अनुलग्नक - ड़
छ)	कतनी नियुक्तियों को पूर्व नियोक्ता से NOC (No Objection Certificate) प्राप्त हुआ है, संख्यावार ववरण उपलब्ध कराएँ,	भर्ती नियमों के अनुसार (लागू नहीं)
ज)	क्या यह सत्य है क नियुक्ति ABGH के स्टाफ फजि शयन द्वारा मे डकल फटनेस तथा शैक्ष णक योग्यता, आयु, जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन, मान्य DMC पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं इंटर्न शप पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर की गई थी,	हाँ
झ)	यदि हाँ, तो प्रत्येक नियुक्ति/सेवा का ववरण सूची सहित उपलब्ध कराया जाए	अनुलग्नक – क
ट)	प्रत्येक चयन/नियुक्ति के लए गठित इंटरव्यू	अनुलग्नक – ग

	पैनल एवं साक्षात्कारकर्ताओं के नाम व ववरण उपलब्ध कराए जाएँ, और	
ठ)	क्या यह सत्य है क व भन्न नियुक्तियों/चयन प्र क्रयाओं के दौरान वज्ञापन में कई बार परिवर्तन या संशोधन कये गए हैं, यदि हाँ, तो पूर्ण ववरण दें?	अनुलग्नक - घ

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारां कत प्रश्न संख्या:- 44
दिनाँक:-08.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी
क्या माननीय शक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली सरकार भी अन्य राज्यों की भांति अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एवं मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित ओलं पयन खला ़डयों के लए पेंशन तथा मा सक अनुदान रा श की कसी योजना पर वचार कर रही है; और	दिल्ली सरकार ने कैबिनेट डसीजन संख्या 3226 दिनांक 26.07.2025 के अनुसार खेल और खला ़डयों को बढ़ावा देने के लए '' मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना'' लागू की है जिसमें व भन्न श्रे णयों के पदक वजेताओं को नगद प्रोत्साहन रा श प्रदान की जा रही है, जो देश में सर्वा धक है। जिसमें ओल पंक /पैरा ओल पंक स्वर्ण पदक वजेता को 7 करोड़ रूपये, रजत पदक वजेता को 5 करोड़ रूपये व कास्य पदक वजेता को 3 करोड़ रूपये की धनरा श प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ यह योजना छात्रों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्र शक्षण सहायता के रूप में 5 लाख तक की रा श और 5 लाख की सुरक्षा बीमा एवं उत्कृष्ट खला ़डयों को 20 लाख तक की रा श और 10 लाख तक च कत्सा बीमा सु वधा उपलब्ध कराती है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एवं मेजर

		ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित ओलंपयिन खलाड़यों के साथ पेंशन अथवा मा सक अनुदान रा श के लए वचार- वमर्श कया जा रहा है।
ख	यदि हां, तो पूर्ण ववरण दें?	उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न संख्या 45

दिनांक- 8/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम- श्री संजय गोयल (शाहदरा)

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल कितने औद्योगिक प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर सहित क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध कराया जाए;	शाहदरा विधानसभा में स्थित झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, में DSIIDC के कोई भी औद्योगिक प्लॉट नहीं हैं। चूंकि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र का लीज राइट DDA के पास है। हालांकि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में DSIIDC द्वारा 33 शेड्स एलॉट किए गए थे, जो वर्तमान में DSIIDC के कार्यक्षेत्र में आते हैं।
(ख) क्या फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान में भूमि स्वामित्व एजेंसी (Land Owning Agency) कौन है;	फ्रेंडस कॉलोनी ओद्योगिक क्षेत्र DSIIDC के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि इस क्षेत्र में विकास कार्य MCD द्वारा कराये गए थे।
(ग) झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में नालों की सफाई, कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी किस विभाग/एजेंसी के पास है;	झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में नालों की सफाई DSIIDC द्वारा करायी जाती है। जबकि कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम की है ।
(घ) क्या यह सत्य है कि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में बड़े औद्योगिक प्लॉट्स को अवैध रूप से काटकर छोटे-छोटे प्लॉट्स में बदला जा रहा है;	इस प्रश्न के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यह प्रश्न DSIIDC से संबंधित नहीं है, क्योंकि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र की लीज राइट DDA के पास है ।
(ड.) यदि हाँ, तो अब तक कितने प्लॉट्स को इस प्रकार काटा गया है तथा यह कार्य किस नियम/कानून के अंतर्गत वैध या अवैध है;	
(च) इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;	
(छ) क्या सरकार ने अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण रोकने के लिए कोई विशेष नीति/कार्ययोजना बनाई है:	यह प्रश्न नगर निगम विभाग से संबंधित है ।

(ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए;	यह प्रश्न DSIIDC से संबंधित नहीं है। चूंकि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र का लीज राइट डीडीए के पास है तथा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने का काम नगर निगम के क्षेत्र में आता है । हालांकि DSIIDC द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के बारे में समय–समय पर नगर निगम को पत्र लिखे गये हैं ।
(झ) क्या सरकार के पास ऐसा कोई नियम/योजना है जिसके अंतर्गत अवैध कटिंग, निर्माण एवं अतिक्रमण में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया जा सके, ताकि हर बार निर्दोष अंतिम खरीदार को नुकसान न उठाना पड़े;	
(ट) यदि हाँ, तो अब तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है;	
(ठ) झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों में से कितनी फैक्ट्रियों के पास वैध फायर सेफ्टी लाइसेंस है, पिछले 10 वर्षो का कंपनी नाम, पता एवं नवीनीकरण वर्षवार विवरण दिया जाए;	यह प्रश्न फायर विभाग से संबंधित है ।
(ढ) क्या यह सत्य है कि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बैंक्वेट हॉल संचालित हो रहे हैं;	यह प्रश्न नगर निगम विभाग से संबंधित है।
(ण) यदि हां, तो इन्हें किस आधार एवं किस नियम के तहत अनुमति दी गई है; और	
(त) क्या औद्योगिक क्षेत्र में बैंक्वेट हॉल खोलने का प्रावधान है, पूर्ण विवरण दें?	

(बिपुल पाठक)
अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

तारांकित प्रश्न संख्या : 46

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : डॉ. अनिल गोयल, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली नर्सिंग होम रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दिल्ली में चल रहे सभी नर्सिंग होम्स के लिए 'फायर एनओसी' प्राप्त करना अनिवार्य है,	दिल्ली नर्सिंग होम्स पंजीकरण अधिनियम, 1953 तथा दिल्ली नर्सिंग होम्स पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 में अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) से संबंधित कोई प्रावधान उल्लिखित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली नर्सिंग होम्स पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के साथ संलग्न अनुसूची के खंड 2.1 में यह प्रावधान है कि "नर्सिंग होम के लिए भवन/परिसर मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (MPD-2021) के अंतर्गत निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप होना चाहिए।" (अनुलग्नक-क) तथापि : दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम 2007 और दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के नियम 27(5) के अंतर्गत आने वाले नर्सिंग होम/अस्पताल भवन, जिनका उल्लेख संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियम 34 के तहत किया गया है, उन्हें नियम 35 के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। (अनुलग्नक-ख)

ख	यदि नहीं, तो क्या 2018 के एक MS Office Nursing Home Cell, DGHSऑ फस के Circular पर 15 मीटर तक के न र्संग होम्स का Registration बिना Fire NOC के रोक दिया गया है,	उपलब्ध अ भलेखों के अनुसार, कोई परिपत्र नहीं मला, ले कन दिनांक 02.08.2018 का एक पत्र मला है, जो तत्कालीन डीजीएचएस द्वारा सभी निजी न र्संग होम के प्रबंधकों को दिल्ली अग्निशमन सेवा से वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में जारी कया गया था। पत्र की प्रति अनुलग्नक "एए" के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, ह भी मू चत कया जाता है क रिकॉर्ड में न र्संग होम के पंजीकरण रद्द करने से संबं धत कोई अ भलेख/जानकारी नहीं मली है। इस संबंध में, निजी न र्संग होम में अग्नि सुरक्षा उपायों से संबं धत संपूर्ण परि श्य की पृष्ठभू म अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न है।
ग	क्या सरकार ने रेजिडें शयल और मक्स लैंड यूज एरिया में चल रहे Residential/Mixed Land Use न र्संग होम्स के लए कोई फायर सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई है, और	नहीं, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) No. 6952/2022 के तहत लंबित है। माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के अनुरूप यह वभाग कार्यवाही करेगा।
घ	यदि नहीं तो न र्संगहोम्स जो दिल्ली में 8-10000 बेड Door Step Service दे रहें हैं उनके लए Fire Guidelines बनाकर Registration प्र क्रया को शुरू करने की कब तक उम्मीद हैं?	उपरोकतानुसार

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या : 47

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री करनैल सिंह, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>भगवान महावीर अस्पताल पीतमपुरा, दिल्ली में खराब मशीनों को कितने दिनों के अंदर सही करवा दिया जाएगा और जो नई चिकित्सीय मशीनें आनी हैं वह कब तक आ जाएगी, और</td><td>इस अस्पताल में कोई भी मशीन खराब नहीं है तथा एक डेंटल एक्स–रे की मशीन जो अभी खराब हुआ है उसकी रिपेयर की जा रही है। दूसरी मशीन कार्यरत है।

विभिन्न उपकरणों की मांग वर्तमान में खरीद के विभिन्न चरणों में है, जैसे कि विभाग द्वारा GeM के माध्यम से या GeM पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से खरीद। खरीद प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सीपीए (सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) भी कार्यरत है।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>इस अस्पताल के अंतर्गत किस–किस श्रेणी के कितने–कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद भरे हुए हैं, कितने पद खाली हैं, खाली पड़े हुए पदों को कब तक भर दिया जाएगा?</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">S. No.</th><th rowspan="2">Name of the post</th><th rowspan="2">Sanctioned Post</th><th colspan="2">Total filled post</th><th rowspan="2">Total Vacant post</th></tr>
<tr><th>Regular</th><th>Contractual</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Medical Staff Regular</td><td>184</td><td>47</td><td>126</td><td>12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nursing Staff Regular</td><td>220</td><td>196</td><td>18</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Paramedial Staff Regular</td><td>86</td><td>45</td><td>16</td><td>24</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ministerial Staff Regular</td><td>23</td><td>20</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Outsource Staff</td><td>343</td><td>0</td><td>343</td><td>0</td></tr>
</table>
खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द ही भर दिया जाएगा</td></tr>
</table>

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या :–48
दिनांक :– 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री रविन्द्र सिंह नेगी

क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की : श्री आशीष सूद, गृह मंत्री

प्रश्न		उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि पटपडगंज विधानसभा क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी	सरकार कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र की कार्य शक्ति (अनुच्छेद-73) के

	जा रही है जिस पर नियंत्रण हेतु नियमित एवं प्रभावी पुलिस गश्त अत्यंत आवश्यक है; और	अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप-राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद-239, अनुच्छेद-239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम-1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप-राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख)	यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा भविष्य में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्या अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे ?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

तारांकित प्रश्न संख्या : 49

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सतीश उपाध्याय, माननीय विधायक

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बढ़ती जनसंख्या व दक्षिण दिल्ली जिले में रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या सरकार का पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर में वर्तमान में 100 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 250 किए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो विवरण दें	नहीं
ख	पंडित मदनमोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर में सीटी स्कैन व एमआरआई सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या पूरी तरह चालू हैं, आंशिक रूप से चालू हैं या इनका परिचालन बंद है, यदि बंद है तो उसके कारण बताएं,	सीटी स्कैन व एमआरआई सुविधा उपलब्ध नहीं है
ग	दिसंबर 2025 तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया गया है,	रिकार्ड के अनुसार मालवीय नगर क्षेत्र में कुल 4591 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं।
घ	अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल कितने रोगियों का पंडित मदनमोहन मालवीय अस्पताल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में उपचार किया गया है, और	अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल 3,34,613 (तीन लाख चौतीस हजार छः सौ तेरह) रोगियों का पंडित मदनमोहन मालवीय अस्पताल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में उपचार किया गया
ड	महत्वपूर्ण सुविधाएं/आईसीयू बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण कितने रोगियों को पंडित मदनमोहन मालवीय अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल या अन्य क्षेत्रीय अस्पतालों में रैफर किया गया?	महत्वपूर्ण सुविधाएं/आईसीयू बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक कुल 890 रोगियों को पंडित मदनमोहन मालवीय अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल या अन्य क्षेत्रीय अस्पतालों में रैफर किया गया है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

तारां कत प्रश्न संख्या - 50

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री जितेंद्र महाजन, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>वर्ष 2022 से अब तक DAK (Delhi Arogya Kosh) का फायदा कतने मरीजों को मला और इसमें कतने कैंसर के मरीज थे, वर्षवार ववरण प्रदान करें,</td><td><table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कुल मरीज</th><th>कैंसर मरीज</th></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>6553</td><td>5258</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>6431</td><td>5049</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>6916</td><td>5687</td></tr>
<tr><td>2025-26</td><td>4248</td><td>3657</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख</td><td>सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में DAK (Delhi Arogya Kosh) की सु वधा लेने के लए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं,</td><td>कृपया संलग्न परि शष्ट – 1 देखें</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>सरकार द्वारा कतने अस्पतालों को लीज पर या सस्ते दामों पर जमीन उपलब्ध कराई गई है, इन अस्पतालों में ई०डब्लू०एस० और कैंसर के लए कतने बेड आर क्षत हैं और पछले 5 वर्ष में कतने लोगों का इसका लाभ मला है, पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें; और</td><td>कृपया संलग्न परि शष्ट-2 देखें।

वर्तमान में, डीडीए के पट्टे पर 65 निजी अस्पताल चन्हित हैं। इनमें से 10% बिस्तर ईडब्ल्यूएस रो गयों के लए आर क्षत हैं, अर्थात् 1264 बिस्तर, जिनमें से 66 बिस्तर वशेष रूप से कैंसर रो गयों के लए आर क्षत हैं। अन्य बहु वशेषज्ञ अस्पतालों में भी कैंसर रो गयों का उपचार कया जाता है, ले कन उनके लए वशेष रूप से बिस्तर आर क्षत नहीं हैं। पछले 5 वर्षों में प्रदान कए गए उपचारों के संबंध में, ओपीडी में कुल उपचार 31,42,116</td></tr>
</table>

		और आईपीडी में 194034 है। (EWS Category) चन्हित 65 निजी अस्पतालों की सूची संलग्न हैं।
घ	दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर पेशेंट के लए क्या-क्या सु वधा उपलब्ध है, उसका ववरण दिया जाए?	दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट में कैंसर के निदान और प्रबंधन क सु वधा है। इसमें लैबोरेटरी, रे डयोलोजी सेवाओं के साथ कीमोथेरेपी, रे डओथेरेपी और सर्जरी क सु वधाएं शा मल हैं। नागरिक चार्टर Pg-04 to Pg-09 से संबं धत जानकारी क प्रति परि शष्ट-B के रूप में संलग्न है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।
सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या:- 51

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- Smt. Neelam Pahalwan Hon'ble MLA (Najafgarh)

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

प्रश्न	उत्तर
(क) वर्ष 2020-2025 तक परिवहन विभाग द्वारा नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य कराये गये, पूर्ण जानकारी प्रदान करवाए	• दिल्ली परिवहन निगम से सम्बन्धित नहीं है।
(ख) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले बस रूटों की विस्तृत जानकारी प्रदान करवाए	• नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली परिवहन निगम के चलने व गुजरने वाली बसों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-'A' पर उपलब्ध है।

	• नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कुल 56 बस रूट गुजरते हैं, जिन पर प्रतिदिन लगभग 315 क्लस्टर बसों का संचालन किया जा रहा है। बस रूटों का विस्तृत विवरण संलग्नक 'B'- में संलग्न है।
(ग) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधानसभा में बहुत सारे स्थानों पर स्टैंड बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं, और	• जी हाँ
(घ) इन बस स्टैंडो के सुधार के लिए सरकार की क्या नीति है, कृपया जानकारी उपलब्ध करवाए?	• इनके पुनः निर्माण हेतु विभाग द्वारा नीति विचाराधीन है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या : 52

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री चंदन कुमार चौधरी, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है क संगम वहार वधानसभा जिसकी अनुमानित आबादी लगभग 10 लाख है, में वर्तमान में एक भी सरकारी अस्पताल (सरकारी सामान्य अस्पताल) उपलब्ध नहीं है,	हाँ। यह सत्य है।
ख	यदि हाँ, तो इतनी अ धक आबादी होने के बावजूद क्षेत्र में सरकारी अस्पताल स्था पत न कए जाने के क्या कारण है,	सरकारी अस्पताल खोलने के संबंध में सक्षम प्रा धकारी से स्थल का दौरा करने और नई स्वास्थ्य सु वधाओं के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लए यह कार्य कर दिया गया है

ग	सरकारी अस्पताल के अभाव में क्षेत्र की जनता को प्राथ मक एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कन- कन अस्पतालों/क्षेत्रों पर निर्भर रहना पडता है,	द क्षण-पूर्वी जिले को आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत संगम वहार में कुल 4 प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। ववरण इस प्रकार हैं;- क) डीजीडी डी 1/37, संगम वहार, मंगल बाजार रोड। ख) सीड़ पी यू एच सी जी 10/21, अग्रवाल स्वीट्स के पास, गली न0 10, रतिया मार्ग संगम वहार। ग) सीड़ पी यू एच सी एफ-II/474, गुरुद्वारा संगम वहार के पास। घ) सीड़ पी यू एच सी एच 161/413, कुमार स्वीट्स गली, रतिया मार्ग के पास। आपातकालीन और द् वतीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लए निकटतम दिल्ली सरकारी अस्पताल अंबेडकर नगर कालोनी अस्पताल, द क्षणपुरी है, जो लगभग 2-3 कलोमीटर की दूरी पर है।
घ	क्या संगम वहार वधानसभा क्षेत्र में नया सरकारी अस्पताल/मल्टी-स्पेश लटी या सामान्य अस्पताल स्था पत करने का कोई प्रस्ताव वचाराधीन है, और	जी नहीं। वर्तमान में संगम वहार वधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा नया सरकारी मल्टी स्पैश लटी या सामान्य अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव वचाराधीन नहीं है।
ड	यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति एवं संभा वत समय-सीमा क्या है?	उपरोकतानुसार लागू नहीं होता।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 53

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री प्रेम चौहान, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	देवली वधानसभा क्षेत्र में कुल कतने मोहल्ला क्लीनिक थे और उनमें से वर्तमान में कतने क्रयाशील (Functional) हैं,	देवली वधानसभा क्षेत्र में कुल 07 मोहल्ला क्लिनिक स्था पत कए गए थे। वर्तमान में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक कार्यशील नहीं है।
ख	क्या यह सच है क क्षेत्र के 7 मोहल्ला क्लीनिक वर्तमान में बंद पड़े हैं,	हाँ।
ग	यदि हाँ, तो इन क्लीनिकों को बंद करने के मुख्य कारण क्या हैं,	07 मोहल्ला क्लिनिक निम्न कारणों से गैर - कार्यशील (Non Functional) हैं ;- सक्षम प्रा धकारी के निर्देशों एवं प्रशासनिक कारणों से, नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर / कार्यशील सरकारी स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध होना।
घ	बंद कए गए मोहल्ला क्लीनिकों के कारण क्षेत्र की जनता को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangement) की गई है,	हाँ।
ङ	यदि हाँ, तो उसका ववरण दें,	संबं धत क्षेत्र में निम्न ल खत आयुष्मान

		आरोग्य मंदिर/ सरकारी स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध हैं ;- 1- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी), तिगड़ी 2- पीयूएचसी, द क्षणपुरी ब्लॉक -5 3- पीयूएचसी, द क्षणपुरी ई ब्लॉक 4- पीयूएचसी, मदनगीर 5- एसपीयूएचसी, संगम वहार एल-2 6- एसपीयूएचसी, संगम वहार बी ब्लॉक 7- एसपीयूएचसी, जवाहर पार्क निम्न ल खत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir) के स्थल खोलने हेतु व्यवहार्य (Feasible) पाए गए हैं ;- 1. जे-3 ब्लॉक, संगम वहार बारात घर 2. सामुदायिक केंद्र, देवली गाँव, दुर्गा वहार के सामने 3. बुद्ध मंदिर बारात घर, बच्चन प्रसाद स्कूल के पीछे, संगम वहार
च	क्या सरकार इन बंद पड़े क्लीनिकों को पुनः संचा लत करने की कोई समयबद्ध योजना रखती है, और	जी नहीं।
छ	यदि हाँ, तो ये कब तक दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे?	उपरोक्तनुसार लागू नहीं होता।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

तारां कत प्रश्न संख्या - 54

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्रीमती आतिशी, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों, आयुष्मान मंदिरों व मोहल्ला क्लीनिकों में दिसंबर 2025 में अनिवार्य दवाओं व कंज्यूमेबल्स (सर्जिकल वस्तुएं जैसे ग्लव्स, सूचर व संरिंज सहित) कतने प्रतिशत तक उपलब्ध थे , अस्पतालवार आंकड़े प्रदान करें;	अस्पतालवार सूची संलग्न है;- अनुलग्नक - क
ख)	लोकनायक, जीटीबी व अंबेडकर जैसे प्रमुख अस्पतालों में 'एसें शयल ड्रग लस्ट' (ईडीएल) में शा मल कतनी दवाइयां 'आउट ऑफ स्टॉक' या ' क्रटिकल शॉर्टेज' की स्थिति में हैं,	लोकनायक, जीटीबी व अंबेडकर से प्राप्त उत्तर की सूची संलग्न है - अनुलग्नक - ख
ग)	वर्ष 2025-26 के लए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) नि वदाओं की वर्तमान स्थिति क्या है,	सर्जिकल कंज्यूमेबल्स-1 के अंतर्गत 432 वस्तुओं के लए ऑर्डर दिया गया हैं। सर्जिकल कंज्यूमेबल्स-2 एवं 3 के लए GeM पोर्टल पर 917 वस्तुओं हेतु टेन्डर फ्लोट कया गया है।
घ)	दवाइयों और कंज्यूमेबल्स के लए सीपीए में एनुअल रेट कॉन्ट्रेक्टों को अंतिम रूप दिए जाने में होने वाले वलंब के क्या कारण हैं;	वर्तमान में CPA के पास 547 दवाओं के लए RC (रेट कॉन्ट्रैक्ट) है।

ङ)	कतनी नि वदाएं बोली लगाने वालों सफलतापूर्वक आवंटित की जा चुकी हैं, ऐसी नि वदाओं की दवाओं व कंज्यूमेबल्स की सूची उपलब्ध कराएं;	वर्तमान में CPA के पास पछले टेंडर 24_ 01 और 24_02 के तहत 309 दवाओं का RC चल रहा है जो 2027 तक वै लड है, इसके अलावा हमने टेंडर नंबर 25_01 के तहत 238 दवाओं का नया RC जारी कया है।
च)	क्या यह सत्य है क अनेक नि वदाओं को 'डस्चार्ज' कर दिया गया या छह महीने से भी अ धक अव ध से 'प्र क्रया जारी है' जिससे अस्पतालों के च कत्सा निदेशकों को महंगी स्थानीय खरीद के लए बाध्य होना पड़ा; संपूर्ण ववरण दें;	टेंडर प्र क्रयाएं निर्धारित नियमों और प्र क्रयाओं के अनुसार शुरू की गईं। हालां क, कुछ कारणों जैसे अपर्याप्त भागीदारी, टेंडर की शर्तों का पालन न करने के कारण, कुछ टेंडर रद्द कर दिए गए।
छ)	1 मार्च 2025 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान (सीपीए से बाहर की) स्थानीय खरीद पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों द्वारा कुल कतना खर्च कया गया,	अस्पतालवार सूची संलग्न है;- अनुलग्नक - क
ज)	सरकार ने 500 से अ धक सभी आयुष्मान मंदिरों व मोहल्ला क्लीनिकों में 'ऑनलाइन ड्रग इनवेंटरी मेनेजमेंट सस्टम' लागू करने के लए क्या कदम उठाए हैं, ता क 'स्टॉक आउट' की समस्या को रोका जा सके और दवाओं की 'एक्सपायरी' पर नज़र रखी जा सके;	संबं धत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
झ)	सुपर स्पेश्यि लटी अस्पतालों के ऑन्कोलौजी और का र्डयोलौजी वभागों की कमी को देखते हुए क्या सरकार ने कोई आपातकालीन उपाय कए हैं जिनसे दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत रो गयों को जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके;	कैंसर के इलाज और दूसरी जान बचाने वाली - बीमारियों के इलाज के लए दिल्ली आरोग्य कोष के जरिए सभी योग्य मरीजों को दवाएं - दी जा रही हैं।

ञ)	क्या सरकार ने वर्ष 2025 में सीपीए की खरीद प्र क्रया को कारगर बनाने में असफल रहने के कारण कसी कर्मचारी या वभाग को चह्नित कया है और क्या इस कारण जनता को होने वाली असु वधा के लए कसी का उत्तरदायित्व निश्चित कया गया है?	सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) का कामकाज संतोषजनक रहा है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या : 55

दिनांक : 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि, माननीय विधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग को लखे गए निम्न ल खत पत्रों पर वभाग द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण ववरण प्रदान करें पत्र संख्या नं0 - 122909/20/12/2022 Dated 20/12/2025	वभाग द्वारा क गई कार्यवाही अनुलग्नक - क
	पत्र संख्या नं0 . 129231/22/5/2025 Dated - 22/05/2025	वभाग द्वारा क गई कार्यवाही अनुलग्नक - ख
	पत्र संख्या नं0 . 124564/02/07/2025 Dated - 02/07/2025	वभाग द्वारा क गई कार्यवाही अनुलग्नक - ग

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्या - 56
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री मनोज कुमार शौकीन, माननीय विधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित हॉस्पिटल के निर्माण कार्य की पूर्णता की जानकारी है	हाँ।
ख	यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है,	अस्पताल की वर्तमान भौतिक प्रगति (Progress Report) 75% है।
	हॉस्पिटल के निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में वर्तमान में कौन-कौन सी समस्याएँ आ रही हैं,	अब तक लगभग 254.29 Cr रुपये खर्च हो चुके हैं। स्वीकृत योजना के अनुसार, अस्पताल B1+B2+G+8 मंज़िलों का होना था। हालांकि, दो अतिरिक्त मंज़िलें बना दी गई हैं। इन अतिरिक्त मंज़िलों और उनके इस्तेमाल के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंज़ूरी प्रतीक्षित है। वित्तीय वर्ष २०२४-२५ से अपर्याप्त निधि की वजह से निर्माण कार्य बाधित रहा है तथा Vigilance और ACB द्वारा मादीपुर अस्पताल प्रोजेक्ट की जांच की जा रही है। कैबिनेट निर्णय संख्या-3277 दिनांकित 04/12/2025 के तहत, अस्पताल के निर्माण कार्य एवम संचालन की दिशा में कैबिनेट ने Transaction Advisor की नियुक्ति का फैसला किया गया है जिसकी निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है।

घ	हॉस्पिटल में कतने बेड स्वीकृत हैं, तथा कतने डॉक्टर, न सैंग स्टाफ एवं पैरामे डकल स्टाफ के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है,	691 बेड्स स्वीकृत हैं। अभी तक डॉक्टर, न सैंग स्टाफ एवं पैरामे डकल स्टाफ के पदों की स्वीकृति नहीं हुई है।
ङ	क्या सरकार द्वारा हॉस्पिटल से संबं धत सभी वभागों के अ धकारियों के साथ निर्माण एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा कए जाने का प्रस्ताव है,	हाँ।
च	यदि हाँ, तो उसका ववरण क्या है, और	सरकार सभी संबं धत वभागों के अ धकारियों के साथ निर्माण एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा कर रही है। कैबिनेट निर्णय संख्या 3277 दिनां कत 04.12.2025 के तहत अस्पताल के निर्माण कार्य एवं संचालन दिशा में कैबिनेट ने Transaction Advisor की नियुक्ति का फैसला कया है।
छ	सरकार द्वारा यह हॉस्पिटल आम जनता के लए पूर्ण सु वधाओं सहित कब तक प्रारंभ कए जाने की संभावना है?	इसी साल 2026 में अस्पताल के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या :– 57
दिनांक :– 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री अहीर दीपक चौधरी (बादली)

क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की : श्री आशीष सूद, गृह मंत्री

प्रश्न		उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में संघठित अपराधी गिरोह नाबालिक बच्चों का अपहरण कर अथवा उन्हें बहका कर गैर–कानूनी एवं गंभीर अपराधों जैसे–शराब तस्करी, जुआ और चोरी में शामिल कर रहे है क्योंकि नाबालिकों पर कठोर	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद–73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन

	दंडात्मक कानून लागू नहीं होते; और	उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद–239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख)	यदि हाँ, तो इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना विचाराधीन है; पूर्ण विवरण प्रदान करें?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

तारांकित प्रश्न संख्या :– 58
दिनांक :– 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नामः– जरनैल सिंह (तिलक नगर)
क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की : श्री आशीष सूद, गृह मंत्री

	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्तमान में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कुल कितने बीट बॉक्स एवं पुलिस बूथ स्थापित है, जोन/जिला–वार उनकी संख्या, स्थान तथा प्रकार (बीट बॉक्स/पुलिस बूथ) का विस्तृत विवरण दिया जाएं;	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद–73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद–239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख)	दिल्ली पुलिस द्वारा इन बीट बॉक्स अथवा पुलिस बूथों के निर्माण/स्थापना के लिए किन–किन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की गई है, विशेष रूप से वर्तमान वर्ष में निर्मित/स्थापित बीट बॉक्स/पुलिस बूथों के संबंध में Land Owning Agency कौन थी, उनसे (NOC) कब प्राप्त की गई, तथा अन्य संबंधित विभागों से ली गई NOC का विस्तृत विवरण दिया जाए;	
ग)	क्या पिछले पाँच वर्षों में दिल्ली पुलिस के किसी अनधिकृत बीट बॉक्स अथवा पुलिस बूथ के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;	
घ)	यदि हाँ, तो वर्ष–वार प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया जाए;	
ड.)	क्या पिछले पाँच वर्षों में ऐसे बीट बॉक्स अथवा पुलिस बूथ हटाए गए हैं, जो बिना आवश्यक अनुमति या NOC के बनाए गए थे; और	
च)	यदि हाँ, तो ऐसे सभी मामलों का स्थान–वार विवरण, हटाने की तिथि तथा संबंधित कार्रवाई का पूरा विवरण दिया जाए?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या:- 59

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- Sh. Sandeep Sehrawat (Matiala)

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

प्रश्न	उत्तर
(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने स्टो पर बस संचालित की जा रही है। रूट नंबर एवं आवृत्ति सहित विवरण द	• मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 48 बस रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। रूट नंबर एवं आवृत्ति सहित विवरण संलग्नक-1 में संलग्न है।
(ख) मटियाला विधानसभा क्षेत्र के बस स्टेंड बस स्टेशनों की स्थिति क्या है, तथा उनकी मरम्मत/पुनर्विकास की कया कोई योजना प्रस्तावित है?	• मटियाला विधान सभा क्षेत्र के बस स्टैंड / बस स्टेशनों की स्थिति मर्रमत के लायक है तथा उनकी मर्रमत की योजना विचाराधीन है।
(ग) यदि हॉ. तो स्थानवार विवरण उपलब्ध कराया जाए।	• सूची संलग्न है।(संलग्नक-2)
(घ)मटियाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित बस स्टेंडों की सूची तथा उनकी वर्तमान	• सूची संलग्न है। तथा उनकी स्थिति मर्रमत करने लायक है। (संलग्नक-

स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए:	2)
(ङ) मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झुलझुली में स्थित फिटनेस टेस्टिंग सेंटर (Fitness Testing Centre) पर प्रतिदिन कितने वाहनों की फिटनेस जांच की क्षमता है, सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं, स्टाफ की संख्या तथा क्षेत्रीय लोगों को होने वाले लाभका विवरण उपलब्ध कराया जाए;	• वर्तमान में प्रतिदिन 360 अपॉइंटमेंट खुले हैं और वीआईयू, झुलझुली में कार्यरत सभी कर्मचारी की संख्या इस प्रकार है: • 1. सरकारी कर्मचारी - 12 staff • 2. डाटा एंट्री ऑपरेटर (निजी) – 03 staff • 3. निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र वीआईयू, झुलझुली संचालक कंपनी M/s Rosmerta Technologies Ltd.- 34 staff • द्वारका ज़ोनल ऑफिस में कुल 20 अधिकारी/कर्मचारी (02 अधिकारी और 18 कर्मचारी) तैनात हैं। इस ज़ोनल ऑफिस में निम्नलिखित कामों के लिए आवेदन प्रोसेस किए जाते हैं:
(च) मटियाला विधान सभा के द्वारका सेक्टर 10 में मोटर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफिस में कितने सरकारी कर्मचारी हैं तथा इसके अंदर कौन-कौन से कार्य किएजाते हैं; और	• वर्तमान में प्रतिदिन 360 अपॉइंटमेंट खुले हैं और वीआईयू, झुलझुली में कार्यरत सभी कर्मचारी की संख्या इस प्रकार है: • 1. सरकारी कर्मचारी - 12 staff • 2. डाटा एंट्री ऑपरेटर (निजी) - 03 staff • 3. निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र वीआईयू, झुलझुली संचालक कंपनी M/s Rosmerta Technologies Ltd.- 34 staff

	• 20 द्वारका ज़ोनल ऑफिस में कुल अधिकारी/कर्मचारी (02 अधिकारी और 18 कर्मचारी) तैनात हैं। इस ज़ोनल ऑफिस में निम्नलिखित कामों के लिए आवेदन प्रोसेस किए जाते हैं: • 1. वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड वाहनों से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन, जिसमें मालिकाना हक का ट्रांसफर, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना, हाइपोथिकेशन को खत्म करना/जारी रखना/जोड़ना, वाहन में बदलाव, वाहन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करना, वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में CNG रेट्रो-फिटमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए रखना, ई-रिक्शा की फिटनेस, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, फॉर्म-11 (MDTS लाइसेंस) जारी करना, और स्किल ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करना, नए लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। • 2. RTI Act, 2005, DRTI Act, 2001 के तहत आवेदन प्रोसेस करना, रोड टैक्स का रिफंड। PGMS/CPGRAM/LG लिसनिंग पोस्ट के तहत मिली शिकायतों को प्रोसेस करना। माननीय अदालतों की याचिकाओं को प्रोसेस करना और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय

	NGT, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना। • 3. समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य।
(छ)यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार पाये जाने की स्थिति में उसकी शिकायत कहां पर की जा सकती है ?	• अगर भ्रष्टाचार वगैरह के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे संबंधित ब्रांच के इंचार्ज, सीनियर ऑफिसर या विजिलेंस ब्रांच में दर्ज कराया जा सकता है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या:- 60

दिनांक :- 08.01.2026

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि एनटीपीसी-बीटीपीसी की जमीन बदरपुर गाँव, आली गाँव, मोल्डबंद गाँव व् जैतपुर गाँव से बेहद कम दामो पर किसानो से बिजली बनाने के लिए अधिग्रहीत की गई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य कि अब एनटीपीसी-बीटीपीसी में बिजली का उत्पादन का पूर्णरुप से बंद हो चुका है;

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार का इस जमीन पर भविष्य के लिए क्या प्रस्ताव् है; और

(घ) क्या दिल्ली सरकार की इस जमीन पर उपरोक्त गाँव के निवासियों के हित में स्कूल, कालेज, पार्क व् सपोर्ट काम्प्लेक्स बनाने की कोई योजना है ?

Government of NCT of Delhi
Land & Building Department
(Parliament Cell)
B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8190 Dated : 06.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 60 (Diary No. 8/4/19) raised by Hon'ble MLA Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 01.01.2026 forwarded therewith the Starred Question No. 60 (Also on NeVA portal) raised by the Hon'ble MLA Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'*.

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully

Encls : As above

Sd/-

Section Officer (PC)

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्नों के ल खत उत्तर

अतारां कत प्रश्न संख्या - 174
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री हरीश खुराना, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और/या भारत सरकार को अपै्रल मई 2021 के दौरान आक्सीजन की मांग और आवश्यकता के संबंध में कए गए सभी पत्राचार, दिए गए एफीडे वट, डेटा सब मशन और पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायें।	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
ख	दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों द्वारा एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अव ध के दौरान ऑक्सीजन की मांग आवंटन और वास्त वक खपत से संबं धत आंकड़े अस्पतालवार प्रदान करें	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
ग	दिल्ली की ऑक्सीजन मांग और उपयोग के संबंध में को वड.19 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को प्राप्त उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त ऑक्सीजन ऑ डट स मति की रिपोर्ट/अंतरिम रिपोर्ट/ निष्कर्षों की प्रतियां प्रदान करें, यदि कोई अंतिम रिपोर्ट आ धकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है तो ऑ डट स मति से प्राप्त कोई भी अंतरिम टिप्प णयों, प्रारूप निष्कर्षों, ईमेल, नोटस या पत्राचार की प्रतियां दे, साथ ही, अंतिम रिपोर्ट को रिकार्ड पर न लाने अथवा सार्वजनिक न करने का कारण दर्शाने वाली फाइल नोटिंग की प्रति भी प्रदान करें,	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
घ	को वड 19 की चरम स्थिति (अप्रेल-मई 2021) के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी

	अनुमानित अथवा मांगी गई, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई व दिल्ली में वास्तव में खपत हुई ऑक्सीजन की मात्रा (मीट्रिक टन में) उपलब्ध कराएं,	जाएगी
ङ	कोविड 19 के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उपयोग की गई गणनाओं, फॉरमूलों, अनुमानों या पद्धतियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं,	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
च	उक्त अवधि के दौरान दिल्ली के अस्पतालों की ऑक्सीजन भंडारण क्षमता के संबंध में यदि पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) की कोई रिपोर्ट या पत्राचार हो, तो उपलब्ध कराएं,	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
छ	उक्त अवधि में दिल्ली सरकार द्वाराए ऑडिट कमेटी द्वारा ऑक्सीजन की मांग को कथित रूप से बढ़ाकर दिखाए जाने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर, की गई कोई भी आंतरिक जांच, समीक्षा या सुधारात्मक कार्रवाई यदि हो, तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं,	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
ज	उन अधिकारियों के नाम और पदनाम बताएं जो कोविड 19 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑक्सीजन मांग से संबंधित आंकड़ों को तैयार करने, अनुमोदित करने तथा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी थे, और	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी
झ	क्या गलत या भ्रामक ऑक्सीजन डेटा प्रस्तुत करने के लिए किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की गई या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें,	वांच्छित सूचना एकत्रित की जा रही ही। जैसे ही प्राप्त होगी वह उपलब्ध करा दी जाएगी

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 175
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री वीर संह धंगान, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है क सीमापुरी वधानसभा की पुनर्वास कॉलोनी नई सीमापुरी के सी-ब्लॉक में दिल्ली सरकार की कोई डस्पेंसरी थी;	जी हाँ।
ख	यदि हां, तो उक्त डस्पेंसरी में रोजाना औसतन कुल कतने मारीज आते थे;	300-350
ग	क्या यह भी सत्य है क वर्षों पूर्व इस डस्पेंसरी को यहां से कहीं दूसरे स्थान पर शफ्ट कर दिया गया है;	जी हाँ।
घ	यदि हां, तो उक्त डस्पेंसरी को सीमापुरी से क्यों हटाया गया;	डस्पेंसरी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्यूंकी पीडब्ल्यूडी द्वारा इस इमारत को असुर क्षत/खतरनाक घो षत कर दिया था।
ङ	क्या यह सत्य है क स्थानीय लोगों को उक्त डस्पेंसरी के जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	जी नहीं।
च	यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डस्पेंसरी को पुनः सीमापुरी के सी-ब्लॉक में बनवाने का कार्य करेगी; और	उपरोकतानुसार लागू नहीं।
छ	यदि हां, तो कब तक?	उपरोकतानुसार लागू नहीं।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 176
दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री उमंग बजाज, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	राजेंद्र नगर वधानसभा के अंतर्गत नारायणा में क्या पछले समय में कोई स्थानीय अस्पताल दिल्ली सरकार द्वारा बनाने की योजना स्वीकृत अथवा योजना बनाई गई थी;	जी हां, राजेन्द्र नगर वधानसभा क्षेत्र के अन्र्तगत नारायणा 'वहार में अस्पताल निर्माण की एक योजना थी।
ख	यदि हां, तो कस स्थान पर यह योजना स्वीकृत की गई थी योजना के दस्तावेज उपलब्ध कराएं जाए; और	राजेन्द्र नगर वधानसभा क्षेत्र के अन्र्तगत ब्लॉक-सी, कम्युनिटी सैन्टर, नारायणा वहार में अस्पताल निर्माण के लये दिल्ली वकास प्रा धकरण द्वारा 2700 वर्ग मीटर भूमी का टुकड़ा आंबटित कया गया था। जिसका कब्जा दिल्ली वकास प्रा धकरण से महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें ने दिनांक 05.09.2013 लेकर लोक निर्माण वभाग को निर्माण संबंधी गति व धयों के दिया गया था।
ग	वर्तमान में इस योजना की क्या वस्तुस्थिति है इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए?	पछली दिल्ली सरकार द्वारा उक्त भूमी पर पॉ लक्लिनिक के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अपनाने के उपरान्त उक्त भूमी पर कस प्रकार की सु वधा का निर्माण कया जाये इसके लये एक प्रस्ताव ई-फाईल सं E-271993 में स्वास्थ्य एवम् परिवार वभाग, दिल्ली सरकार के पास वचाराधीन है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 177

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री कैलाश गंगवाल, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	मादीपुर वधानसभा में मादीपुर कालोनी के अन्दर सरकार 1000 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल बना रही है, इस अस्पताल का निर्माण कार्य काफी दिनों से रूका हुआ है, क्या कारण है;	मादीपुर अस्पताल 691 बेड्स का है। स्वीकृत योजना के अनुसार, अस्पताल B1+B2+G+8 मंज़िलों का होना था। हालां क, दो अतिरिक्त मंज़िलें बना दी गई हैं। इन अतिरिक्त मंज़िलों और उनके इस्तेमाल के लए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी प्रती क्षत है। वत्तीय वर्ष २०२४-२५ से अपर्याप्त नि ध की वजह से निर्माण कार्य बा धत रहा है तथा Vigilance और ACB द्वारा मादीपुर अस्पताल प्रोजेक्ट की जांच की जा रही है। कैबिनेट निर्णय संख्या-3277 दिनां कत 04/12/2025 के तहत, अस्पताल के निर्माण कार्य एवम संचालन की दिशा में कैबिनेट ने Transaction Advisor की नियुक्ति का फैसला कया गया है जिसकी नि वदा प्र क्रया का कार्य प्रगति पर है।
ख	इस अस्पताल को बनाने में सरकार कतना खर्च कर रही है;	अब तक लगभग 255.32Cr. रूप्ए खर्च हो चुके हैं।
ग	यह अस्पताल कब-तक बनकर तैयार हो जायेगा व गरीबों को कब-तक इसका स्वास्थय लाभ मल सकेगा; और	इसी साल 2026 में अस्पताल के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है।
घ	क्या यह अस्पताल Super Specialty होगा?	हाँ, यह अस्पताल Super Specialty होगा

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 178

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री संदीप शहरावत, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	मटियाला वधानसभा क्षेत्र में कतने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वीकृत हैं, कतने कार्यरत हैं तथा कतने अभी निर्माणाधीन हैं, स्थानवार ववरण दें;	मटियाला वधानसभा क्षेत्र में यूपीएचसी उप-केंद्रों सहित कुल 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रस्ता वत हैं। वर्तमान में दिल्ली सरकार के 7 यूपीएचसी तथा एमसीडी का 1 उप-केंद्र का उद्घाटन कया जा चुका है। दो स्थल निर्माणाधीन हैं, जिनमें ईडब्ल्यूएस (डीयूएसआईबी), सेक्टर-16 बी तथा एमसीडी एलोपैथी डस्पेंसरी, छावला शा मल हैं।
ख	मटियाला वधानसभा क्षेत्र में प्रस्ता वत नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कया जाएगा;	पीडब्ल्यूडी के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कया जा चुका है।
ग	मटियाला वधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं वर्तमान में लागू हैं तथा उनसे कतने लाभा र्थयों को लाभ मला है, योजनावार ववरण दें; और	द क्षण-पश्चिम जिला में स्वास्थ्य हेतु स्वीकृत सभी सरकारी योजनाएँ सुचारू रूप से कयान्वित की जा रही हैं, जिनमें पीएमजेएवाई (लगभग 70,000 लाभार्थी पंजीकृत) तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शा मल हैं।
घ	इंदिरा गांधी अस्पताल में उपलब्ध प्रमुख च कत्सा सु वधाओं का ववरण क्या है, अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों एवं वशेषज्ञ च कत्सकों की संख्या का भी ववरण उपलब्ध कराया जाए?	इंदिरा गांधी अस्पताल में उपलब्ध प्रमुख च कत्सा सेवाएं निम्न हैं ;- 1. ओपीडी 2. आईपीडी 3. ओ0टी0 4. आईसीयू 5. फार्मेसी 6. डाय ल सस 7. अन्डर पीपीपी 8. लैब सेवाएं 9. रे डयोलॉजी सेवाएं

		10. शवगृह (डेड बॉडी स्टॉरिज) कार्यरत डॉक्टर एवं वशेष च कत्सक - 237 मे डकल ऑ फसर - 25 जूनियर रेसीडेंट - 85 सीनियर रेसीडेंट - 95 वशेषज्ञ च कत्सक - 32

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 179
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री मनोज कुमार शौकीन, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को नांगलोई जाट वधानसभा क्षेत्र में नवनि र्मत हॉस्पिटल के निर्माण कार्य की पूर्णता की जानकारी है	हाँ।
ख	यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है,	अस्पताल की वर्तमान भौतिक प्रगति (Progress Report) 75% है।
	हॉस्पिटल के निर्माण कार्य पर अब तक कुल कतनी धनरा श व्यय की जा चुकी है तथा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में वर्तमान में कौन-कौन सी समस्याएँ आ रही हैं,	अब तक लगभग 254.29 Cr रुपये खर्च हो चुके हैं। स्वीकृत योजना के अनुसार, अस्पताल B1+B2+G+8 मंज़िलों का होना था। हालां क, दो अतिरिक्त मंज़िलें बना दी गई हैं। इन अतिरिक्त मंज़िलों और उनके इस्तेमाल के लए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी प्रती क्षत है। वत्तीय वर्ष २०२४-२५ से अपर्याप्त नि ध की वजह से निर्माण

		कार्य बा धत रहा है तथा Vigilance और ACB द्वारा मादीपुर अस्पताल प्रोजेक्ट की जांच की जा रही है। कैबिनेट निर्णय संख्या-3277 दिनां कत 04/12/2025 के तहत, अस्पताल के निर्माण कार्य एवम संचालन की दिशा में कैबिनेट ने Transaction Advisor की नियुक्ति का फैसला कया गया है जिसकी नि वदा प्र क्रया का कार्य प्रगति पर है।
घ	हॉस्पिटल में कतने बेड स्वीकृत हैं, तथा कतने डॉक्टर, न र्संग स्टाफ एवं पैरामे डकल स्टाफ के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है,	691 बेड्स स्वीकृत हैं। अभी तक डॉक्टर, न र्संग स्टाफ एवं पैरामे डकल स्टाफ के पदों की स्वीकृति नहीं हुई है।
ङ	क्या सरकार द्वारा हॉस्पिटल से संबं धत सभी वभागों के अ धकारियों के साथ निर्माण एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा कए जाने का प्रस्ताव है,	हाँ।
च	यदि हाँ, तो उसका ववरण क्या है, और	सरकार सभी संबं धत वभागों के अ धकारियों के साथ निर्माण एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा कर रही है। कैबिनेट निर्णय संख्या 3277 दिनां कत 04.12.2025 के तहत अस्पताल के निर्माण कार्य एवं संचालन दिशा में कैबिनेट ने Transaction Advisor की नियुक्ति का फैसला कया है।
छ	सरकार द्वारा यह हॉस्पिटल आम जनता के लए पूर्ण सु वधाओं सहित कब तक प्रारंभ कए जाने की संभावना है?	इसी साल 2026 में अस्पताल के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 180
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्रीमती आतिशी, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना कब प्रारंभ की गई थी;	दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना की शुरूआत 10 अप्रेल 2025 में की गई थी।
ख	अब तक दिल्ली में कतने आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र स्था पत कए गए हैं, सभी केंद्रों की सूची दें;	238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सूची सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है- https://dgehs.delhi.gov.in/dghs /orders-circulars
ग	आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के प्रारंभ से पूर्व दिल्ली में कतने मोहल्ला क्लीनिक एवं सरकारी औषधालय चल रहे थे;	आयुष्मान आरोग्य मंदिर के खुलने से पहले दिल्ली में 553 मोहल्ला क्लीनिक कार्यरत थे एवं 173 औषधालय चल रहें हैं।
घ	इस समय दिल्ली में कतने मोहल्ला क्लीनिक एवं औषधालय चल रहे हैं;	इस समय दिल्ली में 242 मोहल्ला क्लीनिक एवं 95 औषधालय चल रहें हैं।
ङ	जिन मोहल्ला क्लीनिकों व औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य क्लीनिकों में परिवर्तित कया गया है, उनकी कुल संख्या व नाम सहित संपूर्ण सूची प्रदान करें; और	16 मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कया गया है। सूची सलंगन है। (अनुलग्नक -1) 213 प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्रों (अनुलग्नक-2) में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कया गया है। इन प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं।
च	मोहल्ला क्लीनिकों में कतने	1- 31 March 2025 तक मोहल्ला क्लीनिकों में

<table>
<tr>
<td></td>
<td>डाक्टर, लैब तकनी शयन व अन्य कर्मचारी कार्यरत थे, मोहल्ला क्लीनिकों के बंद होने के कारण कतने कर्मचारियों को सेवाओं से हटाया गया और क्या सरकार की ओर से इन हटाए गए कर्मचारियों को आरोग्य मंदिरों या अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है</td>
<td>
पैनलबद्ध कर्मचारियों की संख्या

<table>
<tr><td>Doctors</td><td>Pharmacist</td><td>MCA</td><td>MTW</td></tr>
<tr><td>494</td><td>521</td><td>489</td><td>413</td></tr>
</table>

2- 31 March 2025 तक सेवामुक्त कए गए कर्मचारियों की कुल संख्या

<table>
<tr><td>Doctors</td><td>Pharmacist</td><td>MCA</td><td>MTW</td></tr>
<tr><td>270</td><td>127</td><td>151</td><td>97</td></tr>
</table>

3. सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत कर्मचारियों के लए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कए गए प्रावधानः-

(i) आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों को एक बार के लए 10 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की गई है तथा

(ii) उनके कार्य अनुभव (वर्षों में) को भी चयन हेतु अंक निर्धारण मानदंड में वेटेज दिया गया है।

4. इन प्रावधानों की वजह से प्रथम चरण में व भन्न श्रे णयों के कर्मचारियों हेतु वज्ञा पत कुल पदों की संख्या तथा मोहल्ला क्लिनिक से चयनित अभ्य र्थयों की संख्या निम्नानुसर है:-

<table>
<tr><td></td><td>Category Of staff</td><td>Total numberof post adcertise</td><td>Number of candidate Selected from mohalla clinic</td><td>Number of candidate selected in waiting list from mohalla clinic</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Doctor</td><td>230</td><td>108</td><td>66</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pharmacist</td><td>110</td><td>96</td><td>94</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MCA</td><td>320</td><td colspan="2">Interview process is going on</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MTW</td><td>Outsourcd</td><td colspan="2">Process is under way</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 181
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री चौधरी ज़ुबैर अहमद, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है क जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में जीटीबी तथा पंत अस्पताल के समकक्ष कार्य करने की पूरी क्षमता है, ले कन वर्तमान में संसाधनों की कमी के कारण यह अस्पताल अपनी कुल क्षमता के लगभग एक-तिहाई पर ही संचा लत हो रहा है;	यह सत्य नहीं है।
ख	क्या सरकार को इस अस्पताल में न सिंग स्टाफ की नियुक्तियों के संबंध में भ्रष्टाचार एवं प्रति पद ₹70,000 से ₹90,000 तक अवैध रा श वसूले जाने संबंधी शकायतें प्राप्त हुई हैं;	इस प्रकार क कोई भी शकायत प्राप्त नहीं हुई है।
ग	यदि हाँ, तो इन शकायतों की जाँच के लए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और	उपरोकतानुसार लागू नहीं होता।
घ	क्या सरकार न सिंग सहित अन्य नियुक्तियों को अ धक पारदर्शी एवं पेशेवर बनाने के लए इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के माध्यम से करने पर वचार कर रही है?	नहीं।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या - 182
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - डॉ० अनिल गोयल, माननीय विधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट या हिंसा की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं, वर्षवार विवरण दें;	दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों एवं DHGS से प्राप्त उत्तरों के आधार पर वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है;- 2021- 14 2022 - 14 2023- 24 2024- 49 2025 - 48
ख	इन घटनाओं में से कितनी घटनाओं में अस्पताल प्रशासन द्वारा स्वयं आगे बढ़कर Institutional FIR दर्ज कराई गई है;	दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों एवं DHGS से प्राप्त उत्तरों के आधार पर इन घटनाओं पर दर्ज कराई गई Institutional FIR कि संख्या ;- 33 है।
ग	डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या Action Plan तैयार किया है; और	डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए;- 1. विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। 2. अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की हुई हैं ;- 3. इस तरह कि घाटन से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं एवं एवं अस्पतालों मे विभिन्न स्थानों में सूचना निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं 4. भारतीय न्याय संहिता कि विभिन्न धाराओं से संबंधित सूचना अस्पताल परिसर के विभिन्न स्थानों पर

		प्रद र्शत क गई है 5. सीसीटीवी कैमरे व भन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। 6. आपातकालीन वभाग में दिल्ली पु लस के सुरक्षा कर्मचारी ड्यूटी पर नियुक्त रहते हैं। 7. दिल्ली पु लस क सुरक्षा वन लगातार निरीक्षण हेतु राउन्ड लगती है।
घ	क्या सरकार दो षयों के खलाफ सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लए कसी वशेष सेल का गठन करने पर वचार कर रही है?	ऐसा कोई प्रस्ताव वचाराधीन नहीं है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 183
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री मोहन संह बिष्ट, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	मुस्तफाबाद वधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के शव वहार के अन्तर्गत संचाई एवं बाढ़ नियंत्रण वभाग द्वारा बनाए गए बारात घर की उपलब्धता होने के बावजूद भी सरकारी डस्पेंसरी न खालेने के क्या कारण हैं पूर्ण ववरण दें; और	मुस्तफाबाद वधानसभा क्षेत्र (एसी-69) के कम्युनिटी सेंटर G-16 शव वहार फेज-6 का डीडीए से रेवेन्यू डपार्टमेंट को हैंड ओवर होने के बाद PWD द्वारा काम शुरू करवा दिया जायेगा।
ख	क्या यह भी सत्य है क उपरोक्त जगह पर वभाग द्वारा भ वष्य में इस तरह की कोई योजना प्रस्ता वत है, पूर्ण ववरण दें?	उपरोक्त जगह पर वभाग द्वारा भ वष्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की योजना प्रस्ता वत है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 184
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री मोहन संह बिष्ट, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	मुस्तफाबाद वधान सभा क्षेत्र (एसी-69) की घनी आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र में सरकारी डस्पेंसरी कहां-कहां बनाई गई और कहां-कहां पर यह कार्यरत है उनका पूर्ण ववरण अ धकारियों एवं कर्मचारियों सहित उपलब्ध कराएं; और	इसका उत्तर उत्तर संलग्न है - अनुलग्नक - क
ख	जगह की उपलब्धता होने के बावजूद भी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर न खोले जाने के क्या कारण हैं, इसका पूर्ण ववरण दे?	एमसी डब्ल्यू करावल नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुचारु रूप से सेवा में है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 185
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री चौधर ज़ुबैर अहमद, माननीय वधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	सतंबर 2025 में संजय गांधी मेमोरियल, गुरु गोबिंद संह, आचार्य श्री भक्षु, श्री दादा देव और भगवान महावीर अस्पतालों में उद्घाटन कए गए नए ब्लॉको में	**इस संबंध में** संजय गांधी मेमोरियल, गुरु गोबिंद संह, आचार्य श्री भक्षु, श्री दादा देव और भगवान महावीर से प्राप्त उत्तर संलग्न है;-

	कर्मचारियों की स्वीकृत बनाम वास्त वक संख्या क्या है, जिसमें वभागवार वशेषज्ञ डॉक्टर, जीडीएमओ, सीनियर व जूनियर नर्स, पैरामै डकल स्टाफ, सहायक कर्मचारी जैसे सफाई व सुरक्षा कर्मचारी की जानकारी भी सम्मि लत हो;	अनुलग्नक - क
ख	क्या एमआरआई, सीटी स्कैन, का र्डयोलौजी और न्यूरोसर्जरी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं वशेष जनशक्ति की कमी के कारण निष्क्रिय हैं और यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने की प्र क्रया और समय-सीमा की जानकारी दें;	जी नहीं
ग	इन ब्लॉको के लए कतने डॉक्टर और पैरामे डकल स्टाफ की नई भर्ती की गई है और कतने अन्य वंग से स्थानांतरित कए गए हैं;	कसी कर्मचारी की नई भर्ती नहीं की गई है, पूर्व स्वीकृत कर्मचारियों को ही स्थानांतरित कया गया है।
घ	क्या कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लए इनमें से कसी भी ब्लॉको को पीपीपी मॉडल के तहत संचा लत करने पर वचार कया जा रहा है;	गुरु गोबिंद संह अस्पताल मे IPHS दिशा निर्देशों के अनुसार फाइल प्रोसेस में है।
ङ	रिक्त स्थाई पदों को भरने के लए यूपीएससी और डीएसएसएसबी को भेजे गए मांगपत्रों की स्थिति की जानकारी दें;	UPSC को रिक्विज़िशन भेजे जाने के उद्देश्य से अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। तथा 232 जनरल ड्यूटी मे डकल ऑ फसर (GDMO) तथा 258 नॉन-टी चंग स्पेश लस्ट (NTS) के पदों का वविरण 2023 में भेजा गया है। एवं पैरामे डकल के 1068 रिक्त स्थाई पदों को भरने के लए डीएसएसएसबी को मांगपत्र भेजे गए है।
च	क्या बढ़ी हुई बिस्तर क्षमता को देखते हुए 'नर्स टू पेशेंट' अनुपात आईएनसी मानदंडों को पूरा करता है, और	इस संबंध में संजय गांधी मेमोरियल, गुरु गोबिंद संह, आचार्य श्री भक्षु, श्री दादा देव और भगवान महावीर से प्राप्त उत्तर संलग्न है;- अनुलग्नक - क

छ	यदि नही, तो इस अंतर के क्या कारण है?	उपरोकतानुसार

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या - 186

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री कुलदीप कुमार, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नए बहुमंजिला क्लिनिकल ब्लॉक के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, इस परियोजना को मूलतः कस तारीख को पूरा करके अस्पताल प्रशासन को सौंपा जाना था	90% पूर्ण, इस परियोजना को मूलता 01.04.2021 को सौंपा जाना था,
ख	इस परियोजना के पूरा होने में वलंब के क्या कारण है, दिसंबर 2025 तक आने वाली बाधाओं, जैसे पर्यावरण मंजूरी, ठेकेदार की चूक या फं डंग के मुद्दे आदि का वर्षवार ववरण प्रदान करें;	बजट वलम्ब, को वड के दौरान की पाबंदी, समय समय पर NGT, DPCC पाबंदी
ग	वत्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान, इस साइट पर काम की धीमी गति के संबंध में स्वास्थ्य वभाग और लोक निर्माण वभाग के बीच पत्राचार व एतद्संबंधी फाइल नोटिंग की प्रति प्रदान करें;	जानकारी उपलब्ध नहीं है
घ	नए ब्लॉक की मूल स्वीकृत लागत क्या थी, वलंब के कारण लागत में कतनी वृद्ध हुई और दिसंबर 2025 तक संशो धत अनुमानित लागत	143.73 Cr. वलंब के कारण लागत में कोई वृद्ध नहीं, मंजूरी सीमा के

	क्या है;	भीतर
ङ	क्या वत्त वभाग ने संशो धत लागत अनुमानों पर कोई आप त्त जताई है, यदि हां, तो कृपया एतद्संबंधी नोटिंग प्रदान करें;	लागू नहीं
च	क्या यह सत्य है क स्वास्थ्य वभाग ने निर्माण वलंब के लए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कया है या दं डत कया है, यदि हां, तो दंड का ववरण और निर्माण एजेंसी का नाम बताएं;	लागू नहीं
छ	इस ब्लॉक के पूरा होने पर कतने अतिरिक्त बिस्तर, आईसीयू यूनिट और ऑपरेशन थएटर जुड़ने की संभावना है;	460 बेड, 12 आईसीयू बेड, 06 ऑपरेशन थएटर, 02 आपातकालीन ओ0 टी 0
ज	इस परियोना के पूरे होने तक, पूर्वी दिल्ली में वशेष स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का प्रबंधन कैसे कया जा रहा है;	लागू नहीं
झ	नए ब्लॉक के उद्घाटन की नवीनतम संशो धत समय सीमा और अक्टूबर तथा नवंबर 2025 की मा सक प्रगति रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें; और	30.04.2026 (प्रति संलग्न-1) (संभा वत)
ञ	वर्ष 2025 में पीडब्ल्यूडी के गुणवत्ता नियंत्रण सेल या स्वास्थ्य वभाग द्वारा आधी-अधूरी संरचना की गुणवत्ता को सत्या पत करने के लए कए गए कसी भी बाहरी ऑ डट या साइट निरीक्षण का ववरण प्रदान करें	समय - समय पर साइट निरीक्षण के गुणवत्ता सत्या पत करने के लए PWD ने बाहरी ऑ डट कान्ट्रैक्ट कया है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री सूर्य प्रकाश खत्री
दिनांक : 08.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–187** व 08/4/304

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि 90–100 एकड़ के विशाल भू–भाग पर बने हुए राजन बाबू टी.बी. अस्पताल की भूमि का वर्तमान स्वरूप में उपयोग क्षेत्र की बढ़ती स्वास्थ आवश्यकताओं की तुलना में बहुत सीमित है,	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** टी.बी. के संक्रमण को रोकने हेतु टी.बी. अस्पतालों में वार्डो को प्रथक (अलग) रखा जाना आवश्यक है । अतः टी.बी. अस्पताल के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि आस–पास के कई विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े और आधुनिक सरकारी अस्पताल की अनुपस्थिति के कारण नागरिकों को गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु दूर–दराज के अस्पतालों में जाना पड़ता है ।	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** इस विधानसभा क्षेत्र के आस–पास दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली सरकार के निम्नलिखित सरकारी अस्पताल उपलब्ध है । 1. बाबू जगजीवन राम स्मारक (बीजेआरएम) अस्पताल जहांगीरपुरी 2. हिन्दू राव अस्पताल 3. बुराड़ी अस्पताल 4. महर्षि वाल्मीकि संक्रमण रोग अस्पताल 5. बालक राम अस्पताल
ग	क्या राजन बाबू टी. बी. अस्पताल को दिल्ली से अपेक्षाकृत दूर किसी शांत एवं उपयुक्त स्थान पर स्थानातंरित कर वर्तमान भूमि पर एक आधुनिक, बहुविशेषज्ञ और उच्चस्तरीय सरकारी अस्पताल के निर्माण की सरकार की कोई योजना है, और	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** (ग) एवं (घ) राजन बाबू टी. बी. अस्पताल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की कोई ऐसी योजना नहीं है। दिल्ली नगर निगम जमीन का मेडिकल से संबंधित इस्तेमाल करने की योजना पर कार्य कर रहा है ।
घ	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दे?	

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

अतारां कत प्रश्न संख्या - 188

दिनांक - 08.01.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - डॉ0 अजय दत्त, माननीय वधायक

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer) और नियुक्ति की प्र क्रया क्या है तथा क्या 3 साल बाद तबादला अनिवार्य है;	अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति UPSC के द्वारा की जाती है। सेक्शन 45(H) (1)- GNCT ऑफ़ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के प्रावधानों के तहत, सभी ग्रुप 'A' अ धकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सफारिश करने की शक्तियाँ नेशनल कै पटल स वल स र्वस अथॉरिटी (NCCSA) के पास हैं, जो ग्रुप 'A' अ धकारियों के ट्रांसफर/पोस्टिंग की सफारिश करने के लए सक्षम अथॉरिटी है और सेक्शन 45 (H) (3) के तहत, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी सफारिश मलने के बाद, की गई सफारिश को लागू करने के लए उ चत आदेश पारित कर सकते हैं। DSSSB द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से निय मत न र्संग अ धकारी की नियुक्ति की जाती है। न र्संग स्टाफ का स्थानांतरण, स्थानांतरण आवेदन की प्रामा णकता तथा अस्पतालों में न र्संग स्टाफ की आवश्यकता के आधार पर कया जाता है।
ख	यदि नहीं, तो अ धकतम समय सीमा क्या है;	
ग	क्या मरीजों को अभी भी सभी दवाइयां मुफ्त मल रही हैं;	हाँ
घ	पूर्व में जो 450 प्रकार की दवाइयां मुफ्त मलती थीं, उनमें से कतनी और क्यों बंद की गईं;	कसी भी प्रकार की दवाइयाँ बंद नहीं की गई हैं।
ङ	पछले 3 वर्षों में कतने अनुबंध (Contract) कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाला गया, उनके नाम और हटाए जाने का कारण बताएं;	प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु तेग बहादुर अस्पताल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, जुलाई 2024 से अब तक केवल 01 अनुबंध कर्मचारी को हटाया गया है जिसका ववरण निम्न है। नाम- सौरभ शर्मा, पद रे डयोग्राफर, हटाये जाने का कारण बैंक खाते में अना धकृत लेन-देन

च	पिछले 3 वर्षों में नर्सिंग अर्दली, सफाई और सुरक्षा गार्ड का ठेका किन ठेकेदारों को दिया गया, उनके नाम, पते और फोन नंबर सहित सूची उपलब्ध कराएं;	अस्पतालवार सूची संलग्न है;- अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-ख
छ	क्या ठेके के कर्मचारियों को PF और ESI, Gratuity की सुविधा मिल रही है;	हाँ, नियमानुसार
ज	यदि हाँ, तो लाभार्थी कर्मचारियों का विवरण दें; और	अस्पतालवार सूची संलग्न है;- अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-ख
झ	पिछले 3 वर्षों में कर्मचारियों के उत्पीड़न (Harassment) के कितने मामले दर्ज हुए और प्रशासन द्वारा उन पर क्या ठोस कार्यवाही की गई?	अस्पतालवार सूची संलग्न है;- अनुलग्नक-क और अनुलग्नक-ख

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या - 189
दिनांक - 08.01.2025
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री अशोक गोयल, माननीय विधायक
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
क	मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के अस्पताल व डिस्पेंसरी की कुल संख्या कितनी है, पूर्ण विवरण दें;	एक
ख	क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कोई नया अस्पताल व डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया है;	जी नहीं
ग	यदि हां, तो उनका व उन पर लगने वाली लागत का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाये;	उपरोकतानुसार लागू नहीं होता।
घ	क्या मॉडल टाउन विधानसभा में दिल्ली सरकार के नए हॉस्पिटल्स	जी हाँ।

	और डस्पेंसरी खोलने की योजना है; और	
ङ	अगर हां, तो पूरा ववरण दें	मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौकी नं-4, में अस्पताल निर्माण के लये दिल्ली वकास प्रा धकरण द्वारा 12071 वर्ग मीटर भूमी का टुकड़ा आंबटित कया गया है। जिसका कब्जा दिल्ली वकास प्रा धकरण से महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें नें दिनांक 30. 01.2024 लेकर लोक निर्माण वभाग को, निर्माण संबंधी गति व धयों को दिया गया है। वर्तमान में लोक निर्माण वभाग से चारदिवारी के निर्माण के लये प्रारं भक अनुमान (Preliminary Estimate) प्राप्त हुआ है जिसकी मंजूरी आदेश (Sanction Order) जारी करने के लये वभागीय कार्यवाही की जा रही है। मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत जी.टी. करनाल रोड पर डस्पेंसरी निर्माण के लये दिल्ली वकास प्रा धकरण द्वारा 1000 वर्ग मीटर भूमी का टुकड़ा कया गया है। जिसका कब्जा दिल्ली वकास प्रा धकरण से महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें नें दिनांक 05.10.2021 को लेकर लोक निर्माण वभाग को निर्माण संबंधी गति व धयों के लए दिया गया है। पछली दिल्ली सरकार द्वारा उक्त भूमी पर पॉ लक्लिनिक के निर्माण को मंजूरी दी गयी थी। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अपनाने के उपरान्त उक्त भूमी पर कस प्रकार की सु वधा का निर्माण कया जाये इसके लये एक प्रस्ताव ई-फाईल वचारधीन है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी कया गया है।

अतारां कत प्रश्न संख्या : 190

दिनांक : 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय श्री करनैल संह (शकूर बस्ती)

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

क्रम	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा वभाग ने	शकूरबस्ती, जिला उत्तर-पश्चिम में डॉ. श्रीकांत

	खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच करने के लए शकूरबस्ती वधानसभा क्षेत्र में कतने निरीक्षक नियुक्त कए हुए हैं?	आर. ताप ड़या, DANICS, ना मत अ धकारी के रूप में कार्यरत हैं।
(ख)	पछले एक साल के दौरान शकूरबस्ती वधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कतने नमूने जांच के लए उठाए गए और उनमें से कतने नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए?	खाद्य सुरक्षा वभाग द्वारा शकूरबस्ती क्षेत्र से कुल पाँच खाद्य नमूने लए गए, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अ धनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप पाए गए।
(ग)	जिन दुकानदारों के नमूने जांच में निर्धारित पैमानों पर खरे नहीं पाए गए, उनके वरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?	लागू नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 191

दिनांक:- 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम:- माननीय अनिल झा (किराड़ी)

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रम	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है क कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस बिना कसी वैध FSSAI (Food Safety) लाइसेंस के अवैध रूप से संचा लत हो रहे हैं जहाँ शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसा जाता है	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र जिला उत्तर पश्चिम में जो वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस हैए उन परिसरों में कोई भी रसोई उपलब्ध नहीं है तथा वहाँ संचालित कार्यक्रमों के लिए रसोई का प्रबंध बाहर किसी केटरर से कार्यक्रम करवाने वाले व्यक्ति करते है। इसलिए इन वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस इन परिसरों में FSSAI की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
ख	क्या यह भी सत्य है क ऐसे प्रतिष्ठान जनता से भारी शुल्क/मोटी कमाई तो करते हैं कंतु भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता रसोई की स्थिति खाद्य सामग्री के भंडारण कर्मचारियों के मे डकल फटनेस प्रमाण-पत्र एवं खाद्य/स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे अनिवार्य मानकों का पालन नहीं कया जाता हैय	लागू नहीं है।
ग	क्या यह सत्य है क इन वाटिकाओं/बैंक्वेट हॉल में परोसे जा रहे असुर क्षत भोजन के कारण फूड प्वाइजनिंग बीमारी एवं अन्य	विगत तीन वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

	आकस्मिक घटनाओं की शकायतें लगातार सामने आ रही हैं	
घ	यदि हाँ तो वगत तीन वर्षों में कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में ऐसी कतनी घटनाएँ दर्ज की गई हैं	लागू नहीं है।
ड़	क्या सरकार यह बताएगी क कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में अब तक कतनी वाटिकाओं/बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण कया गया कतनों के पास FSSAI लाइसेंस नहीं पाया गया तथा उनके वरुद्ध क्या-क्या दंडात्मक कार्रवाई (सी लंग जुर्माना एफआईआर आदि) की गई	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र जिला उत्तर पश्चिम में जो वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस हैए उन परिसरों में कोई भी रसोई उपलब्ध नहीं है तथा वहाँ संचालित कार्यक्रमों के लिए रसोई का प्रबंध बाहर किसी केटरर से कार्यक्रम करवाने वाले व्यक्ति करते है। इसलिए इन वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस इन परिसरों में FSSAI की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
च	क्या सरकार कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में वशेष संयुक्त जांच अ भयान चलाकर बिना लाइसेंस संचा लत वाटिकाओं/बैंक्वेट हॉल को बंद करने खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा भ वष्य में कसी भी जनहानि अथवा आकस्मिक घटना को रोकने हेतु ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर रही है और	विभाग द्वारा सम्पूर्ण दिल्ली में समय.समय पर विशेष अभियान के तहत वाटिका/बैंक्वेट हॉल/फार्म हाउस के निरक्षण किसी भी आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए किये जाते है।
छ	यदि हाँ तो उसका ववरण क्या है	लागू नहीं है।

अतारां कत प्रश्न संख्या : 192

दिनांक : 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय *जरनैल संह* (*तिलक* नगर)

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

क्रम	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली में Food Safety सुनिश्चित करने के संबंध में दिल्ली सरकार की वर्तमान नीति क्या है? इससे संबं धत नियम, मानक तथा दिशा-निर्देशों का वस्तृत ववरण दिया जाए।	खाद्य सुरक्षा वभाग समय-समय पर व भन्न खाद्य साम ग्रयों एवं खाद्य पदार्थों की जांच हेतु वशेष अ भयान चलाता है। इन अ भयानों के अंतर्गत दूध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, त्योहारों पर मठाइयाँ, बोतलबंद पानी, अनाज, दाल, मांस, मछली एवं उनसे

		बने उत्पादों के नमूने लए जाते हैं। सभी जांच FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती हैं।
(ख)	दिल्ली में Food Safety सुनिश्चित करने के लए वभाग द्वारा ज़ोन-वार/जिला-वार कौन-कौन से अ धकारी नियुक्त कए गए हैं? संबं धत अ धकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क ववरण सहित जानकारी दी जाए।	वर्तमान में ज़ोन के स्थान पर जिला-वार अ धकारियों की नियुक्ति की गई है। 1. डॉ. श्रीकांत आर. ताप ड़या, DANICS – जिले: पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, द क्षण-पश्चिम, शाहदरा, नई दिल्ली, उत्तर, पश्चिम एवं द क्षण-पूर्व। 2. श्री सतीश कुमार गुप्ता – जिले: सेंट्रल एवं द क्षण।
(ग)	पछले पाँच वर्षों में Food Safety सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वभाग द्वारा कन- कन स्थानों से खाद्य नमूने लए गए हैं?	खाद्य सुरक्षा अ धनियम, 2006 के अंतर्गत लए गए नमूनों में मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबं धत प्रतिष्ठान के वरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
(घ)	यदि कसी नागरिक को Food Safety से संबं धत कोई शकायत दर्ज करानी हो तो उसके लए निर्धारित प्र क्रया, संपर्क माध्यम एवं समय-सीमा क्या है?	वभाग द्वारा शकायत दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर 1800113921 एवं ई-मेल cfss.delhi@nic.in उपलब्ध है। शकायतों का निस्तारण यथाशीघ्र अथवा अ धकतम 30 दिनों के भीतर कया जाता है।
(ङ)	त्योहारों के दौरान बिकने वाली मठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वभाग द्वारा क्या वशेष व्यवस्था की जाती है?	त्योहारों के दौरान वभाग द्वारा वशेष अ भयान चलाकर मठाइयों, खोया एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने व भन्न मं डयों एवं बाजारों से लए जाते हैं।
(च)	पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर वधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा से संबं धत नियुक्त अ धकारियों का ववरण दिया जाए।	वर्तमान में तिलक नगर वधानसभा क्षेत्र हेतु कोई पृथक अ धकारी नियुक्त नहीं है। संपर्क: 1800113921, ई-मेल: aocfss@delhi.nic.in

अतारांकित प्रश्न संख्या . 193

दिनांक . 08 / 01 /2026

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में इस समय दूध की काफी कमी है फिर भी दिल्ली की जनता को दूध भरपूर मात्रा में सप्लाई हो रहा है	खाद्य संरक्षा विभाग के पास दूध की कमी या अधिकता से सम्बंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं।
ख	यदि हाँ तो जनता को मिलावट-रहित दूध मिले इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है	खाद्य संरक्षा विभाग विगत वर्षो में विशेष अभियान के तहत दूध के नमूने निरंतर ले है।
ग	क्या सरकार दिल्ली की सब्जी मंडी एवं दुकानों पर बड़ी मात्रा में मौजूद दूध पनीर	हां

	खोया एवं दूध से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने समय-समय पर लेकर प्रयोगशाला में जांच करवाती है और	
घ	दिल्ली-एनसीआर में गाय-भैंस की भारी कमी के बावजूद दूध पनीर खोया बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के क्या कारण हैं	समस्त दिल्ली क्षेत्र में दूध और दूध से बने उत्पादों की आवक पडोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी है।

अतारां कत प्रश्न संख्या : 194

दिनांक : 08/01/2026

क्रम	प्रश्न	उत्तर
(क)	वर्ष 2015 से वर्ष 2025 की अव ध के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल कतने नमूने जाँच हेतु एकत्र कए गए, वधानसभा-वार जानकारी दी जाए।	वर्ष 2015 से 2025 की अव ध के दौरान कुल 23,450 खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच हेतु उठाए गए। जिला-वार जानकारी संलग्न है।
(ख)	उनमें से कतने नमूने गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए?	कुल 2,320 नमूने गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए।
(ग)	ऐसे नमूने जो तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, उन नमूनों पर कतने मामले पंजीकृत कए गए अथवा कतनी कानूनी कार्यवाहियाँ की गईं?	कुल 2,128 मामले दर्ज कए गए। शेष 192 मामले अन्वेषण में हैं।
(घ)	खाद्य मलावट से संबं धत कुल कतनी शकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से कतनी शकायतों पर कार्रवाई की गई और उनके परिणाम क्या रहे?	कुल 1,412 शकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 1,213 पर कार्रवाई की गई तथा 199 शकायतें लंबित हैं।
(ङ)	वर्ष 2015–2025 के दौरान खाद्य पदार्थों में मलावट से संबं धत कतने दीवानी अथवा आपरा धक मामले दर्ज कए गए?	कुल 2,128 मामले दर्ज कए गए।
(च)	खाद्य नमूनों की जाँच हेतु संबं धत प्रयोगशालाओं का ववरण दिया जाए।	दिल्ली सरकार की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ई-20, लॉरेंस रोड, औद्यो गक क्षेत्र, रिंग रोड, दिल्ली–110035। यह NABL मान्यता प्राप्त है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या : 195

दिनांक : 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय श्री *संजय गोयल* (शाहदरा)

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

क्रम	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है क कई अंतरराष्ट्रीय खाद्य कंपनियाँ भारत में बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों में पाम ऑयल, अतिरिक्त चीनी, संतृप्त वसा एवं कम पोषण तत्वों का उपयोग कर रही हैं, जब क वही उत्पाद यूरोप/अमेरिका जैसे देशों में अ धक पोषण मानकों के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं?	आयातित खाद्य पदार्थों की अनुमति, लाइसेंस एवं अन्य व्यवस्थाएँ FSSAI, भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं। अतः ऐसी कोई जानकारी इस वभाग में उपलब्ध नहीं है। हालाँ क खाद्य सुरक्षा एवं मानक अ धनियम, 2006 एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित हैं।
(ख)	क्या Lays Chips, KitKat, Cerelac जैसे उत्पादों की भारत एवं अन्य देशों में बिकने वाली संरचना की तुलना हेतु कोई आ धकारिक जाँच कराई गई है?	यह जाँच FSSAI, भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है।
(ग)	यदि हाँ, तो उसका ववरण क्या है और उसके आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?	इस वभाग के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(घ)	क्या यह सत्य है क भारत में बेचे जा रहे कुछ शशु आहार उत्पादों में अतिरिक्त चीनी मलाई जा रही है?	पछले पाँच वर्षों में ऐसा कोई भी मामला वभाग द्वारा नहीं पाया गया।
(ङ)	यदि हाँ, तो कतनी कंपनियों के वरुद्ध कार्रवाई की गई है?	लागू नहीं है।
(च)	क्या पैक्ड खाद्य पदार्थों पर Front of Pack Labelling (FOPL) लागू की गई है?	हाँ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेब लंग एवं प्रदर्शन) वनियम, 2020 के अनुसार यह अनिवार्य है।
(छ)	घो षत पोषण मानकों एवं वास्त वक सामग्री में अंतर पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है?	खाद्य सुरक्षा अ धनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
(ज)	पछले पाँच वर्षों में ऐसी अनिय मतताओं पर क्या कार्रवाई की गई है?	इस वभाग के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(झ)	शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में खाद्य गुणवत्ता की जाँच कौन करता है?	खाद्य सुरक्षा वभाग द्वारा।
(ञ)	शाहदरा क्षेत्र में तैनात Food Safety Officers का ववरण दें।	डॉ. श्रीकांत आर. ताप ड़या, DANICS – ना मत अ धकारी। संपर्क: 1800113921, ई-मेल: aocfss@delhi.nic.in
(ट)	पछले पाँच वर्षों में कतने रेस्टोरेंट्स एवं रेह ड़यों की जाँच की गई है?	कुल 207 इकाइयों की जाँच की गई।
(ठ)	गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन पर कतने	कुल 93 मामलों में कार्रवाई की गई।

	मामलों में कार्रवाई की गई है?	

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 196

दिनांक:- 08.01.2026

प्रश्नकर्ता नाम:- माननीय अशोक गोयल (मॉडल टाउन)

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम	प्रश्न	उत्तर
क	मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा विगत वर्षों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए क्या कोई स्पेशल ड्राइव चलाया गया था	विभाग द्वारा स्पेशन ड्राईव पूरी दिल्ली के लिए चलाई जाती है। मॉडल टाउन, विधानसभा, जिला उत्तर भी ऐसी ड्राईव में शामिल होता है।
ख	यदि हां, तो उसका विवरण दें।	विभाग द्वारा समय-समय पर दूध और दूध के उत्पाद, बोतल बंद पानी, फल एवं सब्जियों, मिठाइयों आदि से सम्बन्धित विशेष अभियान चलायें गये।
ग	उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों में क्या कभी कोई सैम्पल का नमूना लिया गया था।	हाँ
घ	यदि हां, तो क्या वो नमूने सही थे, और	ज्यादातर सही पाये गये पर विगत वर्षों में लिये गये नमूनों में से कुछ नमूनें जांच में मिथ्याछाप एवं असुरक्षित श्रेणी में भी पाये गये।
ड़	यदि नही तो क्या उपरोक्त दुकानों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण दें।	खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा, खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 के अनुसार कार्यवाही की गई है तथा मामलें सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन है। अनुलग्न-क संलग्न है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

क्रम.सं	प्रश्न सं - 197	उत्तर
(क(	20 फरवरी 2025 से जवाब देने तक विभाग ने कितनी नई गाड़ियां खरीदी एवं उन्हें कौन–कौन अधिकारी, मंत्री एवं मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं;	सामान्य प्रशासन नियमानुसार माननीय मंत्रिमंडल सदस्यों, उनके कार्यालयों और वभाग के अंतर्गत आने वाले अ धकारियों के लए वाहन उपलब्ध करता है। इसमें नए वाहन देने की कोई अनिवार्यता नहीं है
(ख(	उपरोक्त गाड़ी खरीदने में कुल कितना खर्च किया गया;	उपरोक्त
(ग(	विभाग के पास कुल कितनी गाड़ियां हैं और उनके रखरखाव पेट्रोल पर कितना खर्चा फरवरी 2025 से जवाब देने तक	विभाग के पास अभी आवश्यकतानुसार पर्याप्त गाड़ियां है। गाड़ियों के रखरखाव, जिसमें पेट्रोल/ईंधन व्यय भी शामिल है, पर किया गया

	किया गया;	खर्च स्वीकृत बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत एवं प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार वहन किया गया।
(घ(	विभाग के पास कुल कितने ड्राइवर हैं और वह किस-किस अधिकारी एवं मंत्रीगण के पास कार्यरत हैं;	सुरक्षा की ष्टि से यह जानकारी तभी उपलब्ध करायी जाएगी यदि माननीय स्पीकर महोदय इसकी गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु माननीय वधायक को जानकारी उपलब्ध कराना उ चत समझे।
(ड(	क्या यह सत्य है की विभाग ने डी.टी.सी . से भी कुछ ड्राइवर लिए हैं;	जी हाँ।
(च(	यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है एवं वह कहां-कहां कार्यरत हैं; और	यह संख्या आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है।
(छ(	फरवरी 2025 से जवाब देने तक विभाग ने कुल कितने कार्यक्रम आयोजित किये और उन पर कुल कितना खर्चा हुआ जानकारी दें?	वभाग निय मत तौर पर छोटे बड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन करता हैं. प्रश्न में कार्यक्रम वशेष की प्रकृति और प्रकार की जानकारी दिए जाने पर उत्तर दिया जा सकेगा।

क्रम.सं	प्रश्न सं - 198	उत्तर
(क(	वर्ष 2025 में 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ' हर घर तिरंगा' अभियान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्य सभी विभागों/स्वायत्त निकायों द्वारा खरीदे गए राष्ट्रीय ध्वजों की कुल संख्या बताएं;	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अ भयान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वजों की खरीद व भन्न वभागों/स्वायत्त निकायों द्वारा उनकी आवश्यकता एवं स्वीकृत कार्य-योजनाओं के अनुसार की गई। यह क्रय वकेंद्रीकृत रूप में, निर्धारित वत्तीय नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुआ।
(ख(	झंडों की सामग्री, आकार और जीएसएम संबंधी विशिष्ट तकनीकी निर्देश क्या थे और इसमें भारतीय ध्वज संहिता का पालन किया गया;	भारतीय ध्वज संहिता का अनुपालन कया गया।
(ग(	निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करने की और अनुबंध प्रदान करने की तिथियां बताएं, सफल बोलीदाताओं के नाम व सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रति इकाई लागत क्या है;	संबं धत कार्यों के लए नि वदा आमंत्रण, मूल्यांकन तथा अनुबंध प्रदान करने की प्र क्रया प्रच लत वत्तीय नियमों, सामान्य वत्तीय नियमावली (GFR) तथा ई-प्रोक्योरमेंट व्यवस्था के अनुरूप अपनाई गई थी। नि वदा सूचनाएँ सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार प्रका शत की गईं और तकनीकी एवं वत्तीय परीक्षण के उपरांत पात्र बोलीदाताओं को कार्यादेश जारी कए गए।
(घ(	इस अभियान के लिए फ्लैग पोल, स्टिकर और प्रचार सामग्री आदि पर कुल कितना व्यय किया गया;	सामान्य प्रशासन वभाग द्वारा फ्लैग पोल, स्टिकर और प्रचार सामग्री आदि पर व्यय नहीं कया गया।
(ड(	इन झंडों के वितरण का वार्डवार ब्यौरा प्रदान करें, जिसमें विधायकों, आरडब्ल्यूए और सरकारी स्कूलों को सौंपे गए झंडों की संख्या सम्मिलित हो;	सामान्य प्रशासन वभाग द्वारा वधायकों, आर.डब्ल्यू.ए. और सरकारी स्कूलों को झंडों का वतरण नहीं कया गया।
(च(	क्या वित्त विभाग की अनिवार्य खरीद प्रक्रियाओं और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों, जिसमें जीईएम) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (प्रोटोकाॅल भी शामिल है, का सख्ती से पालन किया गया;	वत्त वभाग की पूर्वानुमति से GeM द्वारा ही खरीद प्र क्रया पूरी की गयी जिसमें सभी गाइडलाइन्स का पालन कया गया हैं।
(छ(	यदि आपातकालीन खरीद के लिए कोई छूट दी गई थी तो उसके कारण और अनुमोदन प्राधिकारी की जानकारी दें; और	आपातकालीन खरीद के लए नि वदा की नियम और शर्तों में कसी प्रकार की छूट नहीं दी गयी। हालां क, कार्यक्रम में समय की अल्पाव ध के कारण GeM

		के सक्षम प्रा धकारी से नि वदा को कम समय में प्रका शत और खोलने की अनुमति ली गयी।
(ज (	इस खरीद से संबंधित पूरी फाइल नोटिंग वित्तीय) (सहमति सहित, व सभी आधिकारिक पत्राचार की कॉपी प्रदान करें?	उपरोक्त

अतारांकित प्रश्न संख्या : 199
दिनांक : 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री हरीश खुराना

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्तमान में दिल्ली में कुल कितने बैंक्विट हॉल संचालित हो रहे हैं; विधानसभावार विवरण उपलब्ध करवाया जाए;	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।
ख)	दिल्ली में बैंक्विट हॉल संचालित करने हेतू किन-किन प्रकार के लाइसेंस आवश्यक होते हैं;	उक्त प्रश्न का उत्तर इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
ग)	क्या यह सत्य है कि बैंक्विट हॉल संचालन हेतू फायर एनोसी एक अनिवार्य दस्तावेज हैं;	दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम 2007 के अन्तर्गत नियमावली 2010 के नियम 27 के अन्तर्गत आने वाले भवनों तथा प्रतिष्ठानों को दिल्ली अग्निशमन सेवा से तय प्रक्रिया द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लिया जाना अपेक्षित है।
घ)	यदि हाँ, तो कृपया सभी बैंक्वट की फायर एनओसी की स्थिति जैसे यह सब कब समाप्त हुए कब रिन्यअल के लिए आवेदन प्राप्त हुए, रिन्युअल नहीं होने के पीछे क्या कारण है, इत्यादि पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए;	आकडों में उपलब्ध बैंक्विट हाल की सूची जिनके सामने फायर सेफ्टी स्टेटस (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) और अग्निशमन प्रावधानों में कमियाँ (shortcomings) इंगित है, Annexure-I साथ में संलग्न है।
ड)	क्या सरकार ने अब तक अवैध रूप से संचालित हो रहे बैंक्विट हॉल की पहचान एवं सर्वेक्षण कराया हैं;	उक्त प्रश्न का उत्तर इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
च)	यदि हां, तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जाए; और	उक्त प्रश्न का उत्तर इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
छ)	यदि नही तो उसके कारण बताया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि निकट भविष्य में इस	उक्त प्रश्न का उत्तर इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

	सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

अतारांकित प्रश्न संख्या :–200 8/4/76
दिनांक :– 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री वीर सिंह धिंगान (सीमापुरी)

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है दिल्ली में बढ़ते हुए नशे के कारोबार को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ ठोस उपाय किए हैं।	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद–73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद– 239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख) यदि हाँ, तो अब सरकार ने क्या कार्रवाई की है।	
ग) क्या यह भी सत्य है दिल्ली सरकार ने कुछ नशीले पदार्थों को जब्त भी किया है।	
घ) यदि हाँ, तो पुलिस ने कौन–कौन से नशीले पदार्थों को जब्त किया है तथा किस प्रकार के नशीले पदार्थों को कितनी कितनी मात्रा में जब्त किया गया है विवरण दिया जाए।	
ड.) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली कि पुनर्वास कालोनीयों में नशे का कारोबार ज्यादा फैला हुआ है जिससे समाज के छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं तथा इस करोबार में भी शामिल हो रह है। और	
च) यदि हाँ, तो सरकार दिल्ली को नशे की नगरी बनने से रोकने के लिए ओर क्या उपाय कर रही हैं?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :— 201 8/4/91
दिनांक :— 06/01/2026

प्रश्नकर्ता का नामः— श्री कैलाश गंगवाल (मादीपुर)

प्रश्न		उत्तर
क)	कृप्या दिल्ली में बाहर से आये किरायेदारों व फैक्ट्ररियों में काम करने वालों की वेरिफिकेशन अनिवार्य है	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद—73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप—राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद—239, अनुच्छेद— 239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम—1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप—राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख)	वेरिफिकेशन न करने वाले मकान मालिकों व फैक्ट्ररी मालिकों के खिलाफ कितना दण्ड का प्रावधान है	
ग)	विभाग कितने—कितने समय बाद यह अभियान चलाती रहती है और	
घ)	कृप्या सरकार इस संबंध में मकान मालिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

अतारांकित प्रश्न संख्या :—202 8/4/132
दिनांक :— 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नामः— श्री संदीप सहरावत (मटियाला)

प्रश्न		उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बिंदापुर थाना क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक बड़ा है।	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद—73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप—राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद—239, अनुच्छेद— 239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम—1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप—राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख)	यदि हाँ, तो उसे विभाजित करने या नया थाना स्थापित करने हेतु क्या सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है। और	
ग)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने पुलिस थाने/चौकियाँ कार्यरत हैं, उनका नाम एवं क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया जाए?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

अतारांकित प्रश्न संख्या : 203
दिनांक : 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बुराडी विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों की फायर NOC की वैधता समाप्त हो चुकी है;	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।
ख)	यदि हाँ, तो कृपया उन सभीं स्कूलों के नाम और लोकेशन की सूची उपलब्ध कराई जाए;	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।
ग)	क्या यह सत्य है कि जिन स्कूलों का NOC समाप्त हो गया था, उस अवधि के दौरान विभाग ने कोई निरीक्षण या कार्यवाही नहीं की, जिससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी;	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा मानकों में पाई गई त्रुटियाँ सम्बन्धित विद्यालयों को तथा शिक्षा निदेशालयों को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है, जिनमें से कुछ की प्रतिलिपि संलग्न है। (Annexure-I)
घ)	Expired NOC के समय यदि किसी स्कूल में आग या अन्य दुर्घटना होती, तो उसके लिए विभाग की क्या जवाबदेही होती और इस सम्बन्ध में कोई रिर्पोट तैयार की गई थी;	अग्निकांडो से बचाव के उपाय तथा अग्नि सुरक्षा संयत्रों का उचित रखरखाव करना स्कूल प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। यह विभाग सभी विद्यालयों में अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करता है तथा विद्यालयों की प्रार्थनानुसार सभी विद्यालयों में समान रुप से अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षण तथा फायरड्रिल कराता है। विभाग यह कार्य अनवरत रूप से कर रहा है।
ड)	विभाग द्वारा Expired NOC वाले स्कूलों की पूरी सूची नहीं बनाने और इस संबंध में कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।
च)	क्या यह सत्य है कि Expired NOC वाले किसी भी स्कूल को बिना अतिरिक्त जांच के या प्रक्रिया पूरी किए नए NOC देने का निर्णय विभाग की मानक प्रक्रिया और नियमों के खिलाफ होगा;	सभी प्रकार के विद्यालयों की दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम 2007 तथा नियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों के सापेक्ष में अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा मानकों की सघनता से जांच के उपरान्त ही अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
छ)	सभी स्कूलों में NOC की वैधता लगातार जांचने और समय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;	दिल्ली अग्निशमन सेवा ने दिनांक 15.11.2025 से सभी प्रकार के विद्यालयों/ भवनों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतू आनलाइन पोर्टल को प्रारम्भ किया है। अब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से आनलाइन है जिसमें किसी भी विद्यालय के अध्यापक/ कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से विभाग में आने की आवश्यकता नहीं है।
ज)	जिन स्कूलों ने अपने Expired NOC के बाद दोबारा आवेदन किया, उनकी सूची, आवेदन तिथि और वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराई जाए;	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।
झ)	भविष्य में बुराड़ी क्षेत्र के सभी स्कूलों के लिए फायर NOC जारी करने और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीनीकरण या जारी करने हेतू बिना विभाग में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत हुए किसी भी समय दिल्ली अग्निशमन सेवा के आनलाइन पोर्टल पर आवेदन

	लिए कोई ठोस, चरणबद्ध योजना बना रहा है; और	किया जा सकता है। यह व्यवस्था उन विद्यालयों के लिए भी उपलब्ध है जिनके अग्नि सुरक्षा पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है अथवा इस विभाग द्वारा अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा मापदण्डों में त्रुटि पाए जाने का पत्र जारी किया गया है।
ट)	Expired NOC वाले किसी भी स्कूल को नियमों और सुरक्षा मानको के खिलाफ नए NOC नहीं देना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?	संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही विभाग से सूचना प्राप्त होगी समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए जायेगे।

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 204
दिनांक : 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या फायर वभाग में 50 XL 6 गाड़ी तुरंत रिलीफ के लए खरीदी हैं;	फेज 1 - दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा कुल 24 (XL-6) में उ चत अग्निशमन उपकरण जैसे क अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प इत्यादि का संस्थापन कर चयनित क्षेत्रों में अग्निशमन कार्यों के लए नियुक्त कया जा चुका है। फेज 2 - कुल 26 (XL-6) वाहन खरीदे जा चुके हैं तथा उसमें प्रयोग होने वाले अग्निशमन उपकरणों का क्रय कार्यान्वयवन है।
ख)	यदि हां तो इन पर कतना खर्च कया गया एवं जो टेंडर प्र क्रया अपनाई गई उसकी जानकारी दें एवं संबं धत दस्तावेज की सत्य प्रति ल प दें;	इस पर लगभग 11.62 करोड़ की रा श व्यय की गई है। यह क्रय कये जाने की प्र क्रया पारदर्शी, मानकों के अनुरूप तथा नियमानुसार की गई है। सम्बन्धित अ भलेखों की प्रति ल प निम्नवत् संलग्न है। 1. XL -6 से सम्बन्धित अनुबन्धों की प्रति ल प (Annexure-I, C-54 से C-61)। 2. XL -6 से सम्बन्धित खरीद के चालान की प्रति ल प (Annexure-II, C-50 से C-53)

		3. 24 अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के खरीद के अनुबन्ध प्र क्रया से सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रति ल प (Annexure-III, C-31 से C-44) 4. 24 अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के खरीद के चालान की प्रति ल प (C-49) 5. XL-6 पर कया अन्य कार्य पर कये गये खर्च का मंजूरी पत्र की प्रति ल प (C-48)
ग)	क्या यह सत्य है क इनमें से कुछ गा ड़यां व्यक्तिगत इस्तेमाल हो रही है?	दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा कसी भी अ धकारी व कर्मचारी को सरकारी वाहन के व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रा धकृत नहीं कया गया है।
घ)	यदि हां तो गाड़ी नंबर सहित सूचना दें;	उपरोक्त ग के अनुसार।
ड)	क्या यह सत्य है की इन गा ड़यों में हाई प्रेशर पंप लगे थे तथा जो टेंडर प्र क्रया अपनाई गई थी या पास थी उसे प्र क्रया को वभाग ने बिना कसी अप्रूवल के बदल दिया गया है, पुरानी एवं नई टेंडर प्र क्रया की कॉपी दें;	यह तथ्य सही नहीं है पहले वाहन खरीदे गये हैं तदुपरान्त दिल्ली अग्निशमन सेवा की स्पे श फकेशन कमेटी द्वारा वाहन तथा निर्धारित उपयोग के ष्टिगत उपकरणों के मानक तैयार कये गये। तत्पश्चात सक्षम प्रा धकारी का अनुमोदन प्राप्त कर GeM के निर्धारित मानकों के अनुरुप क्रय की प्र क्रया पूर्ण की गयी। समान रूप से यही प्र क्रया बची हुई गा डयों के लए भी अपनायी जा रही है। निम्न ल खत संबं धत अ भलेख संलग्न है। 1. GeM पोर्टल पर अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के अनुपलब्धता और दिल्ली सरकार के सरकारी खरीद के पोर्टल पर 24 अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के लए ई-टेंन्डर से सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रति ल प। (Annexure-III, C-31 से C-47) 2. वत्त वभाग (प्रशासनिक मण्डल), दिल्ली सरकार का GeM पोर्टल पर सरकारी खरीद की अनिवार्यता से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 18.11.2025 की प्रति ल प। (Annexure-IV, C-17 से C-30) 3. GeM पोर्टल पर अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के अनुपलब्धता के ष्टिगत 26 अल्ट्रा हाई प्रेशर पम्प के खरीद के लए 'कस्टम बिड' करने की वभागीय अनुमति, बिड दस्तावेज व स्पे श फकेशन कमेटी द्वारा

		स्पे श फकेशन बनाने की प्र क्रया से सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रति ल प। (Annexure-V, C-1 से C-16)
च)	क्या यह सत्य है क प्र क्रया बदलने के कारण टेंडर को अपलोड करने में देरी हुई?	नही, व शष्टताओं में सशोधन के सवाय प्र क्रया बदलने के कारण कोई देरी नही हुई।
छ)	यदि हां तो इसमें कौन-कौन से अ धकारी सम्मि लत थे एवं दोषी हैं और जानकारी में आने के उपरांत उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?	अग्निशमन तथा परिचालन आवश्यकताओं के ष्टिगत स्पे श फकेशन कमेटी के द्वारा नियमानुसार कए गए संशोधन जिसको क सक्षम प्रा धकारी द्वारा अनुमोदित कया गया हो। उसमें कसी को दोषी कहा जाना युक्ति युक्त नहीं होगा।
ज)	टेंडर प्र क्रया बदलने से सरकार को कतनी रा श का नुकसान होगा वस्तृत जानकारी दें;	उक्त प्र कया से अग्निशमन तथा परिचालन आवश्यकताओं में गुणात्मक सुधार होगा। इसमें कसी भी प्रकार की वत्तीय हानि की अपेक्षा नहीं है।
झ)	क्या यह सत्य है की वभाग ने उप मुख्य अग्निशमन अ धकारी को मुख्य कार्यालय में नियुक्त कया और हाई प्रेशर पंपों के आपूर्ति के टेंडर प्र क्रया को बदला, संपूर्ण जानकारी दें;	हाँ। कसी भी समूह 'क' के अग्निशमन अ धकारी के स्थानान्तरण का निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा लया जाता है। स्पे श फकेशन कमेटी का गठन एक प्रशासनिक निर्णय होता है जो क तय मानक तथा तय प्र क्रया का अनुपालन कर उपकरण की उपयो गता के अनुसार स्पे स फकेशन तैयार करती है। ततपश्चात सक्षम प्रा धकारी द्वारा उक्त स्पे श फकेशन का अनुमोदन कया जाता है तथा GeM पोर्टल की तय प्र कया के द्वारा उपकरणों का क्रय कया जाता है।
ट)	क्या पहले भी उक्त उप मुख्य अग्निशमन अ धकारी को कसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप के तहत मुख्य कार्यालय से हटाया गया था?	इस प्रकार का कोई अ भलेख उपलब्ध नही हैं।

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :—205
दिनांक :— 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नामः— श्री संजय गोयल (शाहदरा)

प्रश्न	उत्तर
क) पिछले 5 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, वर्षवार विवरण दें।	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद—73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप—राज्यपाल, दिल्ली
ख) क्या शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कोई समर्पित साइबर क्राइम थाना/यूनिट कार्यरत	

है।	द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद– 239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ग) यदि हाँ, तो उसकी संरचना, स्टाफ संख्या एवं कार्यक्षेत्र का विवरण दें।	
घ) साइबर अपराधों से बचाव हेतु आम जनता को जागरूक करने के लिए पिछले 5 वर्षों में कौन–कौन से अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।	
ड.) क्या शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में CCTV कैमरों, फेस रिकग्निशन सिस्टम तथा रात्रि गश्त की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।	
च) CCTV निगरानी प्रणाली पर पिछले 5 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है तथा यह कार्य किन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है।	
छ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन हेतु होम गार्ड के जवानों को दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विंग के साथ संयुक्त रूप से तैनात किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुलिस में कुल 403 गृह रक्षक जवानो को विभिन्न जिलों में सयुक्त रूप से तैनात किया गया है।
ज) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने होम गार्ड तैनात किए गए हैं तथा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी है।	शाहदरा जिले में कुल 17 गृह रक्षक जवान यातायात पुलिस में तैनात किये गए हैं। आवश्यकता अनुसार यातायात पुलिस इन गृह रक्षक जवानों को भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर उपयुक्त तरीके से तैनात करती है।
झ) क्या DTC बस स्टॉप, भीड़भाड़ वाले चौराहो एवं संवेदनशील स्थानों पर होम गार्ड की विशेष तैनाती की कोई योजना है । और	
ण) यदि हाँ, तो उसकी स्थानवार संख्या एवं समय सीमा बताई जाए?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :— 205
दिनांक :— 08 / 01 / 2026
प्रश्नकर्ता का नामः— श्री संजय गोयल (शाहदरा)

प्रश्न	उत्तर
क) पिछले 5 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, वर्षवार विवरण दें।	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद–73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद– 239 AA) और दिल्ली पुलिस अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
ख) क्या शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कोई समर्पित साइबर क्राइम थाना / यूनिट कार्यरत है।	
ग) यदि हाँ, तो उसकी संरचना, स्टाफ संख्या एवं कार्यक्षेत्र का विवरण दें।	
घ) साइबर अपराधों से बचाव हेतु आम जनता को जागरूक करने के लिए पिछले 5 वर्षों में कौन–कौन से अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।	
ड.) क्या शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में CCTV कैमरों, फेस रिकग्निशन सिस्टम तथा रात्रि गश्त की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।	
च) CCTV निगरानी प्रणाली पर पिछले 5 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है तथा यह कार्य किन एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है।	
छ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन हेतु होम गार्ड के जवानों को दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विंग के साथ संयुक्त रूप से तैनात किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुलिस में कुल 403 गृह रक्षक जवानो को विभिन्न जिलों में सयुक्त रूप से तैनात किया गया है।
ज) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने होम गार्ड तैनात किए गए हैं तथा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी है।	शाहदरा जिले में कुल 17 गृह रक्षक जवान यातायात पुलिस में तैनात किये गए हैं।
झ) क्या DTC बस स्टॉप, भीड़भाड़ वाले चौराहो एवं संवेदनशील सीनों पर होम गार्ड की विषेष तैनाती की कोई योजना है । और	दिल्ली गृह रक्षक विभाग द्वारा पत्र संख्या 54 (66)जि स्टा अधि (मु) पार्ट– v /2025 /15772 दिनांक 05/12/2025 दिल्ली परिवहन निगम में तैनात गृह रक्षक मार्शलो में से 2000 गृह रक्षक मार्शलो को दिल्ली यातायात पुलिस और पुलिस नियंत्रण कक्ष में लगाने के संदर्भ में भेजा गया था । उपरोक्त पत्र के आधार पर दिल्ली सचिवालय के गृह विभाग द्वारा पत्र संख्या 1/09/2015/HG/ 4140&4142 दिनाँक 02 /01 /2026 को महाप्रबंधक निदेशक दिल्ली परिवहन निगम आई पी एस्टेट नई दिल्ली को भेजा गया हैं। इस सन्दर्भ में अभी कार्यवाही विचाराधीन चल रही हैं।
ण) यदि हाँ, तो उसकी स्थानवार संख्या एवं समय सीमा बताई जाए?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या :— 206
दिनांक :— 08 / 01 / 2026
प्रश्नकर्ता का नामः— श्री परवेश रत्न (पटेल नगर)

प्रश्न	उत्तर

क) कृप्या यह सत्य है कि देश के अन्य राज्यों में अधिकांश विधायकों को सरकारी सुरक्षा(PSO/गनमैन) प्रदान की जाती है, जबकि दिल्ली में विधायकों को सामान्यतः यह सुरक्षा नहीं दी जाती।	'यह विषय सरकार के अध्यानार्थ है और इस विषय पर उचित उत्तर उपलब्ध करा दिया जाएगा'
ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद यहाँ के विधायकों को किसी प्रकार की नियमित व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।	
ग) यदि दिल्ली में विधायकों को सुरक्षा न देने का कोई नियम/प्रावधान है, तो उसका विवरण दें।	
घ) यदि ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान नहीं है, तो अब तक दिल्ली के विधायकों को सुरक्षा नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?	
ड.) क्या यह सत्य है कि विधायकों को प्रतिदिन जनता से सीधे मिलना पड़ता है, धरना–प्रदर्शन, अवैध निर्माण, माफिया एवं अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा बना रहता है।	
च) क्या पिछले वर्षों में किसी भी दिल्ली के विधायक को धमकी, हमला या दबाव की शिकायत प्राप्त हुई है।	
छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	
ज) क्या सरकार दिल्ली के विधायकों के लिए Threat Perception के आधार पर सरुक्षा नीति बनाने पर विचार कर रही है। और	
झ) यदि हाँ, तो उसकी समय सीमा क्या है?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 207
दिनांक : 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नाम : डॉ. अनिल गोयल

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि गीता कालोनी ब्लाक–9 में दिल्ली अग्निशमन सेवा की कोई भूमि खाली पडी हैं;	हाँ, यह पुष्टि की जाती है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास गीता कॉलोनी, फैसिलिटी सैंन्टर, ब्लॉक-9 में एक भूखंड है। विभाग इस क्षेत्र में अग्निशमन सेवाएं संचालित करता है, लेकिन इस भूखंड के कुछ हिस्से अभी भी अविकसित हैं।
ख)	यदि हाँ. तो इस भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और यह किस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थी;	• इस भूमि का क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्ग मीटर है • उद्देश्य: यह भूमि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली में आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाने के लिए एक अग्निशमन केंद्र व पूर्वी दिल्ली में अग्निशमन वर्कशॉप और आवश्यक विभागीय अवसंरचना स्थापित करने हेतु आवंटित की गई थी।
ग)	क्या इस रिक्त भूमि पर वर्तमान में अनधिकृत पार्किंग और अवैध अतिक्रमण हो रहा है;	इस भूमि पर अवैध पार्किंग व अवैध अतिक्रमण नहीं है। इसमें चारदीवारी की हुई है और इस जगह पर सेमी पक्का ढाँचा (SPS Structure) बनाने के लिए पी0 डब्लू0 डी0

		विभाग को अनुरोध किया गया है।
घ)	यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये है'	सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभाग ने निम्नलिखित उपाय किए हैं: • स्थानीय अग्नि सुरक्षा विभाग (डीएफएस) के कर्मचारियों द्वारा नियमित निगरानी करके किसी भी प्रकार के स्थायी अवैध निर्माण की सूचना देना। • निर्माण कार्य शुरू होने तक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्दशित किया गया हैं।
ड)	क्या इस भूमि पर अग्निशमन केन्द्र या विभाग से सम्बन्धित किसी अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण की कोई योजना विचारीधीन है;	इस स्थल पर एक स्थायी अग्निशमन केंद्र व संबंधित विभागीय अवसंरचना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति पत्र संख्या F9/DFS/Building/HQ/2023-24/2495 dated 06.09.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) सहायक अभियन्ता (पी), पी0 डब्लू0 डी0 को भेजा गया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। इस सम्बन्ध में कार्यभारी अधिकारी गीता कालोनी दमकल केन्द्र द्वारा एक अनुरोध पत्र दिनांक 08.01.2024 को भी भेजा गया था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें सम्बन्धित कार्य अतिशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था। (Annexure-I & II)
च)	यदि हाँ, तो इसका कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और	कृपया उपरोक्त (ड) का उत्तर देखें।
छ)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	कृपया उपरोक्त (ड) का उत्तर देखें।

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 208
दिनांक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता का नामः– श्री इमरान हुसैन (बल्लीमारन)

प्रश्न		उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा को चाँदनी चौक को 'नो मोटर व्हीकल जोन' घोषित किए जाने के पश्चात भी चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट एवं हौज काजी क्षेत्रों में भीषण यातायात जाम की स्थिति है।	कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का विषय केन्द्र सरकार की कार्य शक्ति (अनुच्छेद–73) के अंतर्गत आता है और इसका संचालन उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा (अनुच्छेद–239, अनुच्छेद– 239 AA) और दिल्ली पुलिस

ख)	क्या यह सत्य है कि छोटे हाथी एवं अन्य व्यावसायिक वाहन इन क्षेत्रों में अवैध रूप से खड़े होकर सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे आम जनता, स्कूली बच्चों एवं बीमार व्यक्तियों को गंभीर कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। और	अधिनियम–1978 के तहत किया जाता है। दिल्ली पुलिस इस विषय में उप–राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा पत्र दिनांक 6/1/26 द्वारा दिल्ली नगर निगम (MCD) से भी प्रश्नों के उत्तर के लिए अनुरोध किया गया है। जैसे ही दिल्ली नगर निगम से जानकारी प्राप्त होगीं, समुचित उत्तर प्रस्तुत कर दिये जायेगें।
ग)	इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है

अतारांकित प्रश्न संख्या : 209
दिनांक : 08/01/2026
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली अग्नि–शमन विभाग द्वारा पहाड़गंज और करोल बाग़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लबों की आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों हेतु निरीक्षण आखिरी बार कब किया गया था?	इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि ऐसे होटल रेस्टोरेन्ट, बार और क्लब जो दिल्ली अग्नि–शमन सेवा नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत आते है और जिनका आवेदन MHA/ MCD द्वारा विशेष पोर्टल पर प्राप्त होता है। उन सभी का अग्नि सुरक्षा दृष्टि से नियम 33 में दिए गए मानकों के अनुसार निरीक्षण किया जाता है। यदि सभी व्यवस्थाए अनुकूल पायी जाती है तो अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। अन्यथा निरीक्षण की टिप्पणीयों को पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निरीक्षण कार्य पूरा करके रिर्पोट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है और यह निरन्तर प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी संलग्न (Annexure-I (34 पेज), Annexure-II (14 पेज), Annexure-III (09 पेज) & Annexure-IV (05 पेज)) में दी गयी है।
ख)	इस निरीक्षण में कितने होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुकूल पाए गए और कितने प्रतिकूल पाएं गए, दोनों की पूरी सूची होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लबों के नाम और पूरे पते	पहाडगंज व करोलबाग मुख्यत: दिल्ली अग्निशमन सेवा के सैण्ट्रल व साउथ वैस्ट डिविजन के आंशिक भाग है। अत: इस प्रकार से क्षेत्रवार सूची वर्गीकृत नही की जाती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा में दिसम्बर 2025 तक उपलबध आंकडों के अनुरूप संन्दर्भित भवन, जिनके पते में पहाडगंज व करोलबाग शब्द अंकित है उनकी सूची संलग्नकित (Annexure-I (34 पेज), Annexure-II (14 पेज), Annexure-III (09 पेज) &

	सहित प्रदान करें?	Annexure-IV (05 पेज)) की गयी है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1. करोलबाग होटल और रेस्टोरेन्ट, क्लब व बार (Eating House)

क्र0 सं0	वर्तमान स्थिति	होटल	रेस्टोरेन्ट, क्लब व बार (Eating House)
1.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	214	26
2.	कमियाँ	51	57
3.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का समर्पण	01	04
4.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का पुन: सत्यापन	04	-
5.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का रद्दीकरण	02	-
6.	सेवा में नहीं है।	02	-
7.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का निरस्तिकरण	02	-
8.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के दायरे में नही है। (Not in Purview)	02	-
	कुल	278	87

2. पहाडगंज होटल और रेस्टोरेन्ट, क्लब व बार (Eating House)

क्र0 सं0	वर्तमान स्थिति	होटल	रेस्टोरेन्ट, क्लब व बार (Eating House)
1.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	581	24
2.	कमियाँ	69	89
3.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के दायरे में नही है। (Not in Purview)	07	08
4.	सेवा में नहीं है।	01	-
5.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का पुन: सत्यापन	03	-
6.	पुन: आवेदन हेतू आग्रह	02	-
7.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का रद्दीकरण	02	-
	कुल	665	121

ग)	निरीक्षण में पाए गए प्रतिकूल होटलो, रेस्टोरेंट, बार और क्लबों पर दिल्ली अग्नि–शमन विभाग द्वारा मानकों के प्रतिकूल पाए	प्रतिकूल पाये जाने वाले प्रतिष्ठानों में कमियाँ जारी करने के उपरान्त आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है एवं पोर्टल पर इसे अपलोड कर दिया जाता है।

	जाने वालो पर क्या कार्यवाही की गई है, उसका पूर्ण विवरण प्रदान करें?	

यह उत्तर माननीय गृह मंत्री जीएनसीटी दिल्ली की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जा रहा है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 210

(क) क्या यह सत्य है क पीरागढ़ी से नांगलोई DTC बस डपो पर व्यापक अतिक्रमण होने के कारण नांगलोई जाट वधानसभा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूर्णतः बा धत हो रही है;	(क) पीरागढ़ी से नांगलोई स्थित DTC बस डिपो तक की मुख्य सड़क लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा मुख्य मार्ग से सटी हुई सर्विस रोड़ भी PWD के अन्तर्गत है। अतः इन सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण की जिम्मेदारी भी PWD विभाग की है।
(ख) क्या यह भी सत्य है क उक्त मार्ग पर अवैध रेहड़ी-पटरी, अस्थायी निर्माण, बैंकटों के अवैध पा र्कंग एवं अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन लंबा जाम, दुर्घटनाओं की आशंका तथा सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही प्रभा वत हो रही है;	(ख) केवल वेंकट हाल के सामने स्थित सड़क DSIIDC के अन्तर्गत आती है, किन्तु इस सड़क पर हो रहे अस्थायी निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी माननीय उप–राज्यपाल, दिल्ली के निर्देशानुसार दिल्ली नगर निगम की है।
(ग) क्या सरकार/DSIIDC/संबं धत वभाग द्वारा अब तक इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाने हेतु कोई सर्वेक्षण, संयुक्त निरीक्षण अथवा वशेष अ भयान चलाया गया है;	(ग) DSIIDC द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में समय–समय पर दिल्ली नगर निगम को पत्राचार किया गया है, जिसके पश्चात् नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही भी दिनांक 16.05.2025 को DSIIDC कर्मचारियों की उपस्थिति में की गई है। (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।)
(घ) यदि हाँ, तो उसका ववरण एवं परिणाम क्या रहे हैं;	(घ) उपरोक्त अनुसार।
(ङ) क्या सरकार इस मार्ग को महत्वपूर्ण ट्रै फ़क लंक मानते हुए DSIIDC, यातायात पु लस, MCD एवं जिला प्रशासन के समन्वय से स्थायी अतिक्रमण मुक्ति योजना, निय मत निगरानी तथा सड़क चौड़ीकरण/मरम्मत के लए समयबद्ध कार्ययोजना लागू करेगी; और	(ङ) मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाना व सड़क चौड़ीकरण / मरम्मत करने की जिम्मेदारी PWD विभाग से सम्बन्धित है।
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	(च) उपरोक्तानुसार।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

8/C

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री कैलाश गंगवाल
दिनांक : 08.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.– 211 एवं 8/4/130**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रं0	प्रश्न	
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में काफी रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियॉ चल रही हैं,	क से च पूरा विवरण एकत्रित किया जा रहा है । पूर्ण जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा ।
ख	यदि हॉ, तो सरकार इन अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है,	
ग	सरकार इन फैक्ट्रियों को रिहायसी इलाकों से हटाकर अब तक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतिरत करे देगी,	
घ	क्या यह भी सत्य है कि इन अवैध व प्रतिबंधित फैक्ट्रियों व अन्य इकाइयों को हटाने में सरकार देरी कर रही है,	
ड	क्या यह सत्य है कि रिहायसी क्षेत्रों में चल रही इन इकाईयों में भारी मात्रा में जी.एस.टी. की चोरी हो रही है, और	
च	मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के मादीपुर गॉव में भारी संख्या में चल रही अवैध जूते चप्पलों की फैक्ट्रियों को सरकार कब तक हटा देगी ?	

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

20/2

मान्नीय विधायक का नाम : श्री कैलाश गंगवाल
दिनांक : 08.01.2026
अतारांकित प्रश्न संख्या व डायरी संख्या : प्रश्न सं. 211 डायरी सं. 08/04/130
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली के काफी रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्ररीयॉ चल रही हैं,	**पर्यावरण विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** **'क' एवं 'ख'** हॉ, रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है। **(अनुलंग्नक 'क' संलग्न किया गया है)** **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** **'क' एवं 'ख'** जी हॉ, दिल्ली में काफी रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियॉ चल रही हैं। अवैध फैक्ट्रियों का सर्वे किया जाता है तथा प्रदूषित इकाइयों पर उचित कार्रवाई की जाती है जिसमें सीलिंग भी शामिल है।
ख	यदि हां, तो सरकार इन अवैध फैक्ट्ररियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है,	
ग	सरकार इन फैक्ट्ररियों को रिहायशी इलाकों से हटाकर कब तक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थान्तरित कर देगी,	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** **'ग' एवं 'घ'** फैक्ट्रियों का स्थानांतरण दिल्ली सरकार का नीतिगत मामला है।
घ.	क्या यह भी सत्य है कि इन अवैध व प्रतिबन्धित फैक्ट्ररियों व अन्य इकाइयों को हटाने में सरकार देरी कर रही है,	
ड.	क्या यह सत्य है कि रिहायशी क्षेत्रों में चल रही इन इकाईयों में भारी मात्रा में GST की चोरी हो रही है, और	**व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी के दायरे में आने वाली हर फर्म का पंजीकरण हो और वह जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी का भुगतान करे इसके लिए जीएसटी निरीक्षकों द्वारा वार्ड क्षेत्र में नियमित निगरानी की जाती है।
च.	मादीपुर विधान क्षेत्र के मादीपुर गांव में भारी संख्या में चल रही अवैध जूते चप्पलों की फैक्ट्ररियों को सरकार कब तक हटा देगी ?	**पर्यावरण विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है। **(अनुलंग्नक 'क' संलग्न किया गया है)** **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक छोटी–छोटी इकाइयॉ स्थित हैं जिनमें से अधिकांश घरेलू उद्योग नीति के अन्तर्गत आती है। इनमें से यदि कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली अथवा प्रतिबंधित इकाई पाई जाती है, तो उसके विरूद्व इकाई को बन्द करने तथा विद्युत कनेक्शन कटवाने की कार्यवाही की जाती है।

J. P. MEENA
Dy. Secretary

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 212

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'.*

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Moduleपर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 213

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'.*

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 214

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'.*

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 215

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'*.

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 216

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'*.

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 217

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'.*

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 218

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'.*

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

Section Officer (PC)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 219

No. F. Vidhan Sabha /2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

To

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub : Delhi Legislative Assembly (Winter Session) Starred/Unstarred Question Nos. 42 (Diary No.-8/4/316), 45 (Diary No. 8/4/243), 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 and 219 raised by Hon'ble MLAs

consecutively, Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar), Sh. Sanjay Goyal (Shahdara), Sh. Ram Singh Netaji (Badarpur), Sh. Harish khurana (Moti Nagar), Sh. Umang Bajaj (Rejendra Nagar), Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar), Sh. Ravinder Singh Negi (Patparganj), Sh. Kuldeep Kumar (Kondli), Sh. Parduymn Singh Rajput (Dwarka) and Mr. Ashok Goel (Model Town) listed for 08.01.2026.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 02.01.2026 and mail dated 05.01.2026 (for Q. No. 42 & 45) received from Industries Department, GNCTD forwarded therewith the Starred/Unstarred Questions as mentioned above (Also on NeVA portal) for reply by Land & Building Department, GNCTD.

In this regard, I am directed to inform that vide this office letters No. F.1/Vidhan Sabha/Monsoon Session/2018/5570 dated 31.12.2021 and F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/8133 dated 17.03.2023 vide which it was conveyed that the Land & Building Department deals with the reserved subject "Land" and as per legal advice received from the office of the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi vide their office U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1490 dated 19.03.2018 (copy enclosed) and Principal Secretary (Law, Justice & LA) letter No. F.18(11)LA/2018/1720-1769 dated 19.03.2018 (copy enclosed), it is opined that, *"in view of the provision contained in Article 239 AA (3) and (4) read with rule 29 of the procedure and conduct of Business of Legislative Assembly of NCT of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any question on any 'Reserved Subject'*.

Further, it was requested that the above position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly Secretariat.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Land & Building), Govt. of NCT of Delhi.

Yours faithfully
Sd/-

Encls : As above

Section Officer (PC)

No. F.1/Vidhan Sabha/2018/L&B/PC/8226-27 Dated : 08.01.2026

Copy to : Section Officer (NeVA), Industries Department, GNCTD for Question Nos. 42 & 45.

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–220
दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता–श्री मनोज कुमार शौकिन

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार को नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में बीएसईएस द्वारा बार–बार हो रही अघोषित बिजली कटौती, लो–वोल्टेज एव़ अस्थिर विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी है;	जी हाँ, बीआरपीएल नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में 24X7 बेसिस पर शेड्यूल और बिना शेड्यूल बिजली कटौती की शिकायतो की निगरानी करता है, तथा उसकी जानकारी बीएसईएस बेबसाईट के साथ–साथ डीईआरसी बेबसाईट पर भी पब्लिश की जाती है। यह जानकारी प्रभावित कस्टमर, आरडब्लूए और पब्लिक प्रतिनिधि के साथ शेयर की जाती है।
ख)	यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि विगत एक वर्ष में लो–वोल्टेज की 2420 और अनियोजित कटौती की 111 शिकायते प्राप्त हुई है जिनका निवारण डीईआरसी द्वारा तय समय सीमा के अंदर कर दिया गया है।
ग)	क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र मे जर्जर विद्युत तारों, पुराने ट्रांसफॉमरों एवं ओवरलोडेड फीडरों के कारण विद्युत आपूर्ति एवं जन–सुरक्षा प्रभावित हो रही है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि 24X7 बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए अपनी सम्पत्तियों की निगरानी कर रहा है और पुर्वानुमानित और निवारक रखरखाव कर रहा हैं बीआरपीएल बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता भी बढा रहा है।
घ)	यदि हाँ, तो इनके सुघार एवं प्रतिस्थापन हेतू अब तक क्या कार्रवाई की गई है;	बीआरपीएल ने जरुरत के हिसाब से पुराने और ओवरलोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और बदलने के लिए कई सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं इनमें खराब पावर लाइनों को बदलना ,ओवरलोडेडे ट्रांसफार्मर को ठीक करने एवं क्षमता बढाने ,डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना और नियमित निवारक रखरखाव शामिल है।
ड.)	नांगलाई जाट विघानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने ट्रांसफार्मर स्थापित है तथा उनमे से कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड की स्थिति मे कार्य कर रहे है;	नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में लगभग 300 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिनकी कुल क्षमता लगभग 226 एमवीए है। इनमें से, कुल 30 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे जिनमे से 23 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि (7.575एमवीए) का काम पूरा हो गया है। एक ट्रांसफार्मर अभी जगह की कमी के कारण ओवरलोडेड है शेष ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढाने का काम आगामी गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाऐगा।
च)	क्या क्षेत्र मे बढती आबादी एवं विद्युत मांग को ध्यान मे रखते हुए नए ट्रांसफार्मर एवं फीडरो की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;	जी हाँ,
छ)	यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय–सीमा क्या है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि इलाके में आबादी ओर बिजली की मांग मे बढोतरी को देखते हुए बीआरपीएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कई योजनाएँ शूरु की है। मौजूदा वित्त वर्ष मे दो नये ट्रांसफार्मर लगाये है जिससे क्षमता 0.655 एमवीए बढ गई है इसके अतिरिक्त 11.60 करोड की लागत से 1 पीटीआर (जिससे क्षमता वृद्धि 11.5 एमवीए), 6 वितरण ट्रांसफार्मर (जिससे क्षमता वृद्धि 3.21 एमवीए), 5.97 किमी लबाई का 11केवी एचटी फीडरी 4.55 किलोमिटर एलटी

		फीडर में नेटवर्क में जोडा गया है। इसके अतिरिक्त ओवरलोडेडे वितरण ट्रासर्फामरों को ठीक करने का काम भी लोड ग्रोथ को पूरा करने, नये कनेक्शन देने और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।
ज)	क्या सरकार द्वारा नांगलाई जाट विधानसभा क्षेत्र मे सभी हाई टेंशन/हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों को चरणबद्ध तरीके से अंडरग्राउंड किए जाने की कोई योजना प्रस्तावित यह स्वीकृत है; और	जी नही, नांगलाई जाट विधानसभा क्षेत्र मे हाई टेंशन/हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने की कोई योजना प्रस्तावित या स्वीकृत नही है।
झ)	यदि हाँ, तो उसका क्षेत्रवार विवरण, अनुमानित लागत एवं समय–सीमा क्या है ?	उपरोक्तानुसार लागू नही होता है।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या–221
दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता–श्री मनोज कुमार शौकिन
क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार को नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में बीएसईएस द्वारा बार–बार हो रही अघोषित बिजली कटौती, लो–वोल्टेज एव़ अस्थिर विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी है;	जी हाँ, बीआरपीएल नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में 24X7 बेसिस पर शेड्यूल और बिना शेड्यूल बिजली कटौती की शिकायतो की निगरानी करता है, तथा उसकी जानकारी बीएसईएस बेबसाईट के साथ–साथ डीईआरसी बेबसाईट पर भी पब्लिश की जाती है। यह जानकारी प्रभावित कस्टमर, आरडब्लूए और पब्लिक प्रतिनिधि के साथ शेयर की जाती है।
ख)	यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि विगत एक वर्ष में लो–वोल्टेज की 2420 और अनियोजित कटौती की 111 शिकायते प्राप्त हुई है जिनका निवारण डीईआरसी द्वारा तय समय सीमा के अंदर कर दिया गया है।
ग)	क्या क्षेत्र मे जर्जर विद्युत तारों, पुराने ट्रांसफॉमरों एवं ओवरलोडेड फीडरों के कारण विद्युत आपूर्ति एवं जन–सुरक्षा प्रभावित हो रही है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि 24X7 बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए अपनी सम्पत्तियों की निगरानी कर रहा है और पुर्वानुमानित और निवारक रखरखाव कर रहा हैं बीआरपीएल बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता भी बढा रहा है।
घ)	यदि हाँ, तो इनके सुघार एवं प्रतिस्थापन हेतू अब तक क्या कार्रवाई की गई है;	बीआरपीएल ने जरुरत के हिसाब से पुराने और ओवरलोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और बदलने के लिए कई सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं इनमें खराब पावर लाइनों को बदलना ,ओवरलोडेडे ट्रांसफार्मर को ठीक करने एवं क्षमता बढाने ,डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना और नियमित निवारक रखरखाव शामिल है।
ड)	नांगलाई जाट विघानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने ट्रांसफार्मर स्थापित है तथा उनमे से कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड की स्थिति मे कार्य कर रहे है;	नांगलोई जाट विघानसभा क्षेत्र में लगभग 300 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिनकी कुल क्षमता लगभग 226 एमवीए है। इनमें से, कुल 30 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसर्फामर ओवरलोडेड थे जिनमे से 23 ट्रांसर्फामर की क्षमता वृद्धि (7.575एमवीए) का काम पूरा हो गया है। एक ट्रांसर्फामर अभी जगह की कमी के कारण ओवरलोडेड है शेष ट्रांसर्फामरों की क्षमता बढाने का काम आगामी गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाऐगा।
च)	क्या क्षेत्र मे बढती आबादी एवं विद्युत मांग को ध्यान मे रखते हुए नए ट्रांसफार्मर एवं फीडरो की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;	जी हाँ,
छ)	यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय–सीमा क्या है;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि इलाके में आबादी ओर बिजली की मांग मे बढोतरी को देखते हुए बीआरपीएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कई योजनाएँ शूरु की है। मौजूदा वित्त वर्ष मे दो नये ट्रांसर्फामर लगाये है जिससे क्षमता 0.655 एमवीए बढ गई है इसके अतिरिक्त 11.60 करोड की लागत से 1 पीटीआर (जिससे क्षमता वृद्धि 11.5 एमवीए), 6 वितरण ट्रांसर्फामर (जिससे क्षमता वृद्धि 3.21 एमवीए), 5.97 किमी लबाई का 11केवी एचटी फीडरी 4.55 किलोमिटर एलटी फीडर में नेटवर्क में जोडा गया है। इसके अतिरिक्त ओवरलोडेडे वितरण ट्रासर्फामरों को ठीक करने का

		काम भी लोड ग्रोथ को पूरा करने, नये कनेक्शन देने और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।
ज)	क्या सरकार द्वारा नांगलाई जाट विधानसभा क्षेत्र मे सभी हाई टेंशन/हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों को चरणबद्ध तरीके से अंडरग्राउंड किए जाने की कोई योजना प्रस्तावित या स्वीकृत है; और	जी नही, नांगलाई जाट विधानसभा क्षेत्र मे हाई टेंशन/हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने की कोई योजना प्रस्तावित या स्वीकृत नही है।
झ)	यदि हाँ, तो उसका क्षेत्रवार विवरण, अनुमानित लागत एवं समय-सीमा क्या है ?	उपरोक्तानुसार लागू नही होता है।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

(विकास पाण्डे)
उप सचिव (ऊर्जा)

अतारांकित प्रश्न संख्या–222
दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता–श्री संदीप सेहरावत

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में एचटी लाइन को हटाने कि इस वर्ष क्या योजना है;	मटियाला विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष तीन (03) प्रस्ताव 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता'(SASCI) में स्वीकृत हुऐ है जो कि भारत सरकार की योजना है और इसके अतंर्गत 30% अग्रिम धनराशि (6.40 करोड रुपये) सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल को जारी की जा चुकी है। इसके आलावा सात (07) प्रस्ताव ऊर्जा विभाग में विचाराधीन हैं।
ख)	ऊर्जा विभाग ने मटियाला विधानसभा के लिए इस वर्ष कितना बजट आंबटित किया और किन कार्यो के लिए किया गया;	ऊर्जा विभाग को एचटी/एलटी नीति कि तहत पूरी दिल्ली के लिए बजट आबंटित होता है। वर्ष 2025–26 के लिए एचटी/एलटी हेतु 100 करोड रुपये आबंटित किये गये हैं।
ग)	क्या सरकार की मटियाला विधानसभा क्षेत्र में लोहे के बिजली खंभों को हटाने की कोई योजना है;	जी नही।
घ)	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;	उपरोक्तानुसार लागू नही होता है।
ड.)	क्या सरकार की मटियाला विधानसभा क्षेत्र मे पावर ग्रिड बनाने की योजना है; और	जी नही।
च)	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें?	उपरोक्तानुसार लागू नही होता है।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या—223
दिनाँक :— 08/01/2026

प्रश्नकर्ता—श्री संजय गोयल

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>पिछले 5 वर्षो मे कितने उपभोक्ताओं के जीरो बीलिंग के बिजली बिल आए है, जिनमें घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, वर्षवार विवरण दे;</td><td>पिछले 5 वर्षो मे उपभोक्ताओं (घरेलू एवं वाणिज्यिक) जिनके जीरो बिल आए है, उनकी संख्या निम्नलिखित है:
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>घरेलू</th><th>वाणिज्यिक</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>2020—21</td><td>4035827</td><td>10989</td><td>4046816</td></tr>
<tr><td>2021—22</td><td>4925305</td><td>10735</td><td>4936040</td></tr>
<tr><td>2022—23</td><td>3589299</td><td>8634</td><td>3597933</td></tr>
<tr><td>2023—24</td><td>4270964</td><td>6515</td><td>4277479</td></tr>
<tr><td>2024—25</td><td>4759412</td><td>7750</td><td>4767162</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र मे कुल बिजली आपूर्ति कितनी है, वर्तमान में कितनी आपूर्ति की जा रही है, कितने पावर/सर्विस स्टेशन कार्यरत है तथा उनकी स्थापित क्षमता क्या है;</td><td>सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र मे चालू वित्त वर्ष में (अक्टूबर—2025 तक) कुल बिजली आपूर्ति 519.18 MU है (रोलिंग बेसिस पर) और वर्तमान में बिजली आपूर्ति 344.05 MU की जा रही है।
शाहदरा विधानसभा क्षेत्र मे 11केवी के कुल 136 सब —स्टेशन कार्यरत हैं, जिनकी क्षमता 265 एमवीए हैं ।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>बीएसईएस द्वारा अवैघ अथवा अनाधिकृत निर्माणों में बिजली कनेक्शन देने की क्या नीति एवं प्रक्रिया है तथा क्या ऐसे मामलों में टेम्परेरी अथवा रेगुलर कनेक्शन दिए जाते है, पिछले 5 वर्षो मे ऐसे कितने कनेक्शन जारी किए गए कृप्या वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण दें;</td><td>बीएसईएस, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा जारी आपूर्ति संहिता एवं प्रर्दशन मानक के अंर्तगत नये कनेक्शन जारी करती है। बीवाईपीएल ने सुचित किया है कि 17/11/2025 से पहले एमसीडी द्वारा बुक्ड निर्माणों पर बिजली कनेक्शन रोक दिये गये थे। ऐसे केस में कोई टेम्परेरी कनेक्शन देने का प्रावधान नही था। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के 'बीवाईपीएल बनाम भगवती और अन्य मामले' में 13/11/2025 के फैसले ओर उसके बाद पावर डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्कुलर नंबर एफ11/2025/पावर/7091—97 तारीख 17/11/2025 के निर्देशानुसार बीवाईपीएल ने उन जगहों जिन्हे एमसीडी ने अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक किया है पर नये बिजली कनेक्शन (स्थायी और अस्थाई दोनों) देना शूरु कर दिया है। एमसीडी की अनाधिकृत निर्माण बुकिंग के कारण कोई कनेक्शन रोका नही गया है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र मे बीएसईएस के विद्युत खंभों पर केबल टीवी, इंटरनेट एव अन्य ऑपरेटरों को तार लगाने की अनुमति किन—किन ऑपरेटरो को दी गई है, अब तक कुल कितनी अनुमतियाँ जारी की गइ हैं, तथा बिना अनुमति लगी अवैघ तारो/केबलों की संख्या कितनी है;</td><td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र मे बीवाईपीएल के साथ एग्रींमेंट वाली टेलीकॉम ऑपरेटर कम्पनियो के नाम इस प्रकार है—
<table>
<tr><th>क्र सं</th><th>कम्पनियाँ</th><th>खंभो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जीयो डिजीटल फाइबर</td><td>1270</td></tr>
<tr><td>2</td><td>भारती एयरटेल</td><td>809</td></tr>
<tr><td>3</td><td>एटीसी टेलीकॉम</td><td>71</td></tr>
<tr><td>4</td><td>टाटा स्काई</td><td>164</td></tr>
<tr><td>5</td><td>हिन्दुजा ग्लोबल सोलूशन</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>2320</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ड.	अवैध तारों की पहचान हेतु अब तक क्या सर्वे/जांच कराई गई है, इनके विरुद्ध कितने चालान/जुर्माने/कानूनी कार्यवाहियाँ की गई है, तथा भविष्य मे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस व्यवस्था की गई है;	अवैध और अनाधिकृत तारो की नियमित निगरानी के नतीजे सेफ्टी मैनेजमैंट सिस्टम के जरिये की जाती है तथा उन्हें आरडब्लूए और स्थानिय अधिकारियों के साथ मिलकर हटाया जाता है । बीवाईपीएल के पास दंडात्मक कार्यवाही की कोई शक्ति नही है। इसलिए समय–समय पर अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय करके अभियान चलाया जाता है।
च	बीएसईएस के खंभों से सभी अवैध तारों को हटाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जाएगी तथा इसके लिए कोई समयबद्ध कार्य –योजना निर्धारित की गई है; और	बीवाईपीएल रेगुलर इंसपेक्शन ,प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और स्पेशल सेफ्टी ड्राइव के जरिए अवैध और अनाधिकृत तारो को हटाने के लिए लगातार और संरचित कार्य योजना चला रहा है । क्योंकि इस तरह की अवैध तारे फिर लग जाती है, इसलिए कोई तय तारिख नही है। हालांकि सेफ्टी खतरों से निपटने और उन्हे दोबारा होने से रोकने के लिए आरडब्लूए, स्थानिय अथॉरिटी और दूसरी यूटिलिटी एजेंसियों क साथ मिलकर लगातार और कमबद्ध कार्रवाई की जा रही है।
छ	यदि भविष्य में इन अवैध तारो के कारण किसी प्रकार की आगजनी, दुर्घटना या जन–धन की हानि होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किस विभाग/एजेंसी/ऑपरेटर की निर्धारित की जाएगी?	बीवाईपीएल बिजली वितरण लाइसेंसी होने के नाते, अपने अधिकृत इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के सुरक्षित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मदार है। टेलीकॉम,केबलटीवी ,सा इंटरनेट सर्विस प्रोवइडर जैसी थर्ड–पार्टी एजेसियों के अवैध और अनाधिकृत तार बीवाईपीएल नेटवर्क का हिस्सा नही है और ऐसे अनाधिकृत इंस्टालेशन से होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी उन केबलों को लगाने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संबधित एजेंसी की होगी।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–224
दिनाँक :– 08 / 01 / 2026

प्रश्नकर्ता– श्री जरनैल सिंह

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>दिल्ली मे अलग अलग बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के द्वारा कितने खंबे व ट्रांसफार्मर सडको पर लगे हुऐ है इसका विस्तृत विवरण दे;</td><td>बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा सडको के किनारे लगाये गये खंबे व ट्रांसफार्मरों का विवरण इस प्रकार हैं–
<table>
<tr><th></th><th>खंबे</th><th>ट्रांसफार्मर</th></tr>
<tr><td>बीआरपीएल</td><td>3.19 लाख</td><td>7596</td></tr>
<tr><td>बीवाईपीएल</td><td>1.40 लाख</td><td>2122</td></tr>
<tr><td>टीपीडीडीएल</td><td>2.54 लाख</td><td>24986</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>यदि इन खंभों व ट्रांसफार्मर्स की वजह से सडक पर जाम लगता है अन्य असुविधाएं होती है, तो उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी किसकी होती है;</td><td>यदि खंभों व ट्रांसफार्मस की वजह से सडक पर जाम लगता है या अन्य असुविधाएं होती है, तो उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी संबधित स्वामित्व वाली सडक निर्माण संस्था की हैं। बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा संबधित संस्था/ विभाग को ऐसे खंबे आदि स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>अभी तक इस तरीके की कितनी शिकायते ऊर्जा विभाग व बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास आए है व उन पर क्या कार्रवाई की गई है उनका विस्तृत विवरण दें;</td><td>बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना सलंग्न है। (संलग्नक 'क')</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>इस तरीके की शिकायतों से निपटने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है;</td><td>इस तरीके की शिकायतों पर बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा सूचना प्राप्त होने पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा जारी आपूर्ति संहिता एवं प्रर्दशन मानक विनियम 24 के अतंर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।</td></tr>
<tr><td>ड.)</td><td>सुभाष नगर नाले के साथ सडक पर लगे खंभों व ट्रांसफार्मर्स से होने वाले जाम की समस्या पर कब तक कार्रावाई कर दी जाएगी ;और</td><td>बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल नें सूचित किया है कि सुभाष नगर नाले के किनारे एचटी और एलटी नेटवर्क के साथ ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमे भूमिगत केबल में बदलने के लिए 1.56 करोड रुपये का खर्च आयेगा । माननीय विधायक के प्रस्ताव /सहमति मिलने पर यह योजना विशेषज्ञ तकनीकी समिति (ETC) को सौंपी जायेगी।</td></tr>
<tr><td>च)</td><td>रिहाइश इलाको के ऊपर से होकर गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को हटाने के लिए विभाग की क्या पॉलिसी है तथा विष्णु गार्डन क्षेत्र व एमबीएस नगर के ऊपर से होकर गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को कब तक हटा दिया जाएगा?</td><td>एचटी (11केवी, 33केवी, 66केवी)/ एलटी (400वी) बिजली ट्रांसमिशन लाइनें जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं को शिफ्ट करने की नीति संख्या एफ. 11(9)2007/पावर/ 2609–2619 दिनांक 03/08/2018, संशोधन संख्या–एफ.11 (26)/2014/पावर/575 दिनांक 22/03/2023 संलग्न है। (संलग्नक 'ख')।</td></tr>
</table>

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या–225
दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता– डॉ अनिल गोयल

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार की कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र की मार्केट्स (जैसे लाल क्वार्टर मार्केट आदि) में बिजली की तारों को अंडरग्राउड करने की कोई योजना है;	जी नही।
ख)	यदि हाँ, तो किन–किन मार्केट्स को इसके प्रथम चरण मे शामिल किया गया है और अन्य बची हुई मार्केट्स के लिए विभाग की क्या योजना है;	उपरोक्तानुसार लागू नही हैं।
ग)	कृष्णा नगर की मार्केट्स में बिजली के खंभों पर अन्य तारों का जो अंबार लगा हुआ है, उसे हटाने के लिए विभाग ने पिछले पांच वर्ष मे क्या कदम उठाए है;	पिछले 5 वर्षो में संबधित विजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने कृष्णा नगर की मार्केट् एरिया में 1.27 किमी का एक एचटी केबल सर्किट और 2.7 किमी लंबाई के 21एलटी फीडर लगाये गये है , जिससे खंभों पर तारो का जमावडा और उलझन काफी कम हो गई है इसके अलावा झील चौक के पास शिवपुरी के सामने, पडपडगंज रोड पर स्थित एक 11केवी सब–स्टेशन को मार्केट् एरिया में भीड कम करने के लिए शिफ्ट किया गया है।
घ)	क्या सरकार कृष्णा नगर की मुख्य मार्केट की तारों को अंडरग्राउड करने के कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित कर रही है;	जी नही।
ड.)	यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;	उपरोक्तानुसार लागू नही हैं।
च)	यदि इन झूलती तारों या अवैध तारों के जाल के कारण कोई अप्रिय घटना या जान–माल की हानि होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर किसकी जवाबदेही होगी; और	विद्युत दुर्धटना की स्थिति में मुआवजे के भुगतान का दायित्व दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (विद्युत दुर्धटना पीडितों का मुआवजा) विनियम,2024 द्वारा नियंत्रित होता है । उक्त विनियमों के अनुसार,उत्पादन कंपनियां और लाइसेंसधारी, निर्धारित प्रर्दशन मानकों का पालन न करने के कारण हुई विद्युत दुर्घटना में मानव जीवन, पशु या मुर्गी पालन की हानि, या किसी व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में, विनियम 6 और 10 के अंतर्गत निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगें जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि विद्युत दुर्घटना मुख्य रुप से ऐसी विफलता के कारण नही हुई थी , बल्कि उनके नियंत्रण से परे किसी बाहरी कारण का प्रत्यक्ष या निकटवर्ती परिणाम थी। विनियम 6 के अंतर्गत अधिकतम मुआवजे की राशि 7.50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है इसके आलावा विनियम 10 के अंतर्गत पशु पक्षियों के नुकसान पर, दुधारु पशुओं में अधिकतम 50 हजार रुपये एवं भारवाहक पशुओं में अधिकतम 25 हजार रुपये की राशि निर्धारित हैं।
छ)	क्या सरकार द्वारा अवैध तार लगाने वाली कंपनियो पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान है?	

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–226

दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता– श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि मुस्ताफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी–69) की घनी आबादी को देखते हुए बिजली कम्पनी बीएसईएस द्वारा कोई ग्रिड बनाने की योजना प्रस्तावित थी;	जी हाँ,
ख)	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दे;	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि मुस्ताफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी–69) की घनी आबादी को देखते हुए, सिंचाई और बाढ नियंत्रण विभाग के स्वामित्व वाली एक खाली जमीन की पहचान प्रस्तावित ग्रिड स्थापना के लिए की गई थी। इस मामले को जमीन के सीमांकन की पुष्टि के लिए, जिसमें खसरा और खतौनी के विवरण शामिल है, एसडीएम, यमुना विहार के पास भेजा गया था। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि बीवाईपीएल ने ग्रिड के उद्देश्य के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन की मांग की है।
ग)	जगह की उपलब्धता होने के बावजूद भी राजस्व विभाग के एसडीएम द्वारा संदर्भित जमीन को चिन्हित न करने के क्या कारण थे, पूर्ण विवरण दें;	इस सबध में राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि एसडीएम, यमुना विहार द्वारा दिनांक 14/08/2025 के पत्र के माध्यम से बीएसईएस एव आई एड एफसी विभाग को सूचित किया गया है कि संबधित विभाग द्वारा उक्त भूमि के स्वामित्व /हस्तांतरण से संबंधित न तो कोई दस्तावेज और न ही कोई पता उपलब्ध कराया गया है। जिसके अभाव में आगे की कार्रवाई संभव नही है । साथ ही बीएसईएस एव आई एड एफसी को यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम जियाउद्दीनपुर शहरीकृत घोषित हो चुका है तथा इस क्षेत्र में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 लागू नही होता है। यदि सीमांकन (डिमार्केशन) आवश्यक हो, तो वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरांत ही सरकारी अनुमोदित सर्वेयर द्वारा टोटल स्टेशन मेंथड (टीएसएम) के माध्यम से किया जा सकता है, तथा लागू सर्वे शूल्क का वहन आवेदक विभाग द्वारा किया जाएगा (संलग्नक 'क') । अब तक बीएसईएस एव आई एड एफसी विभाग से उक्त भूमि के स्वामित्व/हस्तांतरण से संबधित किसी भी दस्तावेज अथवा पते की प्रस्तुति के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ हैं। सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि फीस जमा करने के लिए बीवाईपीएल द्वारा जरुरी कार्यवाही की जा रही है जिसके बाद हडबंदी की प्रक्रिया पूरी की जायेगी और उसी के अनुसार जमीन आवंटित करने की आगे की कार्यवाही की जायेगी।
घ)	क्या यह सत्य है कि राजस्व विभाग की भूमाफियाओं से कोई सांठगांठ है; और	जी नही।
ड.)	यदि नही तो 6250 गज जमीन को कब तक चिन्हित किया जायेगा और संबंधित बिजली कम्पनी बीएसईएस के साथ हैंड ओवर और टेकन ओवर की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी, समय सीमा के साथ पूर्ण विवरण दें?	इस सबध में राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि आवश्यक स्वामित्व अभिलेखों की प्राप्ति, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा टीएसएम की व्यावस्था के पश्चात, सीमांकन की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी। टीएसएम सर्वे हेतू निर्धारित एवं लागू सर्वे शूल्क का वहन आवेदक विभाग द्वारा किया जाएगा।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या–227
दिनाँक :– 08/01/2026

प्रश्नकर्ता– श्री इमरान हुसैन

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार को पुरानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में बिजली, केबल एव़ अन्य तारों के जाल से उत्पन्न दुर्घटनाओं एव़ आग की संभावनाओं की जानकारी है;	जी हाँ, सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि समय समय पर खभों से अनाधिकृत तार हटाने के लिए विशेष अभियान चलाये जाते है।
ख)	क्या सरकार द्वारा इन तारों को भूमिगत (अंडरग्राउंड वायरिंग) करने अथवा सेग्रीगेशन हेतू कोई योजना/स्कीम प्रस्तावित या स्वीकृत की गई है; और	एचटी/एलटी बिजली की तारे जिनसे मानव जीवन को खतरा हो सकता है उन बिजली की तारों को भूमिगत करने या स्थानान्तरित करने की दिल्ली सरकार की योजना पहले से ही अस्तित्व में हैं। इसके अलावा वर्तमान योजना के कार्यक्षेत्र को बढाने के लिए योजना में कुछ बदलाव प्रस्तावित है, जिन्हें अंतिम प्रारुप दिया जा रहा है एवं स्वीकृति के बाद अधिसूचित किया जायेगा।
ग)	यदि हाँ, तो उस योजना का नाम, वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति तथा पुरानी दिल्ली में इसे कब तक लागू किया जायेगा ?	

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–228
दिनाँक :– 08/01/2026
प्रश्नकर्ता– डॉ अजय दत्त
क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	अम्बेडकर नगर में कु्ल कितनी बिल्डिंग्स 'बुक' (अनाधिकृत निर्माण श्रेणी) में दी गई है? उन सभी का पूरा नाम, पता और बुकिंग का कारण स्पष्ट करे;	सूचना दिल्ली नगर निगम से संबधित है एवं सूचना प्रदान करने हेतु दिल्ली नगर निगम को पत्र जारी किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर जानकारी प्रदान कर दी जाएगी।
ख)	इनमें से कितनी बिल्डिंग्स में बिजली के मीटर लग चुके है और कितनी अभी भी शेष है; और	सम्बधित बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि 17/11/2025 को दिल्ली सरकार के आदेश के उपरान्त बिजली कनेक्शन आवेदन में कमियों की सूची में से दिल्ली नगर निगम द्वारा बुक सूची को ही हटा दिया गया है। बुक सूची की वजह से जो आवेदन लंबित थे उन्हें तुरन्त कनेक्शन दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 17/11/2025 से अब तक अम्बेडकर नगर क्षेत्र में 589 आवेदन, जो सिर्फ दिल्ली नगर निगम की 'बुक' सूची की वजह से रोके गयें थे उन्हें बिजली कनेक्शन जारी किया जा चुका है।
ग)	जिन बिल्डिंग्स में मीटर नही लगे है, उनके लंबित होने का मुख्य कारण क्या है और वहां मीटर कब तक लगा दिए जाएगें?	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रर्दशन मानक) की शर्तें पूरी करने वाले नये बिजली कनेक्शन के आवेदनो को जारी किया जा रहा है तथा एमसीडी की अनाधिकृत निर्माण बुकिंग के कारण कोई कनेक्शन नही रोके जा रहे हैं।

सूचना माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुमोदित है।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 230
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्री अनिल झा

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या सरकार को यह जानकारी है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत में वृद्धजनों की संख्या अत्याधिक है, किंतु इन क्षेत्रों में अब तक वृद्धावस्था आश्रम (Old Age Home) की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है;	वर्तमान में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी वृद्धावस्था आश्रम संचालित नहीं हैं क्योंकि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के पास कोई जमीन उपलब्ध नही हैं।
(ख)	यदि हाँ, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा यहाँ वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना हेतु अब तक क्या–क्या कदम उठाए गए हैं;	इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेक ऐसी महिलाएँ हैं जिनके पति नशे के आदी होने के कारण घर छोड़कर चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे महिलाएँ निराश्रित अवस्था में जीवनयापन करने को विवश हैं;	महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।
(घ)	यदि हाँ, तो ऐसी महिलाओं को निराश्रित पेंशन के अंतर्गत चिन्हित कर लाभ देने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की गई है;	महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।
(ड.)	क्या सरकार को यह जानकारी है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निराश्रित पेंशन का भुगतान विगत लगभग चार महीनों से विलंबित है, जिससें लाभार्थियों को दवा, भोजन एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;	जी नहीं। वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से फण्ड उपलब्ध न होने के कारण केवल सी. एस.एस (CSS) के लाभार्थियों की सहायता राशि प्रेषित करने में विलम्ब हो रहा है। विधवा पेंशन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।
(च)	यदि हाँ, तो इस विलंब के क्या कारण हैं तथा पेंशन का भुगतान में हो रही देरी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहें हैं तथा लंबित पेंशन राशि का भुगतान कब तक सुनिश्चित किया जाएगा;	इस संदर्भ में केन्द्र सरकार को फण्ड जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका हैं। जैसे ही केन्द्र सरकार से फण्ड प्राप्त होगा, वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत सी.एस.एस. (CSS) के लाभार्थियों की सहायता राशि प्रेषित कर दी जाएगी।
(छ)	क्या सरकार यह भी स्वीकार करती हैं कि वर्तमान में रू॰ 2500 प्रति माह दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निराश्रित पेंशन की राशि बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त हैं,	ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।
(ज)	यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पेंशन राशियों को रू॰ 2500 से बढ़कार रू॰ 4000 प्रति माह करने पर विचार कर रही है; और	
(झ)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	

अतारांकित प्रश्न संख्या – 231
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्री करनैल सिंह
क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
(क)	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने लोग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं, नाम और पता सहित पूरा विवरण दें;	शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना में कुल 4583 लोग सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं। बुजुर्गों से संबंधित जानकारी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
(ख)	वृद्धावस्था पेंशन पाने वालें लोगों का शकुरबस्ती से अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण या उनकी मृत्यु होने के कारण कितनी सीटें खाली हुई हैं;	ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
(ग)	फर्जी दस्तावेज के आधार पर अभी तक जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और	इस संदर्भ में विभाग द्वारा वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के सभी लाभार्थियों के सत्यापन हेतु थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन (Third Party Verification) का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके तहत् जल्द ही सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
(घ)	शकुरबस्ती विधासभा क्षेत्र में कितने नए लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ हैं और उनमें से पात्र लोगों को कब तक वृद्धावस्था पेंशन चालू हो जायेगी?	नवंबर 2024 से 1000 लोगों ने वृद्धावस्था आर्थिक सहायता (पेंशन) के लिए आवेदन किया। 493 आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए गए जिसमें से कुल 437 लाभार्थियों को सहायता राशि नवंबर 2025 तक प्रेषित की जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 232
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्री नीरज बसौया
क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग आदि) के अंतर्गत कुल कितने पेंशनधारक लाभांवित हुए है, वर्ष–वार एवं योजना–वार विवरण सहित;</td><td>कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) में वृद्धावस्था एवं दिव्यांग योजनाओं के अंतर्गत पेंशनधारकों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है–
<table>
<tr><th></th><th>2022–23 (मार्च 2023)</th><th>2023–24 (मार्च 2023)</th><th>2024–25 (मार्च 2023)</th></tr>
<tr><td>वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना</td><td>2294</td><td>2308</td><td>2318</td></tr>
<tr><td>दिव्यांग आर्थिक सहायता योजना</td><td>645</td><td>702</td><td>719</td></tr>
</table>
विधवा पेंशन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>(ख)</td><td>उपर्युक्त अवधि में इस विधानसभा क्षेत्र में कितने नए पेंशन लाभार्थी जोड़े गए है;</td><td>कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) में वृद्धावस्था एवं दिव्यांग योजनाओं के अंतर्गत जोड़े गए नए पेंशनधारकों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है–
<table>
<tr><th></th><th>2022–23</th><th>2023–24</th><th>2024–25</th></tr>
<tr><td>वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना</td><td>07</td><td>00</td><td>380</td></tr>
<tr><td>दिव्यांग आर्थिक सहायता योजना</td><td>44</td><td>30</td><td>21</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>क्या पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की लंबित शिकायतें या विलंब सामने आए है;</td><td>जी नहीं। अपितु पेंशन भुगतान प्रक्रिया में कुछ स्थितियों में जैसे –लाभार्थी के दस्तावेजों में कमी होना, लाभार्थी का बैंक खाता बंद होने (A/c Closed) खाता ब्लॉक या फ्रीज होना (Account Blocked/frozen), बैंक खाता निष्क्रिय होना (account inoperate), आधार बैक खाते से लिंक न होना (Inactive Aadhar) एवं लाभार्थी का KYC न होने के कारण सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित होने में कुछ विलम्ब हो जाता है । किन्तु लाभार्थी द्वारा कमी पूर्ण करने पर सहायता राशि उनके आधार लिंक बैंक खातो में प्रेषित कर दी जाती है ।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>यदि हाँ, तो उनका विवरण तथा निस्तारण हेतु उठाए गए कदम क्या है; और</td><td>उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>क्या पात्र लेकिन अब तक वंचित व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने हेतु कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई विशेष अभियान चलाया गया है या प्रस्तावित है?</td><td>ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

अतारांकित प्रश्न संख्या – 233

दिनांक – 08/01/2026

प्रश्नकर्ता – श्री वीर सिंह धिंगान

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता पेंशन देता है;	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ, तो दिल्ली के कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जा रही है, विधानसभा वाइस विवरण दिया जाए;	दिल्ली में कुल 436035 (नवंबर, 2025 तक) वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था सहायता (पेंशन) दी जा रही है। विधानसभा अनुसार ब्यौरा संलग्न है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को नए पेंशन फार्म गत वर्ष भरे गए है;	जी हाँ।
(घ)	यदि हाँ, तो कितने पेंशन फार्म भरे गए है;	कुल 70,044 वृद्धावस्था आवेदन भरे गए।
(ड)	क्या यह भी सत्य है कि पिछले कई वर्षों से नये पेंशन फार्म न भरने के कारण दिल्ली के हजारों बुजुर्ग महिलाएँ व पुरुष पेंशन से वंचित चल रहे है जिस कारण उन्हें अपने पोषण व दवाई आदि के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है; और	जी नहीं।
(च)	यदि हां, तो सरकार **शीघ्र** नए पेंशन फार्म भरवाने कब से शुरू करेगी पूर्ण विवरण दिया जाए?	सरकार रिक्तियों के उपलब्ध होने पर समय–समय पर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नए आवेदन आमंत्रित करती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 234
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्री वीर सिंह धिंगान
क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्रम.	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि सीमापुरी विधान सभा स्थित कुष्ठ आश्रम समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है;	सीमापुरी विधान सभा स्थित कुष्ठ आश्रम का 23.01 एकड़ का क्षेत्र समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है।
(ख)	यदि हाँ, तो उक्त कुष्ठ आश्रम में कितने कालोनियां है;	सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में तीन कॉलोनियाँ स्थित हैः (1) कस्तूरबा ग्राम कुष्ठ आश्रम (2) विलेज ऑफ होप फेज–I, और (3) विलेज ऑफ होप फेज–II।
(ग)	क्या यह सत्य नहीं है कि कुष्ठ आश्रम की अधिकतर सड़कें टूटी पड़ी है, जिसमें कुष्ठ रोगियों को आने जाने में काफी परेशानी होती है;	कुष्ठ आश्रम, ताहिरपूर में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य समय–समय पर निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार करवाया जाता है।
(घ)	यदि हां, तो उक्त कालोनियों की सड़कों को किए समाज कल्याण से कुल कितना फण्ड आबंटित किया गया तथा उक्त सड़कों को बनने में कितना समय लगेगा पूर्ण विवरण दिया जाए;	दिल्ली के ताहिरपुर कुष्ठ परिसर में सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत किए गए विकास और मरम्मत कार्य का वितरण निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	अनुमान का विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणीयाँ
1.	सीमापुरी (AC-63) में ताहिरपुर कुष्ठ परिसर के मानव कुष्ठ सेवा समिति में मौजूदा CC रोड़ का सुधार और साइड ड्रेनों का उन्नयन PWD द्वारा सन 2021 में किया गया	रु. 96,35,000/–	कार्य पूर्ण
2.	सीमापुरी (AC-63) में ताहिरपुर कुष्ठ परिसर के शांति कुष्ठ आश्रम में मौजूदा CC रोड़ का सुधार और साइड ड्रेनों का उन्नयन PWD द्वारा सन 2021 में किया गया	रु. 23,09,000/–	कार्य पूर्ण
3.	AC-63, नॉर्थ ईस्ट–I दिल्ली में ताहिरपुर कुष्ठ परिसर मं जल आपूर्ति नेटवर्क का सुधार PWD द्वारा सन	रु. 9,53,637/–	कार्य पूर्ण

			2019 में किया गया		
		4.	आनंद ग्राम और कस्तूरबा ग्राम कुष्ठ क्षेत्र, ताहिरपुर दिल्ली में स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट का उन्नयन PWD द्वारा सन 2019 में किया गया	रु. 18,64,348/—	कार्य पूर्ण
		5.	ताहिरपुर , दिल्ली में कस्तूरबा कुष्ठ आश्रम में खतरनाक इमारतों के चारों ओर अस्थायी बैरिकेडिंग PWD द्वारा सन 2021 में प्रदान एवं स्थापित किया गया	रु. 2,13,843/—	कार्य पूर्ण
		6.	सीमापुरी AC-63 में ताहिरपूर, दिल्ली कुष्ठ परिसर में पहुँच मार्ग का सुधार PWD द्वारा सन 2019 में किया गया	रु. 45,65,000/—	कार्य पूर्ण
			कुल	रु. 1,95,40,828/—	
(ड)	क्या यह भी सत्य है कि कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर में समाज कल्याण विभाग ने विकास कार्यों के लिए कितना पैसा आबंटित किए है;	उपरोक्त (घ) के अनुसार			
(च)	यदि हां, तो किन—किन ऐजेंसियों को कुल विकास कार्यो के लिए कुल कितने पैसे आबंटित किए है पूर्ण विवरण दिया जाए तथा यह विकास कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंग?				

अतारांकित प्रश्न संख्या – 235
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्रीमती आतिशी

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
(क)	मुख्यमंत्री कोविड 19 पारिवारिक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत अब तक दिल्ली सरकार से 50000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है, विभागसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध कराएं ;	यह अनुग्रह राशि राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।
(ख)	अब तक दिल्ली सरकार से 2500 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करें; और	मुख्यमंत्री कोविड–19 पारिवारिक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत जिलावार कुल 11807 लाभार्थी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे है, जो कि निम्नलिखित हैं– (तालिका नीचे) लाभार्थियों का ब्यौरा विधानसभानुसार उपलब्ध नहीं है।
(ग)	वित्त वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 व 2024–25 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया व कितने व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया?	कोविड–19 योजनानुसार वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित हैं– (तालिका नीचे)

(ख) का उत्तर:

क्रमांक	जिला	लाभार्थियों की संख्या
1	मध्य	582
2	पूर्व	1258
3	नई दिल्ली	316
4	उत्तर	872
5	उत्तर–पूर्व	1437
6	उत्तर–पश्चिम–I	1876
7	उत्तर–पश्चिम–II	1044
8	दक्षिण	987
9	दक्षिण–पश्चिम	1523
10	पश्चिम	1912

(ग) का उत्तर:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल लाभार्थी
2021–22 (जून, 2021 से)	14648	10539
2022–23	957	11572
2023–24	151	11872
2024–25 (मार्च, 2025 तक)	53	11884

अतारांकित प्रश्न संख्या – 236
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्नकर्ता – श्री संजीव झा

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2025 को 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धाजनों के लिए रु. 50,000 पेंशन योजना की घोषणा की गई थी;	जी नहीं।
(ख)	क्या यह सही है कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म केवल मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की विभागीय (official) ID से ही भरे जा सकते थे, जबकि अन्य विधायकों की विभागीय ID से आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी गई;	
(ग)	इस व्यवस्था के कारण कौन–कौन से विधानसभा क्षेत्रों के नागरिक इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए, विधानसभावार विवरण उपलब्ध कराया जाए;	
(घ)	क्या यह सत्य है कि कई मामलों में विधायकों द्वारा मंत्रियों या मुख्यमंत्री की ID का उपयोग कर फॉर्म भरे गए, जबकि अन्य विधायकों अथवा उनके विभानसभा क्षेत्रों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
(ड)	यदि हाँ, तो ऐसे सभी मामलों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए;	
(च)	दिनांक 17.09.2025 से अब तक इस पेंशन योजना के अंतर्गत • कुल कितने आवेदन मुख्यमंत्री की ID से भरे गए, • कुल कितने आवेदन मंत्रियों की ID से भरे गए, • तथा प्रत्येक आवेदन किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, इसका विधानसभावार एवं ID वार पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए;	
(छ)	क्या विभाग अब विधायकों के लिए अलग से आवेदन भरने हेतु विभागीय ID/लॉगइन सुविधा शुरू करने जा रहा है, ताकि वे अपने क्षेत्र के पात्र वृद्धजनों के आवेदन स्वयं भर सकें; और	
(ज)	यदि हाँ, तो यह व्यवस्था कब तक लागू की जाएगी, इसका स्पष्ट समयबद्ध विवरण दिया जाए?	

अतारांकित प्रश्न संख्या – 237
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्न कर्ता – श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

	प्रश्न	उत्तर
(क)	मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी–69) मे समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है उसका पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर के साथ उपलब्ध कराएं;	मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी–69) में कुल 8906 वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। बुजुर्गों से संबंधित जानकारी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है ।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि अधिकतर क्षेत्र में जिनको वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा वे अन्यत्र जगहों पर शिफ्ट हो गए उनका भी पूर्ण विवरण दें;	ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों के अन्तर्गत दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नये वृद्धावस्था पेंशन बनाने के फार्म उपलब्ध कराए गए थे; और	जी नहीं। आवेदन ऑनलाईन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटिजन लॉगइन (Citizen Login) से भरे गए थे।
(घ)	यदि हां, तो उन फार्मों को समाज कल्याण विभाग द्वारा जमा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक इन फार्मों को विभाग द्वारा जमा कर लिया जाएगा, समय सीमा बताकर पूर्ण विवरण दें?	उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

`

अतारांकित प्रश्न संख्या – 238
दिनांक – 08/01/2026
प्रश्न कर्ता – श्री तिलक राम गुप्ता

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
(क)	त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने लोग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे है, नाम और पता सहित पूरा विवरण दें;	त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4676 वृद्ध लोग वृद्धावस्था आर्थिक सहायता (पेंशन) प्राप्त कर रहे है। बुजुर्गों से संबंधित जानकारी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है ।
(ख)	वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों का त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण या उनकी मृत्यु होने के कारण कितनी सीटें खाली हुई है;	ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
(ग)	त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने नये लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है और उनमें से पात्र लोगों को कब तक वृद्धावस्था पेंशन चालू हो जाएगी; और	नवंबर 2024 से 1000 लोगों ने वृद्धावस्था आर्थिक सहायता (पेंशन) के लिए आवेदन किया। 636 आवेदन जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए गए जिसमें से कुल 561 लाभार्थियों को सहायता राशि नवंबर 2025 तक प्रेषित की जा चुकी है।
(घ)	समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली की जनता को क्या–क्या सुविधायें दी जाती है, पात्रता सहित पूरी जानकारी देने का कष्ट करें?	(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग वृद्ध व्यक्तियों को रूपये 2000/– मासिक (60–69 आयु वर्ग के वृद्धजन) एवं रूपये 2500/– मासिक (70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन) की आर्थिक सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के वृद्ध लाभार्थियों को रूपये 500/– अतिरिक्त प्रदान किये जाते हैं । पात्रताः– • प्रार्थी को आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पॉच वर्ष का निवासी होना आवश्यक है । • प्रार्थी की आय 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो । • इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं । • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो । (2) विशेष जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना (विकलांग पेंशन)– समाज कल्याण विभाग विकलांग व्यक्तियों को रूपये 2500/– मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।

		पात्रताः • प्रार्थी गत पॉच वर्ष दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए । • प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो । • परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो । • प्रार्थी अन्य किसी सरकारी/अर्ध सरकारी व स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की पेंशन या अन्य सहायता प्राप्त न कर रहा हो । • दिनांक 07.08.2018 के केबिनेट निर्णय के अनुसार विकलांगता पेंशन हेतु उच्चतम आयु सीमा को हटा दिया गया है । (3) दिल्ली पारिवारिक लाभ योजनाः– परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आश्रितों को 20000 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है । पात्रता : • मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष। • वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम। • दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक का निवासी होना। • मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र। (4) कोविड–19 के कारण मुत्यु हो जाने वाले लोगों के परिवारों के लिये दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत मासिक पारिवारिक आर्थिक सहायता योजनाः 2500 रू0 प्रतिमाह की सहायता उन दिल्लीवासियों के लिये है जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोविड–19 के कारण मृत्यु हुई है । (5) उच्च सहायता आवश्यकता वालें बेंचमार्क दिव्यांग के लिए वित्तीय सहायता योजनाः दिल्ली सरकार द्वारा उच्च सहायता आवश्यकता वालें बेंचमार्क दिव्यांग के लिए वित्तीय सहायता योजना दिनांक 17–09–2025 से शुरू की गई है। उक्त उच्च यहायता की आवश्यकताओं वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन स्वीकृति के माह से रूपये 6000 प्रति माह की राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। यह राशि विभाग द्वारा ''विशेष आवश्यकता वालें व्यकित्यों के लिए वित्तीय सहायता'' योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मासिक आधार पर दी जाने वाले राशि, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी। पात्रताः दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी से दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

		कम से कम पॉच वर्षो से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, आकलन बोर्ड द्वारा निधारित स्कोर 60 से 100 होना चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक सरकारी कर्मचारी नही होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जो दर्शाता हो कि व्यक्ति दिल्ली का निवासी है। (6) दिल्ली अनुदान नियम 2008 के अंतर्गत अनुदान सहायता योजनाः– दिल्ली अनुदान नियम/योजना,2008 के तहत, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामाजिक कल्याण कार्य में लगे स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थानों/संगठनों को सामाजिक कल्याण विभाग के जनादेश के अनुसार, विशेष रू‐ से विकलांगता और वृद्धावस्था क्षेत्र के अंतर्गत, अनुदान सहायता प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, गैर–सरकारी संगठन आवर्ती और अनिवर्ती व्यय प्रकारों के लिए क्रमशः 90% और 75 %तक अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। निदेशक (सामाजिक कल्याण) की अध्यक्षता में एक अनुदान सहायता समिति, जिसका गठन दिल्ली अनुदान नियम/योजना, 2008 में निर्दिष्ट है, संबंधित सामाजिक कल्याण विभाग के क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनुदान सहायता के लिए मामलों की सिफारिश करती है। (7) सुगम्य सहायक योजना (बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाना) सुगम्य सहायक योजना 23 जनवरी 2024 को समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ और मानकीकृत सहायक उपकरण मुफ्त मं पदान किए जाते हैं जिसमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, वहीलचेयर, हियरिंग एड, बैसाखी, कैलिपर्स, वॉकर और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्टफोन शामिल है। पात्रता मानदंडः 1. आवेदन के पास विकलांगता प्रमाण पत्र/UDID कार्ड के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता (40% या उससे अधिक विकलांगता) 2. दिल्ली का निवासी होना चाहिए। 3. परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8,00,000/– रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. आधार कार्ड होना चाहिए। 5. आवेदक ने पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान किसी अन्य सरकारी योजना से वही वस्तु प्राप्त नहीं की हो। हालांकि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्मित उपकरणें के लिए कोई सीमा लागू नहीं होगी।

		मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए पात्रता मानदण्डः– 1. आवेदन को 80% या अधिक विकलांगता होनी चाहिए। 2. 16 वर्ष और उससे अधिक 3. मानसिक अक्षमता वाले गंभर रूप से विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं है। – योजना को लागू करने के लिए विभाग सभी जिला समाज कल्याण कार्यालायों (DSWO) के माध्यम से मूल्यांकन और वितरण शिविर आयोजित करता है।

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 239
दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-Sh. Anil Jha (Kirodi)

क्या माननीय परिवहन मंत्रीय हमें बताने की कृपाक रेंगे किः

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार को यह जानकारी है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 9 लाख की आबादी क्षेत्र में डी.टी.सी. की बस सेवाएँ नही है, जिससे स्थानीय नागरिको को दैनिक आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से दि.प.नि. के चलने व होकर गुजरने वाली बसों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट–'क' पर उपलब्ध है।
ख	यदि हॉ, तो किराड़ी विधानसभा में वर्तमान में सचालित डी.टी.सी बस रूटों एवं बसों की संख्या क्या है;	उपरोक्त 'क' के अनुसार।
ग	क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभ के अंर्तगत इन्द्र एन्कलेव बस स्टैंड की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहॉ शेल्टर, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, स्वच्छता, सड़क एवं यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है;	जी हाँ।
घ	यदि हॉ, तो उक्त बस स्टैंड के सौदर्यीकरण एवं आधारभूत सुविधओं के विकास हेतु अब तक क्या–क्या कदम उठाए गए है;	वभाग द्वारा इसके पुन वकास हेतु नीति वचाराधीन है।
ड	क्या यह भी सत्य है कि रोहिणी सेक्टर–41 में निर्माणधीन डी.टी.सी के कार्य में लंबे समय से अनावश्यक देरी हो रही है, जिसके कारण किराड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में नई बस सेवाएँ प्रांरभ नहीं हो पा रही हैं? यदि हॉ, तो इस देरी के कारण क्या हैं;	दिल्ली परिवहन निगम में इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।
च	उक्त बस डिपो का कार्य कब प्रारंभ हुआ था, अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष कार्य को पूर्ण करने की समय–सीमा क्या निर्धारित की गई है;	उपरोक्त ' ड ' के अनुसार।
छ	क्या सरकार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र नई डी.टी.सी बस सेवाएँ प्रारंभ करने एवं इन्द्र एन्क्लेव बस स्टैंड के पुनर्विकास हेतु कोई ठोस कार्ययोजना तैयार कर ही है;	जी हाँ। वभाग द्वारा इन्द्र एन्क्लेव बस स्टैंड के पुन वकास हेतु नीति वचाराधीन है।
ज	यदि हॉ, तो उसका विवरण एवं संभावित समय–सीमा क्या है?	नीति के प्रस्ता वत होने पर समय सीमा निर्धारित होगी।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र

विभागकानाम :- परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 240

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-Sh. Prem Chauhan (Deoli)

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (Phase-IV) के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक (Lajpat Nagar to Saket G Block) के बीच प्रस्तावित नई मंट्री लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस रूट पर कुल कितने स्टेशनी का निर्माण किया जाना है:	दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (Phase-IV) के अंतर्गत लाजपत नगर से साकेत जी ब्लाक (LAJPAT NAGAR TO SAKET G-BLOCK) के बीच प्रस्तावित मेट्रोलाइन के निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी निधर्धारित की जा चुकी है। एक निर्माण एजेन्सी द्वारा भूमि पर साइट मोबलाइजेशन एवं विस्तृत भू परीक्षण कार्य किया जा रहा है। इस लाइन पर कुल निम्नवत 8 स्टेशन का निर्माण किया जामा प्रस्तावित है। 1 लाजपत नगर 2 एंड्रयूज गंज 3 ग्रेटर कैलाश-1 4. चिराग दिल्ली 5 पुष्पा भवन 6. साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर 7 पुरुष विहार 8. साकेत जी ब्लाक

(ख) क्या यह सतय है कि इस रूट के पास स्थित दक्षिणपुरी और महमगीर क्षेत्र में लगभग 4 से 5 साख की घनी आबादी रहती है, जिसमे अधिकांश लोग मेहनतकश और कामकाजी वर्ग से है	सर्वेक्षण के अभाव में सटीक जानकारी देना संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग सर्वेक्षण कराने के लिए कुछ समय चाहता है।
(ग) क्या इस नई मैट्रो लाइन में दक्षिणपुरी/मदनगौर क्षेत्र के अंदर कोई स्टेशन प्रस्तावित है।	साजपत नगर से साकेत जी ब्लाक पर पुष्पा भवन स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो मदनगर क्षेत्र के निकट है। उपरोक्त के अलावा वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के चरण IV के अंतर्गत ऐरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। इस कॉरिडोर पर निर्माणाधीन अंबेडकर जगर और खानपुर (मैहरौली बदरपुर मार्ग पर), मदनगीर / दक्षिणपुरी क्षेत्र को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। कॉरिडोर का प्लान (अंबेडकर नगर व खानपुर स्टेशन) संलग्न है। (Annexure-A)
(घ) यदि नहीं तो इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र की इस सुविधा से वंचित रखने का क्या तकनीकी या आर्थिक कारण है:	
(ड) क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए इस लाइन के अलाइनमेंट (मार्ग) में संशोधन करने या दक्षिणपुरी के निवासियों के लिए कोई विशेष हवं स्टेशन बनाने पर विचार कर रही है. और	फैज़ IV के लाजपत नगर से सार्वल जी ब्लॉक मैट्रो कॉरिडोर क्रियान्वयन चरण में है। इसके संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान में दक्षिणपुरी के लिए विशेष हब स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
(च) यदि नहीं, तो भविष्य में इन लोगों को मैट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार की क्या वैकल्पिक योजना है?	कृपया उत्तर (घ) को संदर्भ में लें।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तरदेनेकेलियेनिर्धारितप्रपत्र

विभागकानाम :- *परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार*

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 241

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम :-**Sh. Kuldeep Kumar (Kondli)**

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या दिल्ली सरकार का मयूर विहार फेज-3 कोडली को मेट्रो से जोड़ने का कोई प्लान है,	हाँ, दिल्ली मेट्रो के चरण V (बी) के अंतर्गत मयूर विहार फेज़ 3 से शास्त्री पार्क मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है।
(ख) यदि हाँ तो उसे कब तक और किस फेज में उसे जोड़ा जाएगा; और	प्रस्तावित चरण V (बी) के अंतर्गत मयूर विहार फेज़ 3 से शास्त्री पार्क मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार (MoHUA) को 06.10.2025 को सौंपी जा चुकी है। डीपीआर अनुमोदन के पश्चात कार्य शुरू होगा।
(ग) इसकी क्या रूप रेखा है उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए?	कॉरिडोर का सूचकांक (Index) प्लान संलग्न है। (Annexure-B)

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र

विभागकानाम - परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 242

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-Sh. Neeraj Basoya (Kasturba Nagar)

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मेट्रो लाइनों के निर्माण, विस्तार अथवा उन्नयन के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डीडीए की कितनी भूमि/प्लॉट्स/पार्क्स को साइट ऑफिस अथवा अन्य निर्माण संबंधी उद्देश्यों के लिए लिया गया है, प्रत्येक भूमि/प्लॉट का स्थान, क्षेत्रफल, उपयोग का उद्देश्य तथा उपयोग की अवधि का विवरण क्या है,	कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मेट्रो के निर्माण, विस्तार अथवा उन्नयन के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा डीडीए की भूमि जो की साइट ऑफिस अथवा अन्य निर्माण संबंधी उद्देश्यों के लिए ली गयी है का विवरण Annexure-1 में सलग्न है ।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त डीडीए भूमि/पार्क्स को दिल्ली मेट्रो को केवल समयबद्ध (टाइम ब्राउंड) उपयोग हेतु दिया गया था और कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन्हें डीडीए को वापस किया जाना था,	हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्यरिशन को DDA द्वारा स्थायी एवं अस्थायी भूमि को दिया जाता है। स्थायी भूमि दिल्ली मेट्रो रेल कापरिशन के पास पट्टे पर दी जाती है एवं अस्थायी भूमि एक निश्चित अवधि के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कापरिशन को दी जाती है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अस्थायी भूमि DDA को वापिस लौटा दी जाती है।
(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी भूमि/प्लॉट्स डीडीए को वापस सौंपी जा चुकी हैं और कितनी अभी भी डीएमआरसी के अधीन है।	स्थायी भूमि जो दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को पट्टे पर दी है उसका विवरण Annexure-3 में संलग्न है ।

(ङ) क्या यह भी सत्य है की नीति के अनुसार पार्क । हरित क्षेत्र के उपयोग के बदले दिल्ली मेट्रो को वैकल्पिक हरित क्षेत्र / ग्रीन बेल्ट विकसित करनी होती है, और	नहीं, हरित क्षेत्र/पार्क के उपयोग के बदले दिल्ली मेट्रो रेल कापरिशन पार्क/हरित क्षेत्र नहीं विकसित करता है। हालांकि अस्थायी भूमि को पुनः यथावत कर वापस किया जाता है।
(च) यदि हाँ, तो कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से ग्रीन बेल्ट / हरित क्षेत्र विक्षित किए गए हैं। उनका स्थान एवं क्षेत्रफल क्या है	उपरोक्त के अनुसार नहीं ।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्

विभागकानाम :- *परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली सरकार*

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 243

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-Sh. Kuldeep Kumar (Kondli)

क्या माननीय परिवहन मंत्रीय हमें बताने की कृपाक रेंगे किः

विषयः– माननीय विधायक श्री कुलदीप कुमार (कोडली) द्वारा पूछे गये अतारांकितप्रश्न संख्या 243 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिंसबर 2025 तक डीटीसी एवं क्लस्टर बसों मार्शलों की कुल संख्या कितनी है तथा यह संख्या पूरे परिचालन बेड़े के लिए स्वीकृत आवश्यकता की तुलना में कितनी है कम या अधिक है;	दिनांक 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) एवं एफसीएमएस डिपो में कुल 3136 बस मार्शल कार्यरत थे जिसमे डीटीसी के वर्तमान परिचालन बेड़े की आवश्यकता के अनुसार, दोनो पारियों में कुल 5927 बस मार्शल की आवश्यकता है जो कि वर्तमान से 2791 कम है।
(ख)	पूर्व में सेवामुक्त कये गए बस मार्शलों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में परिवहन वभाग द्वारा वर्ष 2025 औपचारिक आदेश कस ति थ को जारी कया गया	वर्ष 2025 में ऐसा कोई औपचारिक आदेश परिवहन वभाग द्वारा जारी नहीं कया गया
(ग)	उक्त पुनर्नियुक्ति के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारत विशिष्ट पात्रता मानदंड (आयु, प्रशिक्षण एवं पूर्व सेवा अभिलेखा) क्या है;	बस मार्शलों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की प्रकिया में दिल्ली परिवहन निगम की कोई भूमिका नहीं होती है। बस मार्शलों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित आयु सीमा, प्रशिक्षण, शारीरिक मानक तथा पूर्व सेवा अभिलेख जैसे पात्रता मानदंडों का निर्धारण उनके पैतृक विभाग, अर्थात महानिदेशालय गृह रक्षक का है। दिल्ली परिवहन निगम की भूमिका केवल उनके पैतृक विभागों द्वारा नामित एवं भेजे गए गृह रक्षक बस मार्शलों को निगम की बसों पर लाइन ड्यूटी हेतु तैनात करने तक ही सीमित है।
(घ)	वर्ष 2025–26 हेतु इन बस मार्शलों के वेतन हेतु परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम तथा वित विभाग के बीच हुई, वित्तपोषण–स्त्रोत संबंधी संपूर्ण फाइल नोटिंग्स व पत्राचार की प्रतियां प्रदान करें ;	दिल्ली होम गार्ड वभाग बस मार्शल के वेतन बिल डीटीसी को जमा करता है और उसके बाद डीटीसी बस मार्शलों की उपस्थिति का सत्यापन करके बिल परिवहन वभाग को भेजता है, जिसके बाद परिवहन वभाग होम

(ड)	क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2025 में बस मार्शलों के कर्तव्यों के लिए नई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) प्रस्तावित की है, यदि हॉ,तो इसकी प्रति उपलब्ध कराएं ;	परिवहन वभाग द्वारा ऐसी कोई 'मानक संचन प्र क्रया' (SOP) प्रस्ता वत नहीं की गयी हैं
(च)	क्या इस नई एसओपी में यात्री सुरक्षा के अतिरिक्त मोहल्ला बस या नई "देवी" इलेक्ट्रिक बस सेवा की निगरानी जैसे कई अतिरिक्त दायित्व शामिल किए गए है;	परिवहन वभाग द्वारा ऐसी कोई 'मानक संचन प्र क्रया' (SOP) प्रस्ता वत नहीं की गयी हैं
(छ)	वर्ष 2025–2026 के बजट में, विशेष रूप से बस मार्शल योजना के लिए, आबंटित कुल बजटीय प्रावधान विवरण प्रदान करें, व यही भी बताएं कि 28 दिसंबर , 2025 तक इस राशि में से कितनी धनराशि वितरि की जा चुकी है;	दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए डी.टी.सी. बसों में मार्शल की तैनाती के लिए 80/– करोड रूपये की राशि का बजट आवंटित किया है। हालॉकिं, इस सम्बन्ध में व्यय का विवरण इस अनुभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।
(ज)	क्या परिवहन विभाग ने वर्ष 2025 में बस मार्शलों की प्रभावशीलता, अर्थात उत्पीड़न की घटनआओं में आई कमी, का आकलन करने हेतु कोई प्रभाव आकलन अध्ययन किया है, यदि हां, तो ऐसी किसी भी रिपोट या आंतरिक ऑडिट की प्रति उपलब्ध कराए;	वर्ष 2025 में परिवहन वभाग द्वारा कोई प्रभाव आकलन अध्ययन नहीं कया गया हैं
(झ)	परिवहन विभाग द्वारा शहर की परिवहन सुरक्षा व्यवस्था में मार्शलों की भूमिका की स्थाई प्रकृति व सेवा शर्तो के संबंध में उप राज्यपाल को भेजे गए सभी पत्राचार/संचार की प्रतियां उपलब्ध कराएं;	यह प्रश्न परिवहन वभाग से संबं धत नहीं है।
(ञ)	यह भी स्पष्ट करें कि इन मार्शलों की उपस्थिति के सत्यापन एवं भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है, ताकि पूर्व वर्षा में रिपोर्ट की गई समस्याएं जैसे घोस्ट कर्मचारियों अथवा वेतन वितरण में विलंब की समस्या का समाधान हो सके?	दिल्ली परिवहन निगम में बस मार्शलों की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का सुव्यवस्थित संधारण तथा हाजिरी का सत्यापन संबंधित डिपो प्रबंधक द्वारा किया जाता है। बस मार्शलों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार की है।

उत्तरदेनेकेलियेनिर्धारितप्रपत्

विभागकानाम :- *परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार*

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 244

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-Sh. Chaudhary Zubair Ahmad (Seelampur)

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या सरकार ने पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने या पुनः उपयोग करने के लिए कोई नीति बनाई है	*परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) पेट्रोल/डीज़ल (ICE) वाहनों को विद्युत वाहनों में परिवर्तित (रेट्रोफिटिंग) किए जाने के संबंध में* ***कोई नीति नहीं बनाई गई है*** *।*
(ख) क्या सरकार इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण और आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ को संतुलित करने के लिए कोई अध्ययन या पायलट प्रोजेक्ट कर रही है;	इस सन्दर्भ में , उपरोक्तउल्लिखित बिंदु (क) की ओर कृपया संदर्भित करने का कष्ट करे
(ग) क्या सरकार विचार कर रही है कि जिस तरह दिल्ली में पहले CNG वाहनों के लिए नीतियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए गए थे, उसी तरह पुरानी पेट्रोल/डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए भी योजनाएँ बनाई जाएँ; और (घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष और आगे की योजना क्या है?	(ग) एवं (घ)- *विभाग पुराने ICE वाहनों की रेट्रोफिटिंग के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श कर विभिन्न पहलुओं का परीक्षण/अन्वेषण कर रहा है। इस विषय में विस्तृत दिशानिर्देश, वर्तमान में मसौदा चरण में चल रही ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के पश्चात प्रस्तावित किए जाने की अपेक्षा है*

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

उत्तरदेनेकेलियेनिर्धारितप्रपत्

विभागकानाम :- *परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार*

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 245

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-**Sh. SatishUpadhyay (Malviya Nagar):**

क्यामाननीयपरिवहनमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकिः

प्रश्न	उत्तर
(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने मेट्रो फीडर बस रूट हैं व उन पर कितनी बसें चल रही हैं, कृपया रूटवार जानकारी दें।	मालवीय नगर में मेट्रो फीडर बस सेवा शुरू नहीं हुई है।
(ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बस क्यू शेल्टर हैं, और क्या इन बस शेल्टरों को अपग्रेड करने या उन्हें आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है. यदि हां, तो विवरण दे।	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 102 बस क्यू शेल्टर हैं, और इन बस क्यू शेलटरों को अपग्रेड करने या उन्हें आधुनिक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, विवरण सलग्न है।
(ग) क्या मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में देवी बस रूट चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से चलने व होकर गुजरने वाली दि.प.नि. की "देवी" बसों का विवरण परिशिष्ट-'क' परउपलब्ध है।
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति और इसे लागू करने संबंधी समयावधि की जानकारी दें, और	उपरोक्त ग केअनुसार
(ड) यदि नहीं, तो क्या एसी–43 में देवी बस रूट चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?	उपरोक्त ग के अनुसार

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्

विभागकानाम :- परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली सरकार

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 246

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम:-**Sh. Anil Goyal (Krishna Nagar)**

विशयः–माननीय विधायक श्री अनिल गोयल (कृश्णा नगर) द्वारा पूछे गये अतारांकितप्र न संख्या 246 का उत्तर

क्या माननीय परिवहन मंत्रीय हमें बताने की कृपाक रेंगे किः

क.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले DTCऔर क्लस्टर बसों के रुट्स, टाइमिंग क्या हैं और इन रूट्स पर वर्तमान में कुल कितनी बसें संचालित की जा रही हैं	कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से दि.प.नि. के चलने व होकर गुजरने वाली बसों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट–'क' पर उपलब्ध है, तथा समय सारणी परिशिष्ट–'ख' 33 पेजों पर उपलब्ध है।
(ख)	कृपया इन रूट्स पर बसों की ऑक्यूपेंसी का डेटा बताया जाये तथा यदि कुछ रूट्स पर ऑक्यूपेंसी कम है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर रूट रैशनलाइजेशन की कोई योजना है।	ऑक्यूपेंसी का डेटा का विवरण दिल्ली परिवहन निगम के यातायात विभाग से सम्बन्धित नही है। रूट रेशनलाइजेशन का कार्य दि.प.नि. का यातायात विभाग एवं डी.आई.एम.टी.एस. द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य 12 मीटर बस रूटों की निरंतरता सुनिश्चित करना, समय–सारणी एवं रूट संतुलन के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा सामाजिक सेवा दायित्वों और परिचालन दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रथम चरण में पूर्वी क्षेत्र (ईस्ट रीजन) के अंतर्गत 121 रूटों का रेशनलाइजेशन कार्य पूर्ण कर उसे लागू कर दिया गया है। द्वितीय चरण में पश्चिमी क्षेत्र (वेस्ट रीजन) के अंतर्गत 181 रूटों का रेशनलाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा तैयार योजना को शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

		इसी प्रकार यह प्रक्रिया शेष क्षेत्रों (उत्तर एवं दक्षिण) में भी लागू की जाएगी, ताकि शहर–स्तर पर एकीकृत, मांग–आधारित एवं प्रभावी बस परिचालन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
(ग)	दिल्ली में वर्तमान में चल रही DTC की बसों की औसत फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है।	दिल्ली में वर्तमान चल रही डी.टी.सी. की बसों की अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक औसत फ्यूल एफि एंसी का माहवार विवरण निम्न हैः– (see table below) औसतत्र 23456013 / 13138117त्र 1.79 (झडध्झ्ळ) (लगभग)
(घ)	कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बस स्टॉप हैं और उनमें से कितनों पर टाइम–टेबल डिस्प्ले लगा हुआ है,	कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 से 20 बस स्टॉप हैं और उनमे से किसी पर भी पर टाइम - टेबल डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है.
(ड)	यदि नहीं लगा है, तो इसके क्या कारण हैं।	विभाग द्वारा नवीनीकरण हेतु नीति विचाराधीन है।
(च)	क्या कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के कई बस स्टॉप जर्जर स्थिति में हैं।	जी हाँ।
(छ)	यदि हाँ, तो इनका नवीनीकरण करने की क्या कोई योजना है, और	हाँ, विभाग द्वारा इनका नवीनीकरण हेतु नीति विचाराधीन है।
(ज)	यदि हाँ, तो उसके भुारू होने की समय सीमा क्या है।	नीति के प्रस्तावित होने पर समय सीमा निर्धारित होगी।

माह	कुल कि. मी.	सी.एन.जी.
अप्रैल–2025	5703109	3167836
मई–2025	5346001	3031682
जून–2025	4464260	2540291
जुलाई–2025	3231492	1815705
अगस्त–2025	2497905	1444681
सितम्बर–2025	1534999	821914
अक्टूबर–2025	480405	231240
नवम्बर–2025	197842	84768
टोटल	23456013	13138117

हस्ताक्षर
(विभागाध्यक्ष)

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्

विभाग का नाम :- *परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार*

विभाग का पता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या:- 247

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली में इस समय कुल कितनी ई-रिक्शा चल रही हैं, इनमें से कितनी ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं और कितनी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, इसकी जोन/इलाके के हिसाब से जानकारी दी जाए;	ऑपरेशन ब्रांच में रजिस्टर्ड ई-रिक्शा की ज़ोन-वाइज़ डिटेल्स उपलब्ध नहीं हैं। (आईटी ब्रांच) • इसके अलावा, दिल्ली में बिना रजिस्टर्ड ई-रिक्शा के चलने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(ख) दिल्ली मेंई-रिक्शा के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार की अभी क्या नीति है, ईरिक्शा के रजिस्ट्रेशन, चलाने के नियम, रूट और सुरक्षा से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी दें;	• ई-रिक्शा "ई-रिक्शा सेवा योजना" के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिसे 29-12-2014 (कॉपी संलग्न है) को जारी किया गया था। इसके अलावा, डिपार्टमेंट ने 11-12-2014 को ई-रिक्शा की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है (कॉपी संलग्न है)। साथ ही, उस नोटिफिकेशन में 236 सड़कों का ज़िक्र है, जहाँ ई-रिक्शा के चलने और खड़े होने पर बैन है।
(ग) ई-रिक्शा ठीक तरीके से और सुरक्षित रूप से चलें, इसके लिए दिल्ली सरकार अभी कौन-कौन से कदम उठा रही है, इसमें	• ई-रिक्शा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की कैटेगरी में आते हैं और ई-रिक्शा का फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद, सेंट्रल

चालकों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े कदमों की जानकारी दी जाए; और	मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के संबंधित नियमों के तहत इन ई-रिक्शा को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। मांगी गई बाकी जानकारी के लिए, डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट ब्रांच और ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर ड्राइव चलाती है और नियम तोड़ने वाले ई-रिक्शा का चालान करती है।
(घ) जो ई-रिक्शा अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें नियमों में लाने के लिए सरकार की क्या नीति है, ताकि ई-रिक्शा चालकों की रोज़ी-रोटी पर असर न पड़े और सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा भी बनी रहे, सरकार की योजना और समय-सीमा बताई जाए?	• प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास विचाराधीन है ताकि बिना रजिस्टर्ड ई-रिक्शा के मालिकों को आदेश जारी होने की तारीख से 1 महीने के अंदर अपने वाहनों को रजिस्टर करने का मौका दिया जा सके, जिससे ई-रिक्शा मालिकों की रोज़ी-रोटी का नुकसान न हो और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र

विभागकानाम :- *परिवहनविभाग, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकार*

विभागकापता – 5/9, Underhill Road, Civil lines, Delhi-110054

तारांकित / अतारांकितप्रश्नसंख्या:- 248

दिनांक :- 08.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम.-**Sh. Tilak Ram Gupta (Trinagar):**

क्यामाननीयपरिवहनमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकिः

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि मेरे त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र केअन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के लगभग 20 से 25 बस स्टैण्डहैं,	• जी हाँ।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन स्थानों पर पक्के यात्री शेडन के बराबरहैं,	• जी हाँ।
(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार कब तक यात्रियों की सुविधा के लिए इन बस स्टैण्डों पर यात्री शेड बनवाने का कष्ट करे, और	• विभाग द्वारा इनके पुनः निर्माण हेतु नीति विचाराधीन है। तः पश्चात, नीति के प्रस्तावित होने पर समय सीमा निर्धारित होगी।
(घ) त्रिनगर विधानसभा से होकर गुजरने वाली कितनी प्रदूषण मुक्त देवी बसों के परिचालन की योजना है।	• त्रिनगरविधानसभाक्षेत्रसेचलनेवहोकरगुजरनेवालीदि.प.नि. की "देवी" बसोंकाविवरणपरिशिष्ट-'क' परउपलब्धहै।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 249

:- 08.01 2026

प्रश्न	उत्तर
(क) इस समय दिल्ली में चल रहे सरकारी/अर्द्धसरकारी ईवी चार्जिंग स्टेशन व ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की कुल संख्या क्या है;	परिवहन विभाग, GNCTD द्वारा स्वयं दिल्ली में कोई भी सरकारी चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में परिवहन विभाग, GNCTD चार्जिंग स्टेशनों एवं बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) जानकारी बनाए रखने हेतु एक ओपन ईवी डेटाबेस स्थापित करने की प्रक्रिया में है। तथापि, दिल्ली में ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग, GNCTD द्वारा आदेश संख्या दिनांक एजेंसी DTL द्वारा (DTL द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार) दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 620 चार्जिंग प्वाइंट एवं 60 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
(ख) दिल्ली सरकार की 'सिंगल विंडो' योजना के अंतर्गत कितने 'इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट' लगाए गए हैं	वितरण कंपनियों (DISCOMs) — BRPL, BYPL एवं TPDDL — द्वारा संचालित सिंगल विंडो योजना के अंतर्गत (DISCOMs द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1607 चार्जिंग प्वाइंट / 625 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में कितने सरकारी चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं; और	वर्तमान में दिल्ली में कुल 5,883 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 8,912 ईवी चार्जिंग पॉइंट तथा 893 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। (DISCOMs द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार)
(घ) दिल्ली सरकार द्वारा भविष्य में नए सरकारी/गैर-सरकारी चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट लगाने की क्या योजना है?	नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0, जो वर्तमान में प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) के चरण में है, के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नवीन प्रावधान प्रस्तावित किए जाने की संभावना है।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या : – 250
दिनांक : – 08.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम : – Dr. Ajay Dutt (Ambedkar Nagar)

प्रश्न	उत्तर
(क) लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें नौ मीटर वाली (जो मूल रूप से मोहल्ला बसों के रूप में चिह्नित की गई थीं) और जो अक्टूबर 2024 तक दिल्ली पहुंच गई थीं, उन्हें अप्रेल 2025 तक डपो में गैर परिचालनीय अवस्था में क्यों रखा गया;	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान किसी भी ऑपरेटर को बसों के इंडक्शन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था, जो रियायत अनुबंध (Concession Agreement) में निर्धारित बस इंडक्शन से संबंधित सभी शर्तों की पूर्ति करते हो । आरएफपी दस्तावेज़ की धारा 22 के अनुसार, बोलीदाता/रियायतग्राही के ओईएम (OEM) को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR) के नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित परीक्षण एजेंसी से धारा 22 की तालिका-1 एवं तालिका-2 के अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, बोली के समय स्वदेशीकरण (Indigenization) मानदंडों के अनुपालन हेतु स्व-प्रमाणन (Self-Certification) भी प्रस्तुत किया गया था।
(ख) (ख) क्या यह सत्य है क इन बसों को प्रारंभ में मूल नि वदा के अनुसार, मेक इन इं डया के अंतर्गत घटकों के 50 प्रतिशत स्वदेशीकरण की शर्त का पालन न होने के कारण, रोका गया था;	आरएफपी की धारा 6 की तालिका में क्रम संख्या G-6 के अनुसार, बसों की आपूर्ति के समय धारा 22 के अनुपालन से संबंधित अंतिम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। हालांकि, रियायतग्राही/ओईएम द्वारा प्रस्तावित बस के प्रोटोटाइप के निरीक्षण के समय CESL, परिवहन विभाग एवं डीटीसी की संयुक्त टीम के समक्ष धारा 22 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके उपरांत, रियायतग्राही/ओईएम द्वारा ICAT/ARAI/CIRT/VRD/GARC में आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए, ताकि आरएफपी की धारा 22 की तालिका-2 से संबंधित प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके।
(ग) (ग) यदि हां, तो मई 2025 में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर (देवी) योजना के अंतर्गत इनके परिचालन हेतु, बसों में या खरीद नियमों में कौन-कौन से व शष्ट तकनीकी अथवा कानूनी परिवर्तन कए गए व इन बसों की संख्या क्या थी;	आरएफपी की शर्तों के अनुसार, बसों की आपूर्ति के समय वे उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे। तथापि, उन्होंने परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी होते ही उसे प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके साथ ही, उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि परिवहन विभाग/डीटीसी द्वारा मासिक बिल भुगतान से तालिका-1 के उल्लंघन हेतु 5% तथा तालिका-2 के उल्लंघन हेतु अतिरिक्त 5% राशि रोकी जा सकती है, जब तक कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाए। विभिन्न परिदृश्यों के गुण-दोषों पर विचार करने के उपरांत परिवहन

	विभाग का यह मत था कि सरकार को इलेक्ट्रिक बस प्रौद्योगिकी की कीमतों में कमी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही, दिल्ली में वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण-जनित खतरों को कम करने की दिशा में विभाग के योगदान के रूप में अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक बसों का समावेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात तथा NEBP निविदा में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति एवं रियायतग्राहियों द्वारा तालिका-1 एवं तालिका-2 के अनुपालन हेतु अंडरटेकिंग प्रस्तुत किए जाने के बाद, प्रारंभिक रूप से 155 DEVI बसों का इंडक्शन दिनांक 02.05.2025 को किया गया। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर (DEVI) योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का इंडक्शन NEBP योजना के तहत किया जाता है। इन बसों की तकनीकी विशिष्टताएँ निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
(घ) इन बसों तथा इनके परिचालन संबंधी सभी फाइलों की, 1 सतंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 की अव ध तक की प्रतियां, जिनमें सभी फाइल टिप्प णयां एवं पत्राचार सम्मि लत हों, प्रदान करें;	उक्त बसों के परिचालन से संब धते आदेश दिनांक 18.03.2025, परिवहन वभाग द्वारा - डीटीसी को प्राप्त हुए थे, वह फाईलें जिनमें सभी टिप्प णयां एवं पत्राचार सम्मि लत है वह इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
(ङ) वर्तमान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2025 के बाद कौन-सा व शष्ट प्रमाणन अथवा कानूनी प्र क्रया पूरी की गई, जिसे पूर्ववर्ती सरकार कं थत रूप से अंतिम रूप देने में वफल रही है;	अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान आरएफपी की धारा 22 की तालिका-2 के अंतर्गत स्वदेशीकरण प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी कराने हेतु भारी उद्योग मंत्रालय (MHI), CESL तथा संबंधित परीक्षण एजेंसियों के साथ अनेक पत्राचार किए गए थे ।
(च) अक्टूबर 2024 से मई 2025 की अव ध के दौरान इन 400 बसों के कारण राज्य को संभा वत	उपरोक्त अवधि के दौरान बस इंडक्शन में बदलाव न होने से में परिचालन लागत में किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई है। उपरोक्त अव ध में निष्क्रिय बसों से संब धत कोई खर्च नहीं हुआ

राजस्व की कतनी हानि हुई तथा इस अव ध में इन बसों को निष्क्रिय रखे जाने पर कतना खर्च आया; और	है ।
(छ) केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत आवंटित 2800 इलेक्ट्रिक बसों की वर्तमान परिचालनीय स्थिति क्या है?	CESL द्वारा PM E-DRIVE योजना के अंतर्गत 27.06.2025 को एकीकृत निविदा जारी की गई। तकनीकी बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत, तकनीकी रूप से अर्ह बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ 23.12.2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोली गईं। इसके पश्चात निविदा शर्तों के अनुरूप कुल 2,800 इलेक्ट्रिक बसें—जिसमें 1,400 (9 मीटर) एवं 1,400 (12 मीटर) बसें शामिल हैं—दो बोलीदाताओं (L1 एवं L3) को आवंटित की गईं।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 251
दिनांक – 08 जनवरी, 2026
प्रश्नकर्ता – श्री विशेष रवि (करोल बाग)
क्या माननीय अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रं.	प्रश्न संख्या	उत्तर
क	एससी एसटी /ओबीसी छात्र–छात्राओं के लिए रिइंबर्समेंट ऑफ टयूशन फीस योजना में वर्ष 2024– 2025 के लिए विभाग को कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, उसमें से अब तक कितनी एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी गई है ?	वर्ष 2024–25 में रिइंबर्समेंट ऑफ टयूशन फीस योजना में 29919 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिनमें से 6917 एप्लीकेशनों का विभाग द्वारा निस्तारण कर दिया गया है।
ख	जो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है वह किस कारण से पेंडिंग है इसका एप्लीकेशन वाइज कारण बताया जाए: और	विभाग को वित विभाग से जो बजट प्राप्त हुआ था तथा उस बजट में जितने आवेदनों का निस्तारण किया जा सकता था उन सभी आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
ग	यह एप्लीकेशन कब तक क्लियर हो जाएंगे इसकी जानकारी प्रदान करें ?	वित्त विभाग से संशोधित बजट (आर. ई.) प्राप्त होने के बाद, सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या – 252
दिनांक – 08 जनवरी, 2026
प्रश्नकर्ता – श्री कैलाश गंगवाल (मादीपुर)

क्या माननीय अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रं.	प्रश्न संख्या	उत्तर
क	पूर्व में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में गरीब अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्रों को सरकारी नौकरी में भाग लेने के लिए मुफ्त में विभाग द्वारा कोचिंग की व्यवस्था को बंद किये जाने के क्या कारण है;	पूर्व में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना" के अंतर्गत प्राइवेट कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत दावों की विभागीय जांच के दौरान गंभीर त्रुटियां पाई गई थी जिनके कारण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावों की गहन जांच हेतु मामला भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को सौंपा गया है। उपरोक्त कारण से योजना का संचालन स्थगित है।
ख	इसे कब तक दोबारा शुरू कर दिया जायेगा;	इस संदर्भ में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा की गई जांच रिर्पोट आने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
ग	छात्रों को कोचिंग शुरू होने की सूचना किस प्रकार दी जायेगी; और	उपरोक्तानुसार 'ग' व 'घ' लागू नही होगा।
घ	क्या विभाग कोचिंग की व्यवस्था स्वयं करता है या प्राईवेट एजेंसी से इसकी व्यवस्था कराई जाती है?	

अतारांकित प्रश्न संख्या – 253

दिनांक – 08 जनवरी, 2026

प्रश्नकर्ता – श्री वीर सिंह धींगान (सीमापुरी)

क्या माननीय अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रं.	प्रश्न संख्या	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान करता है;	जी हाँ।
ख	यदि हाँ तो किन–किन कार्यों के लिए कुल कितनी कितनी राशि कितने छूट व ब्याज पर उपलब्ध कराता है;	दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित आय–सृजन व्यवसायों के लिए रुपये 5.00 लाख तक का ऋण 4% से 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इसमें अधिकतम रुपये 10000/– तक की अनुदान राशि भी सम्मिलित है। (अनुमोदित कार्यों की सूची अनुलग्नक “क” में सलंग्न है।)
(ग)	क्या यह भी सत्य हैं कि सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग ने वर्ष 2023–24 व 24–25 में कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है;	जी हाँ, विवरण अनुलग्नक “ख” में संलग्न है।
(घ)	यदि हाँ तो कुल कितनी कितनी राशि कुल कितने लोगों को दी गई हैं;	
(ड)	क्या या भी सत्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा भी सफाई कर्मचारियों को आर्थिक स्वरोजगार के लिये कोई सहायता दी गई है;	संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।
(च)	यदि हाँ तो कुल कितने लोगों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी गई है; और	
(छ)	यदि नहीं तो क्यों नहीं, विवरण दिया जाए?	

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

आतारं कत प्रश्न संख्या – 254

दिनांक – 08 जनवरी 2026

प्रस्नकर्ता – श्री अनिल झा (कराडी)

क्या माननीय अनु. जाति/ जनजाति /अन्य पछडा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है क कराड़ी वधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत आबादी अनुसू चत जाति (SC) एवं अनुसू चत जनजाति (ST) वर्ग से संबं धत है;	जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की अनुसू चत जाति की जनसंख्या 2812309 है । कराड़ी वधानसभा क्षेत्र की अनुसू चत जाति (SC) वर्ग की अलग से कोई सूचना उपलब्ध नही है।
(ख)	क्या यह भी सत्य है क इतनी बड़ी SC/ST आबादी होने के बावजूद अब तक कराड़ी वधानसभा के लए कोई वशेष SC/ST कल्याण फंड अथवा वशेष पैकेज स्वीकृत नहीं कया गया है;	जी नही, इस वभाग द्वारा संचा लत सभी योजनायें सम्पूर्ण दिल्ली में लागू हैं।
(ग)	क्या यह भी सत्य है क पछले पाँच वर्षों में कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में SC/ST उप योजना (SCSP/TSP) के अंतर्गत कतनी धनरा श स्वीकृत की गई तथा उसका वास्त वक व्यय कतना हुआ;	उप योजना (SCSP/TSP) के अंतर्गत कोष का आवंटन सम्पूर्ण दिल्ली के लए कया जाता है।
(घ)	क्या यह भी सत्य है क वशेष फंड के अभाव में कराड़ी वधानसभा के SC/ST समुदाय से संबं धत शक्षा, कौशल वकास, स्वरोजगार, आवास एवं सामाजिक उत्थान से जुड़े कई प्रस्ताव लंबित या अस्वीकृत रह गए है;	जी नही, इस वभाग द्वारा संचा लत सभी योजनायें सम्पूर्ण दिल्ली में लागू हैं।
(ड.)	क्या यह सत्य है क कराड़ी वधानसभा में SC/ST छात्रों	जी नही, इस वभाग द्वारा संचा लत सभी

	की छात्रवृ त्त, आ र्थक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपे क्षत स्तर तक नहीं पहुँच पा रहा है ;	योजनायें सम्पूर्ण दिल्ली में लागू हैं।
(च)	क्या यह सत्य है क कराड़ी वधानसभा को उसकी SC/ST जनसंख्या के अनुपात में वशेष बजटीय प्राथ मकता क्यों नहीं दी गई;	जी नही, इस वभाग द्वारा संचा लत SC/ST वर्ग के कल्याण के लए सभी योजनायें सम्पूर्ण दिल्ली में समान रूप से चलाई जा रही हैं।
(छ)	क्या सरकार कराड़ी वधानसभा में 40% SC/ST आबादी को ष्टिगत रखते हुए एक वशेष SC/ST कल्याण फंड / वशेष पैकेज स्वीकृत करने पर वचार कर रही है;	वर्तमान में इस वभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव वचाराधीन नही है ।
(ज)	यदि हाँ, तो उक्त वशेष फंड/पैकेज को लागू कए जाने की समय-सीमा क्या है; और	उपरोक्तानुसार (ज व झ) लागू नही होता ।
(झ)	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?	

संयुक्त निदेशक (योजना)

डी एस सी एस टी

अतारां कत प्रश्न संख्या-255

दिनांक :-08-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री हरीश खुराना (मोती नगर)

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क) वर्ष 2015 से 2025 तक प्रत्येक वत्तीय वर्ष के लए दिल्ली में महिला/वधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल लाभा थर्यों की संख्या;</td><td>वर्ष-वार लाभा थर्यों की संख्या का ववरण निम्नानुसार है :
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वत्तीय वर्ष</th><th>लाभा थर्यों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2015-16</td><td>168977</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2016-17</td><td>176778</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2017-18</td><td>197863</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2018-19</td><td>238049</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2019-20</td><td>238706</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2020-21</td><td>280398</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2021-22</td><td>312272</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2022-23</td><td>348965</td></tr>
<tr><td>9</td><td>2023-24</td><td>379165</td></tr>
<tr><td>10</td><td>2024-25</td><td>397465</td></tr>
<tr><td>11</td><td>2025-26</td><td>399422
(दिसंबर तक)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ख) उपर्युक्त अव ध के दौरान की सत्यापन प्र क्रयाओ में अयोग्य पाए गए कुल लाभा थर्यों की वर्ष-वार संख्या;</td><td>वभाग द्वारा वर्ष 2018-19 और 2023-24 में वधवा पेंशन की सत्यापन प्र क्रया कराई गई थी, जिसका ववरण अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(ग) फर्जी, डुप्लीकेट या अयोग्य लाभा थर्यों की पहचान के संबंध में यदि वभाग या कसी अन्य एजेंसी ने कोई सत्यापन रिपोर्ट/ऑ डट रिपोर्ट तैयार की गई है या आंतरिक समीक्षा की गई है, तो उसकी प्रतियां प्रदान करे;</td><td>वभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में वधवा पेंशन की सत्यापन प्र क्रया कराई गई थी, जिसका ववरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(घ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से वर्ष 2025 तक, प्रत्येक वत्तीय वर्ष के लए वतरित की गई कुल पेंशन रा श का ववरण;</td><td>वर्ष-वार वतरित गई कुल पेंशन रा श का ववरण निम्नानुसार है :
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वत्तीय वर्ष</th><th>वतरित की गई</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

		कुल पेंशन राशि (लाख में)
1	2015-16	26758.40
2	2016-17	31493.44
3	2017-18	49575.85
4	2018-19	62901.18
5	2019-20	73326.66
6	2020-21	82183.37
7	2021-22	90416.60
8	2022-23	103030.18
9	2023-24	112182.02
10	2024-25	108462.32
11	2025-26	92569.39 (दिसंबर तक)

(ड.) अयोग्य या धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों के कारण रा. रा. क्षे. दि. सरकार को होने वाली वत्तीय हानि का क्या कोई अनुमान लगाया गया है और इस अनुमान का आधार क्या है, संपूर्ण ववरण दें;	फलहाल नहीं।
(च) क्या योजना में अनियमतताओं के संबंध में कोई वभागीय जांच, सतर्कता जांच, ऑडिट ऑब्जरवेशन, एफआईआर या आपराधिक जांच शुरू की गई है;	नहीं।
(छ) यदि हां, तो जांच आरंभ की तिथि, जांच के आदेश देने वाले प्राधिकारी तथा जांच की वर्तमान स्थिति सहित संपूर्ण वववरण दे;	लागू नहीं।
(ज) इस संबंध में लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार पाए गए अधिकारियों या कर्मचारियों के वरूद्व की गई कार्रवाई का ववरण प्रदान करें;	लागू नहीं।
(झ) क्या गलत तरीके से वितरित की गई पेंशन राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई है, ववरण दें;	गलत तरीके से ली गई पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाती हैं एवं राशि की वसूली नियमानुसार संबंधित लाभार्थियों से की जाती है।
(ञ) उक्त अवधि के दौरान महिला/वधवा पेंशन योजना पर लागू दिशानिर्देशों, मानक संचालन	उक्त अवधि के दौरान महिला/वधवा पेंशन योजना पर लागू दिशानिर्देशों, मानक संचालन

प्र क्रयाओं (एसओपी) तथा पात्रता मानदंडों की प्रतियां दें; और	प्र क्रयाओं (एसओपी) तथा पात्रता मानदंडों की प्रतियां अनुलग्नक- III के रूप में संलग्न हैं।
(ट) क्या कसी आ धकारिक ऑ डट रिपोर्ट में, जैसा क मी डया में बताया गया है, योजना में लगभग 200 करोड़ के नुकसान की रा श बताई गई है, संपूर्ण पूर्ण ववरण दें?	ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या-256

दिनांक :- 08-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री करनैल संह, शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र।

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उतर
(क) शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कतनी महिलायें वधवा पेंशन पा रही हैं, नाम और पता सहित पूरा ववरण दें;	शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 5128 महिलायें वधवा पेंशन पा रही हैं। वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना के लाभा थर्यों के नाम, पता एवं फोन न. को साझा करना एक अत्यंत संवेदनशील एवं सामाजिक सुरक्षा की ष्टि से नाजुक मामला है। अतः इस सूचना को गोपनीय तरीके से माननीय वधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति एवं निर्देशानुसार ही साझा कया जाना चाहिए।
(ख) वधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं का शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र से अन्य वधानसमा क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण या उनकी मृत्यु होने के कारण कतनी सीटें खाली हुई है; और	जब कोई लाभार्थी अपना पता बदलता है, तो वभाग उसके नए पते के अनुसार संब धत जिला कार्यालय में उसका स्थानांतरण करता है। मृत्यु होने पर लाभार्थी की पेंशन बंद कर दी जाती है। वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना में लाभा थर्यों की अ धकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
(ग) शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र में कतनी नयी वधवा महिलाओं ने वधवा पेंशन के लए आवेदन कया हुआ है और उनमें से पात्र महिलाओं को कब तक वधवा पैशन चालू हो जायेगी ?	शकुरबस्ती वधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2025 में कुल 703 महिलाओं ने वधवा पेंशन हेतु आवेदन कया। इनमें से पात्र महिलाओं के आवेदन स्वीकार कर लए गए हैं और उनके आधार- लंक बैंक खाते में समय-समय पर

	पेंशन का भुगतान कया जा रहा है। कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से भुगतान में वलंब हो सकता है, जिसका निस्तारण समय समय पर कया जाता है।

अतारां कत प्रश्न संख्या-257

दिनांक :- 08-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री अनिल झा (कराड़ी)

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उतर
(क) क्या यह सत्य है क लगभग 9 लाख की आबादी वाली कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल वकास वभाग द्वारा संचा लत योजनाओं एवं सु वधाओं की पहुँच जनसंख्या के अनुपात में अपर्याप्त है;	यह सत्य है की वर्तमान मे कराड़ी वधान सभा क्षेत्र में वभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की पहुँच ल क्षत जनसंख्या तक सुनिश्चित की जा रही हैं।
(ख) वर्तमान में कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में कतने आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत एवं संचा लत हैं, तथा क्या यह संख्या क्षेत्र की जनसंख्या, महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है;	कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 388 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं जो कराड़ी वधान सभा क्षेत्र के लोगों को सु वधाएं प्रदान कर रहें हैं। वर्तमान में यह संख्या क्षेत्र की जनसंख्या, महिलाओं एवं बच्चों की आवशयकतानुसार पर्याप्त हैं।
(ग) क्या यह भी सत्य है क कराड़ी वधानसभा जैसे घनी एवं आ र्थक रूप से कमजोर क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद् ध कया जाना अत्यंत आवश्यक है;	कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 388 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत है जो कराड़ी वधानसभा क्षेत्र के लोगों को सु वधाएँ प्रदान कर रहे हैं । वर्तमान में कराड़ी वधानसभा में कोई भी क्षेत्र अनाच्छादित नहीं है । यह भी वदित है क समय -समय पर सर्वेक्षण कया जाता है तथा आवश्यकतानुसार भारत सरकार को नए

	आंगनवाड़ी केद्रों की स्वीकृति के लए निवेदन भी कया जाता है I
(घ) यदि हाँ, तो नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने हेतु क्या योजना एवं समय-सीमा निर्धारित की गई है;	उपरोक्त उत्तर (ग) के अनुसार
(ङ) क्या यह भी सत्य है क कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में अनेक वधवा महिलाएँ एवं अकेली महिलाएँ ऐसी हैं, जिनके लए वर्तमान में दी जा रही ₹2500 प्रतिमाह की सहायता रा श परिवार के न्यूनतम भरण पोषण हेतु अपर्याप्त है;	यह सरकार का नीतिगत वषय हैं। वर्तमान में, वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना में केवल ₹2,500 प्रतिमाह रा श वतरण का प्रावधान है।
(च) क्या यह भी सत्य है क ₹96,000 वा र्षक से कम आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय सहायता की आवश्यकता है;	यह महिला एवं बाल वकास वभाग, दिल्ली सरकार की योजना से संबं धत नहीं हैं। यह सरकार का नीतिगत वषय हैं।
(छ) यदि हां, तो क्या सरकार वधवा एवं निरा श्रत महिलाओं की सहायता रा श को ₹2500 से बढ़ाकर कम से कम ₹5000 प्रतिमाह करने पर क्या वचार कर रही है;	यह वषय सरकार की नीतिगत निर्णय से संबं धत है।
(ज) क्या यह भी सत्य है क कराड़ी वधानसभा क्षेत्र में महिला पेंशन एवं अन्य सामाजिक सहायता पेंशन कई-कई महीनों (लगभग 4 माह या उससे अ धक) तक वलंब से मल रही हैं, और कई पात्र लाभा र्थयों को पेंशन मल ही नहीं पा रही है; और	नहीं। वभाग द्वारा पात्र लाभा र्थयों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कया जाता है। कुछ मामलों में तकनीकी या बैं कंग कारणों से भुगतान में वलंब हो सकता है, जिसका निस्तारण समय समय पर कया जाता है। वभाग द्वारा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना", जो क एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, संचा लत की जाती है। योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली द् वतीय कश्त की नि ध अभी तक प्राप्त न होने के कारण कुल 32,801 लाभा र्थयों की पेंशन रा श कुछ महीनों की जारी नहीं की जा सकी है। इस संबंध में वभाग को राज्य नि ध के उपयोग हेतु वत्त वभाग से अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं शीघ्र ही लंबित पेंशनों का भुगतान कया जाएगा ।

(झ) यदि हों, तो पेशन भुगतान में देरी के क्या कारण हैं, इसके लए कौन जिम्मेदार है, तथा भ वष्य में समयबद्ध, निय मत एवं पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?	उपरोकतानुसार।

अतारां कत प्रश्न संख्या-258
दिनांक :- 08-01-2026
प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक सुश्री आतिशी (कालकाजी)
क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उतर
(क) सरकार दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रदान कए जाने वाली महिला समृद् ध योजना कब लागू करने जा रही है;	महिला समृद् ध योजना के सुचारू रूप से क्रयान्वयन में अनेक प्र क्रयायें सम्म लत हैं जिन पर कार्य कया जा रहा है जैसे की पात्रता संबंधी मानदंड का निर्धारण, ऑनलाइन व्यवस्था को बनाने, फंड का हस्तानान्तरण, योजनानुसार पोर्टल का वकास एवं उसका प्रयोग, जिससे आवेदन की प्र क्रया पारदर्शी एवं सरल हो I इन प्र क्रयाओं के संपन्न होने पर योजना को शीघ्र ही क्रयान्व वत्त कर दिया जायेगा ।
(ख) क्या इस योजना के निर्माण के लए कसी स मति का गठन कया गया है;	हाँ।
(ग) यदि हां, तो इस स मति की अब तक कतनी बैठकें हुई हैं; और	स मति के सदस्यों क चार बैठक हुई है I
(घ) इन बैठकों के मनट्स उपलब्ध कराएं?	योजना का क्रयान्वयन प्र क्रयाधीन हैं अतः इस स्थिति में स मति के बैठको का मनट्स उपलब्ध नही कराया जा सकता है I

अतारां कत प्रश्न संख्या-259
दिनांक-: 08.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम –माननीय वधायक श्रीमती शखा रॉय (ग्रेटर कैलाश)
क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या महिला लघु उद्योगों व स्वयंसेवी समूहों की सहायता करने के लए कोई योजनाएं चल रही हैं;	हाँ, महिला एवं बाल वकास वभाग दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर शप यूनिव र्सटी (डी.ई.एस.यू.) के सहयोग से समुदाय में महिला उद्य मता वकास कार्यक्रम क्रयान्वयन कया जा रहा है।
(ख)	यदि हां, तो सहायता, ऋण व प्र शक्षण के संबंध में उनकी क्या नीति है; और	इस परियोजना में कई स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और उन्हें बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केट लंकेज, रेवेन्यू जेनरेशन, डजिटल साक्षरता, कंटेंट डेवलपमेंट, सरकारी वत्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता के लए ट्रेनिंग और सहायता/गाइडेंस दी गई है। डी.ई.एस.यू. महिला एवं बाल वकास वभाग के सहेली समन्वय केंद्र (एस.एस.के.) प्लेटफॉर्म के ज़रिए मौजूदा और नई महिला उद्य मयों और स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग और गाइडेंस देकर महिला उद्य मता को बढ़ावा देते हैं।
(ग)	इन योजनाओं के अंतर्गत ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में महिला-नीत उधोगो की संख्या क्या है?	यह प्रश्न महिला एवं बाल वकास वभाग , दिल्ली सरकार से संब धत नहीं हैं I

अतारां कत प्रश्न संख्या-260

दिनांक :- 08-01-2026
प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री संजय गोयल (शाहदरा)
क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उत्तर
(क) शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में	1. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना- शाहदरा

<table>
<tr>
<td>महिला एवं बाल कल्याण वभाग द्वारा संचा लत समी योजनाओं (Scheme-wise) के अंतर्गत लाभान्वित पात्र लाभा र्थयों के नाम एवं उनकी संख्या उपलब्ध कराई जाएगी पछले 5 वर्षों का वर्षवार ववरण दिया जाये;</td>
<td>
वधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल कल्याण वभाग द्वारा संचा लत सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना के अंतगर्त आनंद मानसरोवर व सीमापुरी परियोजना आती है जिनके पछले पांच वर्षों के लाभा र्थओं क संख्या निम्न ल खत है :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लाभा र्थओं क संख्या</th></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>65945</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>69897</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>67766</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>72234</td></tr>
<tr><td>2025-26</td><td>76041</td></tr>
</table>

2. आ र्थक सहायता अनुभाग, महिला एवं बाल वकास द्वारा निम्न ल खत योजनाएं कार्यान्वित की जाती है :-
1. वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना, (मा सक 2500/- रूपये की धनरा श) एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वधवा पेंशन योजना, (मा सक 2500/- रूपये की धनरा श) ।
2. वधवा महिलाओं की पुत्री व अनाथ कन्या की शादी के लए आ र्थक सहायता (30,000/- रूपये की धनरा श, केवल दो पुत्रियों तक)।
वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना अंतर्गत वधान सभा वार लाभा र्थयों के नाम की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है (https://nsap.dord.gov.in). इसके अतिरिक्त इस योजना के लाभा र्थयों के नाम, पता एवं फोन न. एक व्यक्तिगत जानकारी हैं जिसको साझा करना एक अत्यंत संवेदनशील एवं सामाजिक सुरक्षा की ष्टि से नाजुक मामला है।
वर्ष-वार लाभा र्थयों की संख्या का ववरण निम्नानुसार है :

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वत्तीय वर्ष</th><th>लाभा र्थयों की संख्या (वधवा/निरा श्रत योजना में)</th><th>लाभा र्थयों की संख्या (पुत्री व अनाथ</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			कन्या की शादी योजना में)
1	2020-21	4391	78
2	2021-22	4735	62
3	2022-23	5126	49
4	2023-24	5438	46
5	2024-25	5341	39

3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल वकास वभाग द्वारा संचा लत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत लाभा र्थयों को प्रदत्त वत्तीय सहायता से संबं धत ववरण, महिला एवं बाल वकास मंत्रालय (MoWCD), भारत सरकार द्वारा वक सत एवं अनुर क्षत PMMVY पोर्टल पर उपलब्ध अ भलेखों के आधार पर निम्नानुसार संक लत कया गया है:

क्रम संख्या	वत्तीय वर्ष	पंजीकृत/लाभान्वित लाभा र्थयों की संख्या	लाभा र्थयों को भुगतान की गई कुल रा श
1.	2023-24	5419	99,18,000/-
2.	2024-25	6255	2,52,91,000/-
3.	2025-26	6778	2,63,72,000/-

यह स्पष्ट कया जाता है क PMMVY पोर्टल पर

वत्तीय वर्ष 2023-24 से आगे के आंकड़े उपलब्ध हैं। पोर्टल के प्रावधानों के अनुसार, इसमें केवल लाभा थर्यों की कुल संख्या एवं उन्हें निर्गत/भुगतान की गई कुल धनरा श का समे कत ववरण प्रद र्शत होता है। व्यक्तिगत लाभा थर्यों का नाम अथवा अन्य पहचान संबंधी ववरण पोर्टल पर प्रद र्शत/उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

4. मशन वात्सल्य के तहत 'प्रायोजन' (Sponsorship) योजना, कमजोर बच्चों को उनके वस्तारित परिवार या रिश्तेदारों के साथ रहते हुए शक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों के लए वत्तीय सहायता प्रदान करती है, ता क वे संस्थागत देखभाल के बजाय अपने घर-परिवार में रह सकें और उनका वकास हो सके, इसके लए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स मति होती है।

इस योजना के अंतर्गत शाहदरा जिले के लाभान्वित पात्र लाभा थर्यों का पछले 5 वर्षों का ववरण निम्न ल खत है:

वर्ष	'प्रायोजन' (Sponsorship) प्राप्त लाभा थर्यों की संख्या
2021-22	23
2022-23	83
2023-24	53
2024-25	68
2025-26	67

<table>
<tr>
<td></td>
<td>5. पीएम केयर्स फॉर चल्ड्रन योजना (PM CARES for Children Scheme) - वभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत शाहदरा जिले के लाभान्वित पात्र लाभा थर्यों का पछले 5 वर्षों का ववरण निम्न ल खत है:
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>पीएम केयर्स फॉर चल्ड्रन (PM CARES for Children Scheme) योजना के लाभा थर्यों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>07</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>07</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2025-26</td><td>11</td></tr>
</table>

6. लाड़ली योजना - वांछित प्रश्न के संदर्भ में यह सू चत कया जाता है क दिल्ली लाड़ली योजना के अंतर्गत, पंजीकर्त लाभा थर्यों का ववरण वधान सभा अनुसार उपलब्ध नहीं है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) वर्तमान में शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में कतनी वधवा पेंशन रोकी गई हैं, तथा प्रत्येक प्रकरण में पेंशन रोके जाने का कारण क्या है;</td>
<td>वभाग द्वारा कराए गए सत्यापन (Verification) के दौरान शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में कुल 1105 लाभा थर्यों की पेंशन रोकी गई थी। पेंशन रोके जाने के कारण निम्न ल खत हैं :
1. लाभार्थी अपने पते पर निवासरत नहीं पाया गया।
2. लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है।
3. लाभार्थी का पुन र्ववाह हो चुका है।
4. लाभार्थी अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(Temporary Migrant) पाया गया।</td></tr>
<tr><td>(ग) कतनी वधवा पेंशनधारक महिलाओं ने अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं (दिनांक सहित), उनके नाम एवं कुल संख्या क्या है, तथा इसके बावजूद उनकी पेंशन अब तक पुनः प्रारंभ क्यों नहीं की जा सकी है;</td><td>जिन पात्र लाभा थयों ने अपने दस्तावेज संबं धत जिला कार्यालय में जमा कये हैं, उनकी पेंशन पुनः प्रारंभ की जाती है।</td></tr>
<tr><td>(घ) क्या ऐसी कोई व्यवस्था/योजना प्रस्ता वत है अथवा लागू है, जिसके माध्यम से प्रत्येक माह वधायकों के कार्यालयों को यह सूचना उपलब्ध कराई जा सके क कन-कन लाभा थयों की पेंशन जारी की गई है, कनकी पेंशन रोकी गई है तथा पेंशन रोके जाने का कारण क्या है;</td><td>फलहाल नहीं ।</td></tr>
<tr><td>(ड) यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था कब तक लागू की जाएगी;</td><td>अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।</td></tr>
<tr><td>(च) शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में पछले 5 वर्षों के दौरान निरस्त कए गए पेंशन/योजना आवेदनों का वर्षवार ववरण क्या है, तथा प्रत्येक वर्ष निरस्तीकरण के प्रमुख कारण क्या रहे हैं; और</td><td>शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में पछले पाँच वर्षों के दौरान वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना के अंतर्गत 577 (ऑनलाइन) आवेदन निरस्त कए गए हैं। वर्षवार ववरण निम्न ल खत है:”
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्ष</th><th>निरस्त आवेदनों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021</td><td>82</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>120</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2023</td><td>63</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2024</td><td>198</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2025 से अब तक (06-01-2025)</td><td>114</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>577</td></tr>
</table>
सामान्यतः आवेदन निरस्तीकरण के कारण निम्न ल खत हैं :”
आवेदक द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूर्ण नहीं की गईं।</td></tr>
</table>

	• आवेदन अपूर्ण होना / आवश्यक जानकारी उपलब्ध न कराना। • अनिवार्य दस्तावेज संलग्न न करना अथवा दस्तावेज अमान्य पाए जाना। • आवेदन में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों में असंगति होना। • आवेदक द्वारा समान अथवा कसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले से लाभ प्राप्त कया जाना। • आवेदक का अ धसू चत लाभार्थी श्रेणी में न आना। • निर्धारित समय-सी के उपरांत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कया जाना। • निर्धारित अव ध में स्पष्टीकरण/कमी पूर्ति नोटिस का उत्तर न देना। •
(छ) वर्तमान में शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल कल्याण वभाग के अंतर्गत कतने पेंशन आवेदन लंबित (Pending) हैं, सबसे पुराना लंबित आवेदन कब का है, तथा आवेदन निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा (Timeline) क्या है?	शाहदरा वधानसभा क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से कुल 224 पेंशन आवेदन लंबित हैं। वर्तमान में कुछ आवेदनों में दस्तावेज़ों अथवा आवश्यक जानकारी से संबं धत क मयाँ पाई गई हैं। ऐसे मामलों में वभाग द्वारा संबं धत आवेदकों को सू चत करते हुए क मयाँ दूर करने हेतु उ चत अवसर प्रदान कया गया है। पेंशन आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित समय-सीमा 45 कार्यदिवस है।

अतारां कत प्रश्न संख्या-261
दिनांक :-08-01-2026
प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री चौधरी जुबैर अहमद (सीलमपुर)
क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उत्तर
(क) रु.2500 महिला वत्तीय सहायता योजना (महिला सम्मान रा श)- क्रयान्वयन स मति की कार्रवाई एवं फाइल की टिप्प णयां उपलब्ध कराए व यह भी बताएं क 2025-26 के बजट में	महिला समृद् ध योजना के सुचारू रूप से क्रयान्वयन में अनेक प्र क्रयायें सम्म लत हैं जिन पर कार्य कया गया है जैसे की पात्रता संबंधी मानदंड का निर्धारण, ऑनलाइन

घो षत इस प्रस्ता वत योजना के क्रयान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;	व्यवस्था को बनाना, फंड का लाभार्थी को हस्तानान्तरण एवं योजनानुसार पोर्टल का वकास तथा उसका प्रयोग, जिससे आवेदन की प्र क्रया पारदर्शी एवं सरल हो , और ये सभी कार्यवाही अभी प्र क्रयाधीन हैं अतः मांगा गया ववरण नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता हैं।
(ख) इस योजना के क्रयान्वयन के लए कुल बजटीय आवंटन कतना है, यह रा श कस व शष्ट मद के अंतर्गत चह्नित की गई है तथा क्या दिसंबर 2025 तक यह रा श महिला एवं बाल वकास वभाग को जारी कर दी गई है;	वत्तीय वर्ष 2025-26 के लए बजट मद संख्या 223502103060049 (महिला समृद् ध योजना - एमएसवाई) के तहत कुल ₹5,100 करोड़ का प्रावधान कया गया था ।
(ग) इस योजना की औपचारिक स्वीकृति हेतु, दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट नोट कस ति थ को पारित कया गया;	दिनांक 08.03.2025
(घ) योजना के क्रयान्वयन दिशा-निर्देशो, पात्रता मानदंडों एवं सत्यापन प्र क्रया को अंतिम रूप देने हेतु गठित उच्चस्तरीय स मति के सभी सदस्यों के नाम व पदनाम, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक आयोजित सभी बैठकों के मनट्स की प्रतियां तथा योजना के क्रयान्वयन (रोल आउट) के संबंध में स मति द्वारा अंतिम सफारिशों की जानकारी प्रदान करें;	मांगी गई जानकारी अनुलग्नक-I में संलग्न हैं। महिला समृद् ध योजना से सम्बं धत स मति की बैठक, वचार वमर्श, सुझाव एवं स मति की कार्यवाही प्र क्रयाधीन है, अतः मांगा गया ववरण नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता I
(ङ) योजना के आरंभ होने की ति थ व लाभार्थी पात्रता मानदंडों से संबं धत, महिला एवं बाल वकास, वत्त तथा योजना वभागों के बीच हुई सभी आंतरिक पत्राचार व एतद्संबंधी फाइल नोटिंग की प्रतियां प्रदान करें;	इस योजना का क्रयान्वयन प्र क्रयाधीन हैं इस लए इस अवस्था पर ववरण व् सम्बं धत पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है I
(च) क्या यह सत्य है क उपराज्यपाल से सैद्धांतिक (इन प्रं सपल) स्वीकृति न मलने अथवा वत्तीय प्रभावों को लेकर केंद्रीय वत्त मंत्रालय की चंताओ के कारण इस योजना में	यह सत्य नहीं है।

वलंब हो रहा है; और	
(छ) दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत कतनी महिलाओं ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है व उनमें से कतनी महिलाओं को वास्तव में रु. 2500 की पहली कस्त प्राप्त हो चुकी है?	योजना का क्रयान्वयन अभी प्र क्रयाधीन है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारां कत प्रश्न संख्या-262

दिनांक :- 08-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री जरनैल संह (तिलक नगर)

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उत्तर
(क) महिला समृद् ध योजना की घोषणा/प्रस्ताव को एक वर्ष से अ धक समय बीत जाने के बावजूद अब तक क्या प्रगति हुई है;	महिला समृद् ध योजना के सुचारू रूप से क्रयान्वयन में अनेक प्र क्रयायें सम्म लत हैं जिन पर कार्य कया गया है जैसे की पात्रता संबंधी मानदंड का निर्धारण, ऑनलाइन व्यवस्था को बनाने, फंड का हस्तानान्तरण, योजनानुसार पोर्टल का वकास एवं उसका प्रयोग, जिससे आवेदन की प्र क्रया पारद र्शता के साथ साथ सरल एवं सुगम भी हो।
(ख) योजना की वर्तमान स्थि त, अब तक कए गए प्रशासनिक/वत्तीय निर्णयों तथा लागू करने में हुई देरी (यदि कोई) के कारणों का ववरण दिया जाए;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(ग) क्या महिला समृद् ध योजना के लए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।	अभी नहीं।
(घ) यदि नहीं, तो पंजीकरण कब से शुरू कया जाएगा, इसकी स्पष्ट समय-सीमा बताई जाए;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(ड.) महिला समृद् ध योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आवेदन करने के लए क्या कोई वशेष समय-सीमा निर्धारित की गई है;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(च) यदि हों, तो उस समय-सीमा तथा आवेदन प्र क्रया का ववरण दिया जाए;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(छ) क्या सरकार महिला समृद् ध योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रयान्वयन की निगरानी के लए कसी स्वतंत्र स मति/तंत्र के गठन की योजना बना रही है;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(ज) यदि हाँ, तो उसका वस्तृत ववरण दिया जाए;	उपरोक्त (क) के अनुसार।
(झ) दिल्ली में महिला समृद् ध योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की रा श कब से प्राप्त होना शुरू होगी; और	उपरोक्त प्रश्न (क) में दिए गये उत्तर के अनुसार सभी प्र क्रयांए संपन्न हो जाने पर योजना को शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा I
(ट) कृपया संभा वत ति थ/समय-सीमा का स्पष्ट ववरण दिया जाए?	उपरोक्त (क) के अनुसार।

अतारां कत प्रश्न संख्या-263

दिनांक :- 08-01-2026

प्रश्नकर्ता का नाम– माननीय वधायक श्री अशोक गोयल (मॉडल टाउन)

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

प्रश्न	उतर
(क) मॉडल टाउन वधान सभा में कतने आंगनवाड़ी केंद्र है, ववरण दें;	मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल वकास वभाग द्वारा संचा लत 62 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनका ववरण अनुलग्नक-I में संलग्न है I
(ख) मॉडल टाउन वधान सभा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कतने बच्चे लाभ ले रहे हैं, ववरण दे;	मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र में कुल 2704 बच्चे व भन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन लाभा र्थयों को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पूर्व- वद्यालयी शक्षा और अन्य महिला एवं बाल वकास वभाग की योजनाओं से संब धत सहायता प्रदान की जा रही है। मॉडल टाउन वधान सभा के वभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजना के अंतगर्त पंजीकृत बच्चों संख्या का ववरण निम्न ल खत है :- 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे :- 262 1 - 3 वर्ष तक के बच्चे :- 1414 3 - 6 वर्ष तक के बच्चे :- 677 0 - 6 माह तक के बच्चे / धात्री माताएं :- 351
(ग) मॉडल टाउन वधान सभा में आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी कर्मचारियों का ववरण दें;	मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में 62 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 62 सहायिका कार्यरत है I
(घ) आंगनवाड़ी केंद्र स्था पत करने संबंधी मानकों का वस्तार से ववरण दें;	आंगनबाडी केंद्र स्था पत करने की प्र क्रया निम्न प्रकार से है - भारत सरकार के जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आंगनबाडी केंद्र सम्ब धत परियोजना में ल क्षत लाभा र्थओं को ICDS सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपयुक्त क्षेत्र में खोला जाता है, जिसकी प्र क्रया निम्न प्रकार से है- 1. 400 - 800 की जनसंख्या पर एक नया आंगनबाडी केंद्र खोलने के लए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करना I 2. पीने के पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सु वधाओं के साथ जगह की उपलब्धता को देखना I

	3. आंगनबाडी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सक्षम अ धकारी को प्रस्तुत करना I
(ड.) क्या मॉडल टाउन वधान सभा के सभी आंगनवाड़ी केंद्र इन मानकों पर खरे उतरते हैं, ववरण दें;	हाँ, मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र के अधीन संच लत आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित मानकों के अनुसार संचा लत कए जा रहे हैं ।
(च) यदि नहीं, तो उनके खलाफ क्या कार्रवाई की गई, उसका क्या परिणाम हुआ, वस्तारपूर्वक ववरण दे;	प्रश्न (ड) के उत्तर के मद्देनज़र यह लागू नहीं होता ।
(छ) मॉडल टाउन वधान सभा के वभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजना के लाभा थर्यों का वस्तार से ववरण दें; और	1. आ थर्क सहायता अनुभाग, महिला एवं बाल वकास द्वारा निम्न ल खत योजनाएं कार्यान्वित की जाती है तथा लाभा थर्यों को ववरण निम्न ल खत अनुसार है :- 1. वधवा/निरा श्रत महिलाओं के लए पेंशन योजना, (मा सक 2500/- रूपये की धनरा श) । मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र में कुल 3,528 लाभार्थी आ थर्क सहायता प्राप्त कर रहे हैं। 2. वधवा महिलाओं की पुत्री व अनाथ कन्या की शादी के लए आ थर्क सहायता (30,000/- रूपये की धनरा श, केवल दो पुत्रियों तक)। मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र में कुल 11 लाभा थर्यों ने वर्ष 2025 मे आ थर्क सहायता प्राप्त की है। 2. मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र में वभाग द्वारा संचा लत योजनाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, तथा पात्र महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पूर्व-प्राथ मक शक्षा एवं सामाजिक सहायता से संबं धत लाभ प्रदान कए जा रहे हैं। मॉडल टाउन वधान सभा के वभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजना के पंजीकृत लाभा थर्यों लाभा थर्यों की संख्या का ववरण निम्न ल खत है :- 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चे :- 262 1 - 3 वर्ष तक के बच्चे :- 1414 3 - 6 वर्ष तक के बच्चे :- 677

	0 - 6 माह तक के बच्चे /धात्री माताएं:- 351 गर्भवती महिलाऐं : - 310 वभाग द्वारा संचा लत योजनाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण एवं स्वास्थ्य शक्षा, पूर्व- वद्यालयी शक्षा, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सहायता, तथा अन्य केंद्र/राज्य सरकार की अ धसू चत योजनाओं का लाभ पात्र लाभा र्थयों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। 3. वांछित प्रश्न के संदर्भ में यह सू चत कया जाता है क दिल्ली लाड़ली योजना के अंतर्गत, पंजीकर्त लाभा र्थयों का ववरण वधान सभा अनुसार उपलब्ध नहीं है ।
(ज) मॉडल टाउन वधान सभा के आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण तथा उनके सुधार हेतु क्या कार्य कये गये, ववरण दें?	मॉडल टाउन वधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों का निय मत रूप से वभागीय अ धकारियों द्वारा निरीक्षण कया जाता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई क मयों के सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक **09.01.2026** को पूर्वाह्न **11:00** बजे तक के लिए स्थगित की गई।